राजस्थान विधान सभा

४२ वीं बैठक, बुधवार, दिनांक—२१ जुलाई, सन १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-भवन, जयपुर, में ८ बज कर ४ मिनट (मध्यान्हपूर्व) पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न।

प्रश्न संख्या १०८४

ग्राम दादियां (तं. अराई) के तालाब धनसागर की नहर का जीर्णोद्धार

श्री चाँदमल मेहता—क्या सिचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या मंत्री महोदय इस बात से परिचित हैं कि दादिया (तहसील अराई) ग्राम के तालाब धनसागर की पुरानी नहर टूटी हुई होने से उक्त तालाब भरता नहीं है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त नहर कब तक तैयार हो जायगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मंत्री)—

(क) यह बात ठीक है। यह सप्लाईकट २० या २५ साल पहले बना था लेकिन पता लगा है कि अजमेर राज्य के एतराज करने पर उस ही साल बन्द कर दिया गया।

(ख) इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच-पड़ताल की जा रही है और पाल बनाने की कार्यवाही की जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस नहर के बनाने के लिए श्रमदानसे काम किया गया और वह सरकार द्वारा बंद कर दिया गया ?

Page No.2

श्री टीकाराम पालीवाल—श्रमदान का तो मालूम नहीं है, लेकिन अजमेर राज्य के रेवेन्यू मिनिस्टर ने यह सूचना दी थी कि दो गांवों के बीच में यह तालाब है। वे गांव अजमेर राज्य के हैं और राजस्थान राज्य के भी। किसी तालाब के बनाने पर झगड़ा हो गया। उस तालाब का पानी दूसरी तरफ जाता था। फिर जांच पड़ताल हुई। रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट की ओर से उसको रोका गया।

श्री चाँदमल मेहता—यह नहर कितने वर्षों से टूटी हुई है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—क्या फरमाया, सुना नहीं ?

("यह नहर कब से टूटी है ?" ऐसी सदन में आवाज़)

टूटने का मैंने नहीं कहा था। २५-२६ साल पहले यह नहर बनी थी। अजमेर राज्य के एतराज करने पर इसको बन्द कर दिया गया।

श्री चांदमल मेहता—किस आधार पर इसके लिए एतराज किया गया ? एतराज के क्या ग्राउन्ड्स थे ?

श्री टीकाराम पालीवाल—ग्राउन्ड्स मेरे पास नहीं हैं। जांच-पड़ताल जारी है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो पानी इस तालाब में जाता है वह राजस्थान की सरहद का है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—राजस्थान की सरहद और अजमेर की सरहद इस प्रकार से मिली हुई है कि अभी इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं हुआ है कि यह पानी राजस्थान की सरहद का है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में यह है कि इस नहर से जो पानी ले जाना चाहते हैं, उससे जहां सीमा मिलती हुई है वह राजस्थान की हद है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इसकी जानकारी मेरे पास पूरी नहीं।

श्री चाँदमल मेहता—यह जानकारी कब तक प्राप्त कर ली जायगी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इस विषय में शीघ्र ही।

(ऑपोजिशन के नेता की ओर से "शीघ्र ही" की आवाज़ पर हंसी)

[श्री टीकाराम पालीवाल]

ऑपोजिशन के नेता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उत्तर दे दिया।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—यह नहर अजमेर राज्य की शिकायत पर तोड़ी गई थी या अपने आप ही टूट गई?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने कहा था कि २०-२५ साल पहले बनी थी किन्तु उसका उपयोग नहीं किया गया।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में है कि राजस्थान भर में क्या प्रायः नहरें टूटी हुई हैं?

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं, यह गलत बात है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--यदि आप बीकानेर पधारने की तकलीफ करेंगे तो मालूम होगा की कितनी नहरें टूटी हुई हैं?

श्री टीकाराम पालीवाल—बीकानेर में जाने का मैंने कई बार कष्ट किया है, नहर टूटी हुई नहीं है।

(हंसी)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—बीकानेर शहर के चौतरफ तालाब हैं। यदि नहरें टूटी हुई नहीं हैं तो उनमें पानी कहां से आता है?

श्री अध्यक्ष--This is out of the scope of this question.

श्री चाँदमल मेहता--क्या यह सही है कि इस तरह से इस काम को रोका गया है जिससे इस साल पानी अजमेर मेरवाड़ा को मिल रहा है?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या १०८५

अराई के तालाब कोडिया से भूमि की सिंचाई

श्री चाँदमल मेहता—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) अराई के तालाब कोडिया से कितनी जमीन की आबपाशी होती है?

Page No.4

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(ख) क्या यह सही है कि कोडिया तालाब से आबपाशी के लिए सीधी नहर नहीं होने से इसका पानी दूसरे तालाब नाडी में भरकर फिर आबपाशी की जाती है ?

(ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त तरीके से प्रतिवर्ष होने वाली पानी की बरबादी को रोकने के लिए गांव वाले कोडिया तालाब से सीधी नहर निकालने की मांग कर रहे हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मंत्री)—

(क) दो हजार बीघा की सिंचाई होती है ।

(ख) नहर जो मौजूद है वह इस गांव आरांई के लिए सीधी है । पानी किसी नाडी में भरकर नहीं जाता है बल्कि तालाब सुरखेली जो इस तालाब से मिलता हुआ है उसकी मोरी में होकर सीधा पानी जाता है ।

(ग) इस मौजूदा प्रबन्ध में कोई पानी बरबाद नहीं होता है । बरबादी पानी के लिए गांव वालों ने कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया । चन्द महाजनान ने निजी जमीन की सिंचाई के लिए नई मोरी कोडिया बन्ध में बनवाने की दरख्वास्त दी है ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या आपके जबाब से यह मतलब समझा जाय कि कोडिया तालाब से नहर सीधी निकली हुई है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरे जबाब से यही समझना चाहिए कि जितना जबाब मांगा है उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं ।

श्री चाँदमल मेहता—आपने दो बातें मिलाने की कोशिश की हैं; एक तो कोडिया से सीधी नहर निकली हुई है, दूसरा यह कि लगे हुए तालाब से नहर निकाली गई है । तो वास्तविक बात क्या है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—क्या मैं उत्तर दुबारा पढ़ दूं ?

श्री चाँदमल मेहता—पढ़ने के बजाय आप सही बात ही बता दीजिये ।

श्री टीकाराम पालीवाल—अगर आपने उत्तर नहीं सुना है तो मैं दुबारा पढ़ दूं ?

श्री चाँदमल मेहता—आप जो सही बात है उसको बता दीजिये । मैंने आपके उत्तर को सुन लिया था । यह नाडी से निकली हुई है या कोडिया से सीधी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—दूसरा तालाब है ।

Page No.5

श्री चाँदमल मेहता—नाडी नामका तालाब है। कोडिया से सिधी नहर निकालने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जो मौजूदा प्रबन्ध है वह उचित है और श्रेष्ठ है।

श्री चाँदमल मेहता—श्रेष्ठ तो है किन्तु एक तालाब से दूसरे तालाब में होकर फिर नहर निकली है इससे पानी की बरबादी का सवाल है। यदि सीधी नहर निकलती है तो पानी की बरबादी मिट जाती है। सरकार को उस पर विचार करने में क्या आपत्ति है।

श्री टीकाराम पालीवाल—यह महाजनों की आवश्यकता है। किन्तु इससे उनका पर्पज सर्व हो सकता है।

श्री चांदमल मेहता—महाजनों का सवाल नहीं है, किन्तु पानी की बरबादी का सवाल है। एक तालाब का पानी दूसरे तालाब में जाकर फिर पानी से सिंचाई हो। कोड़िया से सीधी नहर निकाली जाय तो पानी की बचत भी होगी। उसके लिये सरकार सोचने के लिए तैयार क्यों नहीं है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—अब सोच लेगी।

श्री चाँदमल मेहता—धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या १०८६

किशनगढ़ सब-डिविजन के सप्लाई संबन्धी सिक्योरिटी की सरकार में जमा रकम

श्री चाँदमल मेहता—क्या रसद मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) किशनगढ़ सब डिविज़न के सप्लाई मुताल्लिक सिक्योरिटी के कितने रुपये अभी तक सरकार में जमा हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि जेठानन्द सिन्धी रिटेल क्लॉथ एसोसियेशन सरवाड़, जगदीशप्रसाद व्यास सुरबरा, खेमचन्द सिन्धी किशनगढ़ आदि को रुपये क्लीअरेन्स फॉर्मस देने पर भी व कई दफा पत्रव्यवहार करने पर भी नहीं दिये जा रहे हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—६७२५ रु० सिक्योरिटी के सब डिवीजन किशनगढ़ के सप्लाई के मुताल्लिक का देना है।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

श्री जेठानन्द सिन्धी के नाम से कोई रुपया जमा नहीं है। अलबत्ता मेघराज जेठानन्द के नाम से १००)रु० जमा थे। वे ता० १७.४.५४ को दे दिये गये। ६वें श्री जगदीश प्रसाद व खेमचन्द सिन्धी के रिफन्ड के बिल बना दिये गये हैं और उनको सिक्योरिटी की रकम अदा की जा रही है। रीटेल क्लॉथ सीन्डीकेट सरवाड़ की सिक्योरिटी भूतपूर्व असिस्टेन्ट कलेक्टर किशनगढ़ ने ता० २.२.५२ को जप्त कर ली है अतः उनके रिफन्ड का सवाल ही नहीं आता।

श्री चाँदमल मेहता—इनके सिवाय और किन-किन को रकम देना है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने जवाब में सब बता दिया है।

श्री चाँदमल मेहता—जिन लोगों के बिल बनाने के बारे में कहा गया है, कितने अरसे से पेन्डिग हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—बिल पेन्डिंग नहीं रहा करते हैं, रूटिन के अनुसार जाते रहते हैं।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्रीजी की यह जानकारी में है कि रूटिन से भी, कमिशन देने के बाद में, जाते हैं क्योंकि बिल कितने ही अरसे से बनाकर रखे हुए हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—माननीय सदस्य को कमीशन देने-लेने की आदत हो तो पता नहीं, किन्तु बिल कमीशन देकर नहीं दिये जाते।

श्री चाँदमल मेहता—माननीय सदस्य तो, जिन लोगों की कमीशन देने की आदत है, उनको छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं; यह आदत जरूर है। किन्तु मैं यह माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूँ कि क्या उनकी जानकारी में है कि बिना कमीशन दिये कोई बिल नहीं दिये जाते।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

●

प्रश्न संख्या १०८७

जोधपुर डिविज़न में कमीशन बेसिस पर अनाज की दुकानें अनाज की कमी के समय खुलवाना

श्री चाँदमल मेहता—क्या रसद मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिन दिनों अनाज की कमी थी जोधपुर डिविज़न में कमीशन बेसिस पर सरकार द्वारा अनाज की दुकानें खुलाई गई ?

[श्री चाँदमल मेहता]

(२) यदि हाँ, तो यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किन-किन दुकानदारान की कमीशन की रकम अभी तक नहीं दी गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—

(१) जी हाँ, खुलाई गई थीं।

(२) जिन जिन दुकानदारान को कमीशन की रकूमात अभी तक नहीं दी गई है उनकी सूची टेबल पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चाँदमल मेहता—इन लोगों को अब तक रकम न देने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार को उनमें कुछ लेना था इसलिये उन्होंने हिसाब ठीक नहीं किया। इसीलिये उनको रकम कमीशन नहीं दिया गया।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि कुछ लोगों की कमीशन की रकम इसलिये रोक रखी गई है कि उसमें से कुछ कमीशन प्राप्त नहीं हो रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने जवाब दिया कि जिन लोगों का हिसाब ठीक नहीं हुआ उनकी रकम रोकी गई है।

श्री चांदमल मेहता—हिसाब किसकी तरफ से नहीं हुए, सरकार की तरफ से या व्यापारियों की तरफ से ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कई लोग ऐसे हैं जिनको सरकार को ज्यादा देना पड़ता है; अपनी कमीशन की रकम से ज्यादा, इसलिये वे हिसाब नहीं करवाते हैं।

श्री चान्दमल मेहता—क्या सरकार इस बात की जाँच करवाने की कृपा करेगी कि उन्होंने तो हिसाब ठीक करवाने की कोशिश की है किन्तु सरकार की तरफ से खामी रही है।

श्री अध्यक्ष—The reply is there.

प्रश्न संख्या १०८८

सन् १९५३-५४ में राजस्थान हाई कोर्ट के विरुद्ध रिटें

श्री चांदमल मेहता—क्या कानून मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

[श्री चाँदमल मेहता]

(१) सन् ५३-५४ के वर्ष में राजस्थान हाई कोर्ट में राजस्थान सरकार के खिलाफ कितनी रिट दरख्वास्तें पेश की गई ?

(२) कितनी रिट दरख्वास्तें स्वीकार की गई ?

(३) राजस्थान सरकार द्वारा बनाये गये कितने कानून अवैध करार दिये गये ?

श्री टीकाराम पालीवाल (कानून मंत्री)—

(१) सन् १९५३-५४ में ३०१ रिट दरख्वास्तें सरकार के खिलाफ पेश की गई थी जिनमें ५७ जोधपुर के और २४४ जयपुर के बैंच के समक्ष प्रस्तुत हुई ।

(२) उपरोक्त वर्ष में १४० रिट दरख्वास्तें स्वीकार हुई हैं, जिनमें १३३ जयपुर हाई-कोर्ट बैंच ने स्वीकार की है और बाकी ७ हाई कोर्ट जोधपुर ने स्वीकार की हैं। जो दरख्वास्तें जयपुर बैंच ने स्वीकार की हैं उनमें अधिकतर यानी ११२ एग्रीकल्चरल रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के विरुद्ध थीं।

(३) राजस्थान सरकार द्वारा बनाये गये निम्न कानून अवैध करार दिये गये—

१. राजस्थान एग्रीकल्चरल रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट, सं० १९५२ ।

२. राजस्थान एक्साइज एक्ट, १९५० की धारा नं० ७१ की उप धारा नं० २ प्रवृत्तिहीन घोषित की गई है, किन्तु ऐसी दशा में भी इस सिलसिले में पेश की गई दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं और सरकार को खर्चा दिलाया गया है ।

३. राजस्थान कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट, १९५१ की धारा ८ (i) (सी) की उपधारा (ii), (iii) व (iv) प्रवृत्तिहीन घोषित की गई ।

४. राजस्थान फूड ग्रेन कन्ट्रोल ऑर्डर, १९४९ की धारा २५ का अन्तिम भाग। इसके अलावा कोवनेन्टिग स्टेटस के निम्नलिखित कानून अवैध करार दिये गये हैं ।

१. फॉर्मर राजस्थान के ऑर्डिनेन्स नं० २७ का सेक्शन ८-ए सुप्रीम कोर्ट से अवैध करार दिया गया है ।

२. जयपुर हितकारिणी सभा के नियम ।

प्रश्न संख्या १०८६

सन् १९५३-५४ में किशनगढ़ सब डिविजन के विभिन्न मन्दिरों के लिये स्वीकृत रकमें

श्री चांदमल मेहता—क्या देवस्थान मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

किशनगढ़ सब डिविजन में किस-किस मन्दिर के लिए कितने-कितने रुपये ५३-५४ के वर्ष में स्वीकृत हुए और किस-किस मन्दिर को स्वीकृत रकम कब-कब दी गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या (देवस्थान मंत्री)—किशनगढ़ सब डिवीजन के मन्दिरों की सूची टेबल पर रख दी गई है, जिन्हें ५३-५४ में धन सहायता स्वीकृत हुई है। यह रकम कब दी गई इसकी सूचना तहसीलों से इकट्ठी की जा रही है जिसमें कुछ समय लगेगा।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि कई मन्दिरान को रकम नहीं दी गई ? अगर दी गई है तो किन-किन को और कब कब ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं आपको अपने जवाब में बता चुका हूँ कि सन् ५१-५२, ५२-५३ के आँकड़े मौजूद हैं किन्तु ५३-५४ के आँकड़े, रेवेन्यु डिपार्टमेंट से रकम चुकाई जाती है, इसलिये हरेक तहसील से सूचना मांगी गई है, इस लिये वह पूरी-पूरी नहीं आ पाई है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की यह जानकारी में है कि कई मन्दिरान को महिने में रकम देना तय हुआ है, फिर भी उनको पूरे वर्ष में एक बार भी रकम नहीं मिली।

श्री भोगीलाल पंड्या—माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि किशनगढ़ में ऐसे कई मन्दिर हैं जिनका महाराजा का निजी तौर पर सम्बन्ध है और उनको कोई रकम नहीं दी गई।

श्री चाँदमल मेहता—मैं महाराजा की निजी सम्पत्ति के मन्दिरों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन उन मन्दिरों के बारे में पूछ रहा हूँ जिनको माहवारी सहायता बन्धी हुई है; किसी को दो आना, किसी को चार आना, किसी को पांच आना जिससे वे पूजा आदि को मेन्टेन करते हैं, उनको जो माहवारी मिलता है वह वर्ष भर में भी न देने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या –यदि आप ऐसे मन्दिर बतायेंगे जिनको माहवारी सहायता दी जाती थी और नहीं मिली तो उनको जल्दी पेमेन्ट कराने के लिए कार्यवाही की जायगी ?

श्री चांदमल मेहता—क्या इससे सम्बन्धित जो अधिकारी हैं वे बिल बनाकर नहीं भेजते इसलिये बिल का पेमेन्ट नहीं हो सकता ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह बात गलत है। हजारों मन्दिरों को मासिक सहायता दी जाती है जो लगभग सभी को मिल चुकी है। कई कारण ऐसे हो सकते हैं जिनसे मन्दिर को (मासिक सहायता) नहीं मिली हो।

श्री चांदमल मेहता—वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मन्दिरों को सहायता बराबर नहीं मिली ?

श्री भोगीलाल पंड्या—किशनगढ़ के कई मन्दिरों को मिल चुकी है, मुझे पता नहीं किन किन को नहीं मिली है।

श्री चांदमल मेहता—मैंने जो जानकारी आपने प्रश्न में चाही थी अगर वह आप दे देते तो मैं भी यह बता सकता कि किन-किन मन्दिरों को सहायता नहीं दी गई। जब कि आप एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि किशनगढ़ के मन्दिरों को सहायता मिल चुकी है, तो आपने यह किस आधार पर निश्चित किया है कि सब को रकम मिल चुकी है ? क्या इसके लिए आप कोई निश्चित तारीख मुकर्रर कर सकते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सब मन्दिरों को जो जो सहायता मिलती है वह किशनगढ़ के मन्दिरों को भी मिल जायगी। इसमें तिथि और मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं। जो मिलती है वह बराबर दी जायगी।

श्री चांदमल मेहता—जिनको नहीं मिली है उनके लिये आप कोई निश्चित तिथि मुकर्रर कर सकते हैं ?

श्री भगीलाल पंड्या—अगर आप कोई निश्चित सूचना दें तो उन मन्दिरों को जल्दी से जल्दी पेमेन्ट करवाने का प्रबन्ध किया जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—आपने एक ओर तो जवाब दिया है कि अभी सूचना नहीं आई है और दूसरी ओर आप यह बतलाते हैं कि लगभग सबको सहायता दे चुके हैं, तो अब इस पर क्या कहा जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष– नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०६०

सवाई माधोपुर बाजार से रेल्वे स्टेशन की सड़क का जीर्णोद्धार

श्री श्रीदास गोयल—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सवाई माधोपुर बाजार से रेल्वे स्टेशन तक के मार्ग (सड़क) की कैसी हालत है।

(ख) जो भाग खराब हालत में है क्या सरकार उसकी तत्काल दुरुस्ती करने का विचार रखती है ?

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—

(क) सवाई माधोपुर बाजार से भैंरू दरवाजे तक सड़क कच्ची है। भैंरू दरवाजे से रेल्वे स्टेशन तक सड़क डामर की है।

(ख) हां

(ग) सवाई माधोपुर बाजार से भैंरू दरवाजे तक कच्चे हिस्से को पक्का करने का काम पंच वर्षीय योजना में लिया जा रहा है और इस वर्ष के आखिर तक ठीक हो जाने की संभावना है।

भैंरू दरवाजे से रेल्वे स्टेशन तक की डामर की सड़क जो कि ५ मील लम्बी है उसमें से २ मील ठीक हो चुकी है और बाकी का हिस्सा इसी वर्ष ठीक हो जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—यह बाकी का हिस्सा कितने अरसे से ठीक नहीं हुआ कब से काम चालू है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इसकी पूरी हिस्ट्री मेरे पास नहीं है लेकिन राजस्थान बनने के बाद से काम चालू हुआ है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि दो-तीन वर्षों से १०० गज से ज्यादा एक साल में खतम नहीं होता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—ऐसी बात नहीं।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि गत वर्ष यह काम खत्म होने के बाद डेढ़ साल में डेढ़ फर्लांग का टुकड़ा बन पाया है?

श्री टीकाराम पालीवाल—असल बात यह कि म्युनिसिपल एरिया में सड़क बनाने का काम म्युनिसिपलिटी का होता है किन्तु सरकार विशेष दया के तौर पर कुछ मदद कर देती है।

श्री श्रीदास गोयल—मैं भैरू दरवाजे से स्टेशन तक पांच मील का जो (सड़क का) टुकड़ा है उसके लिये प्रश्न कर रहा हूँ, जो कि म्युनिसिपल हद में नहीं है?

श्री टीकाराम पालीवाल—उसको ठीक किया जा रहा है।

श्री हरिदेव जोशी—सरकार जो कार्य रियायती रूप में करती है उसकी क्या यह मन्शा रहती है कि वह धीरे-धीरे किया जाय?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह मन्शा नहीं होती है, किन्तु प्राथमिकता नहीं देते हैं।

श्री हरिदेव जोशी—जो काम शुरू करवा दिया गया है उसको पूरा नहीं करवाना, क्या यही मन्शा रहती है?

श्री टीकाराम पालीवाल—प्रश्नकर्ता को मालूम है कि इस विषय में एक बार शिकायत की गई थी कि अमुक ठेकेदार अमुक चीज खराब यूज (use) कर रहा है इसलिये उसकी जॉच का काम शुरू हो गया और बाकी का काम रुक गया।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—आपने यह फरमाया कि सवाई माधोपुर में म्युनिसिपल एरिया होते हुए भी खास कारण से यह सड़क बनाई गई तो वह क्या खास कारण था?

श्री टीकाराम पालीवाल—वही जैसा बीकानेर में था।

(हंसी)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—बीकानेर में तो ऐसी कृपा राजस्थान सरकार की कम ही होती है, पर सवाई माधोपुर में होने का क्या कारण है?

श्री श्रीदास गोयल—डेढ़ साल में डेढ़ फर्लांग सड़क का टुकड़ा भी पूरा नहीं हो पाया तो इसकी क्या वजह है? मेरा प्रश्न था म्युनिसिपल एरिया के बाहर स्टेशन रोड का डेढ़ फर्लांग का सड़क का टुकड़ा डेढ़ वर्ष में भी पूरा न हो सकने के सम्बन्ध में, जिसमें म्युनिसिपलिटी

Page No.13

[श्री श्रीदास गोयल]

का कोई ताल्लुक नहीं है; फिर यह डेढ़ फर्लांङ्ग का टुकड़ा अब भी क्यों नहीं बन पा रहा है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—डेढ़ फर्लांङ्ग सड़क बनाने का सफल कार्य करने में डेढ़ साल का जो समय लगा वह म्युनिसिपल एरिया के बनाने में लग गया ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १०६१

चूरू शहर तथा चूरू जिले में नमक की कमी

श्री प्रभुदयाल—क्या खाद्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि चूरू जिले में और चूरू शहर में नमक की बहुत कमी है ?

(ख) क्या यह सही है कि इससे वहाँ चमड़ा रंगने वाले हरिजनों को बहुत तकलीफ हो रही है और ५ सेर के भाव नमक आम लोगों को खाने के लिए मिल रहा है ?

(ग) क्या यह सही है कि पिछले कई महिनों का कोटा ठेकेदार ने जानबूझ कर नहीं मंगाया ?

(घ) क्या सरकार ऐसे ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए तैयार है और ठेका तोड़कर दूसरे लोगों को जो अक्सर नमक इस्तेमाल करते हैं मंगाने का हुक्म देने के लिए तैयार है ?

(ङ) अगर हाँ, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (खाद्य मन्त्री)—(१) नहीं । इस समय चूरू डिस्ट्रिक्ट में करीबन १५ वैगन नमक मौजूद है ।

(२) डीडवाना के नमक की उत्पत्ति कम होने से भाव कुछ मंहगा हो गया था किन्तु

[श्री भोगीलाल पंड्या]

उचित व्यवस्था कर दी गई है। इस समय वहाँ पर नमक भी काफी मात्रा में आ गया है और स्थिति सुधर गई है।

(३) नहीं। चूरू जिले के लिए १६८ वैगन नमक अलॉट किया गया जिसमें ७८ वैगन नमक आ चुका है डिस्ट्रीब्यूशन जोनल स्कीम देरी से प्रकाशित होने के कारण नमक देरी से मंगाया गया। देरी से आने की वजह यह भी थी कि जनरल मेनेजर ने डीडवाने से पैदावार कम होने की वजह से नमक लेना स्वीकार नहीं किया। डीडवाना नमक काफी मात्रा में मौजूद था और चूरू की जनता इसे पसन्द करती है। ये समाचार सुन कर कि भविष्य में चूरू के लिए नमक डीडवाना से नहीं मिलेगा बल्कि पंचभद्रा से मिलेगा नमक के खुरदा व्यापारियों ने काफी संख्या में नमक खरीद कर जमा कर लिया और बेचना बन्द कर दिया, इस आशा में कि ज्यादा पैसे कमावें; इससे वहाँ पर सामयिक कमी पैदा हो गई। सरदार शहर में वहाँ के तहसीलदार ने खुर्दा व्यापारियों के यहाँ ३०० बोरी जब्त करके २१ सेर प्रति रु० के भाव से जनता को नमक बिकवाया।

(४) यदि नमक के व्यापारियों के काम में गड़बड़ी पाई जाती है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। जाँच करने से मालूम हुआ है कि ठेकेदार की गलती नहीं है ;क्योंकि उसने कोटा के अलाटमेंट की सूचना प्राप्त होते ही ३२ वेगन नमक की रेवेन्यु के रु० साल्ट ऑथोरिटी के पास जमा कर दिये थे। लेकिन उनको बजाय ३२ वेगन नमक के २० वेगन ही मिले। बचे हुए १२ वेगन के लिए ठेकेदार ने जनरल मेनेजर आर० आर० एस० डिविजन सांभर लेक को डीडवाना नमक वास्ते चूरू को लिखा लेकिन स्टॉक पोजीशन ठीक न होने के कारण जनरल मेनेजर ने सप्लाई करने से इन्कार कर दिया और डीडवाना के बजाय सांभर का नमक अलॉट कर दिया जिसकी रेवेन्यु ठेकेदार ने ३-४-५४ को व ३०-४-५४ को सांभर की ट्रेजरी में जमा करा दी। इन कारणों से नमक आयात करने में कुछ दिक्कतें पैदा हुई, तब भी ठेकेदार ने चूरू डिस्ट्रिक्ट में नमक की अधिक कमी महसूस नहीं होने दी। नमक इस्तेमाल करने वालों को ठेका नहीं दिया जाता, बल्कि नमक व्यापारियों को ठेका दिया जाता है।

ठेकेदार के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं पाई जाती, इसलिए इसके खिलाफ कार्यवाही करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। इसके ठेके की अवधि दिसम्बर ५४ में समाप्त होगी और उसके बाद सरकारी नीति के अनुसार व्यवस्था होगी।

श्री प्रभुदयाल—क्या यह सही है कि नमक की अब भी कमी है?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं अपने उत्तर में इसका जवाब दे चुका हूँ।

श्री प्रभुदयाल—कई महीनों से ठेकेदार अपने कोटे (quota) का माल नहीं

Page No.15

[श्री प्रभुदयाल]

उठा रहा है और इस वजह से कोटा लेप्स हो चुका है और क्या इस कारण से कमी नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं बता चुका हूँ कि १६८ वैगन अलॉट किया गया था जिसमें से ७० वैगन आ चुका है, इसलिए कोटा लेप्स होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—The reply was so big that the Member could not conceive it.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—What did you say, Sir ?

श्री अध्यक्ष—The reply was so big......

कुं० श्री जसवन्तसिंह—I thought it was so vague ?

(Laughter).

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १०६२

पुराने झालावाड़ राज्य द्वारा विलीनीकरण के समय
राज्य कोष में छोड़ी हुई राशि

श्री अध्यक्ष—श्री भगवानसिंह तरंगी ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री भगवानसिंह अनुपस्थित हैं और यह एक सार्वजनिक हित का सवाल है, इसलिए इसे मुझे उनकी तरफ से पेश करने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष—Yes.

(श्री कंवरलाल जेलिया द्वारा निम्नलिखित प्रश्न पूछा गया)

श्री भगवानसिंह तरंगी—क्या अर्थ मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पुराने झालावाड़ स्टेट ने राजस्थान में मर्ज होते समय कितना रुपया खजाने में छोड़ा था ?

(ख) वह रुपया किस-किस काम के लिए था ?

(ग) उन कामों में से कौन-कौन से काम किए गए ? यदि नहीं हुए, तो क्यों नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(क) पुरानी झालावाड़ स्टेट ने राजस्थान में मर्ज होते समय यानि २८-४-४८ को सदर खजाने में नकद रुपए ६६०३८-११-५ छोड़े गे।

(ग) उपरोक्त रकम किसी कार्य विशेष के लिए नहीं थी।

(ग) (ख) में दिए गए उत्तर से यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह कहाँ तक सही है कि वहाँ पॉवर हाउस बनाने के लिए एक निश्चित धन-राशि जमा थी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह सही नहीं है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या वाटर वर्क्स के सम्बन्ध में भूतपूर्व झालावाड़ सरकार ने कोई तजवीज बनाई थी या पास की थी ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह अलग प्रश्न है, अलग से पूछा जा सकता है।

श्री कंवरलाल जेलिया—मेरे पूछने का यह आशय है कि इस रकम में से इस मद के लिए भी रकम जमा रखी गई थी, इससे यह स्पष्टीकरण कराना चाहता था मैं ?

प्रश्न संख्या १०६३

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री माणेलाल खानपुरिया।

Page No.17

[श्री अध्यक्ष]

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

प्रश्न संख्या १०६४

सिरोही में नये सरकारी भवनों के निर्माण पर सन्
१९५१ से १९५४ तक व्यय

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for P. W. D. be pleased to state :—

Is it a fact that nothing has been spent in Sirohi District in the years 1952-1953 and 1953-54 on the construction of fresh Government buildings ? If so, why not ? Is there no demand or need for the same ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—No, it is not a fact that no money has been spent in Sirohi District in the year 1952-53 and 1953-54 on new buildings.

श्री मोहब्बत सिंह—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितना रुपया इन बिल्डिंगों पर खर्च हुआ है सन् १९५२-१९५३ और १९५३-५४ में ?

श्री टीकाराम पालीवाल—Among others, following building works have been taken up in the Sirohi Distfict during 1953-54 :—

1. Compound wall for Bal Mandir at Sirohi, at a cost of Rs. 5,6000/-

2. Completion of Sarneshwarji's Town Hall and Library at Sirohi at a cost of Rs. 31,00/-

3. Construction of Treasury at Deodar at a cost of Rs. 8,330/-

4. Construction of Treasury at Pindwara at a cost of 8,330/-

कुं० श्री जसवन्तसिंह—As comparted to this, what amount of money was spent before merger ? In the two years of pre-merger period, what expenditure was incurred ?

Page No.18

श्री टीकाराम पालीवाल—It is a new question and calls for notice.

श्री मोहब्बतसिंह—क्या सरकार यह महसूस करती है कि सिरोही जिले में दूसरे कृपापात्र जिलों के मुकाबले में कम खर्च किया गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं, ऐसा कोई कृपापात्र नहीं है । जिला सिरोही भी औरों की तरह ही कृपा-पात्र है ।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या यह सरकार को मालूम है कि सिरोही जिले में कलेक्टरेट बिल्डिंग की सख्त आवश्यकता है और यदि सरकार यह महसूस करती हो तो कितना रुपया इसके लिए खर्च करने को इस साल सरकार तैयार है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इसका उत्तर इस समय देना सार्वजनिक हित में नहीं है।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या यह सही है कि २५ लाख रुपया भारत सरकार द्वारा यहाँ कलेक्टरेट की बिल्डिंगों के लिए मन्जूर हुआ है और यह सारा रुपया इसी साल खर्च किया जाने को है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—अभी जिलों का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या यह सही है कि सिरोही में कलेक्टरेट की बिल्डिंग अधूरी बनी पड़ी है और इसके पूरा करने के लिए एस्टीमेट भी सरकार ने बनाया है ?

श्री अध्यक्ष—You are going beyond the scope of the question.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—तो क्या यह सार्वजनिक हित के लिए उत्तर देना ठीक नहीं है या सिक्योरिटी ऑफ दी स्टेट के लिए उत्तर देना ठीक नहीं है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—सिक्योरिटी ऑफ दी स्टेट में सार्वजनिक हित सम्मिलित है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न सं० १०६५

पंच वर्षीय योजना में सिरोही से कालंद्री तक पाण्डीव होती हुई सड़क

श्री मोहब्बत सिंह—Will the Minister for P. W. D. be pleased to state :—

[श्री मोहब्बतसिंह]

Is the Government aware of the demand of Kalandari and Magra people for the road from Sirohi to Kalandri via Pandiv than via Zora as sanctioned under five years plan ?

If so, would the Government take immediate steps in this direction ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—Yes, the Government is aware of the demand of Kalandari and Magra people for the road from Sirohi to Kalandari via Pandiv, but since the road from Sirohi to Kalandari via Jawal and Barloot will be beneficial to greater number of villages and will directly connect Bagra Railway station this route has been approved in the Five Year Plan.

As regards construction of a road from Sirohi to Kalandari via Pandiv, there already exists a fair whether road on this route and the construction of a pucca road will be considered in the next Five Year Plan.

श्री मोहब्बतसिंह—क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि सिरोही से कालन्द्री वाया पांडीव उतना ही महत्वपूर्ण रूट है, जितना कि वह है ? उसको इस साल पंचवर्षीय योजना में लेने को क्या सरकार तैयार है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने पहले ही बतलाया है कि जो रूट एप्रूव किया गया है वह ज्यादा बेनीफिशियल है और इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है।

प्रश्न संख्या १०६६

सवाई मानसिंह अस्पताल में पाँच सौ अथवा उससे अधिक वेतन प्राप्त भोगी रोगियों को अस्पताल में ठहराने की व्यवस्था

श्री श्रीदास गोयल—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सवाई मानसिंह अस्पताल में पाँच सौ या इससे अधिक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों या उनके डिपेन्डेन्ट्स को रोगी होने की हालत में इन्डोर बीमार के रूप में ठहराने की क्या व्यवस्था है ?

[श्री श्रीदास गोयल]

(ख) इस व्यवस्था के लिए उन लोगों से क्या कुछ वसूल किया जाता है या यह निःशुल्क है?

(ग) ढाई सौ या इससे अधिक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के बीमार होने या उनके मातहत व्यक्तियों के बीमार होने पर उक्त अस्पताल में रखने की क्या सुविधा है और किस शर्त पर?

(घ) क्या ढाई सौ से कम वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों को बीमार होने पर निःशुल्क उक्त अस्पताल में रखने का कोई प्रबन्ध नहीं है?

(ङ) क्या सरकार कम वेतन पाने वाले व्यक्तियों को अधिक अच्छी व मुफ्त में वहाँ रहने की व्यवस्था की जाने के सम्बन्ध में सोच रही है? यदि हाँ, तो कब तक यह व्यवस्था हो जावेगी?

श्री कुम्भाराम आर्य (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)—(क) डिलक्स वा कॉटेज वार्ड यदि वह खाली हो और इसके नीचे की श्रेणी का वार्ड यदि डिलक्स व कॉटेज वार्ड खाली न हो।

(ख) यह व्यवस्था उन लोगों के लिए निःशुल्क है।

(ग) ढाई सौ या उससे अधिक किन्तु ५०० रु० से कम पाने वाले कर्मचारियों व उनके मुकर्रा डिपेन्डेन्ट्स के बीमार होने पर सवाई मानसिंह अस्पताल में रखने की सुविधा इस प्रकार है:

१. कॉटेज वार्ड यदि वह खाली हो और

२. यदि वह खाली न हो तो उससे कम श्रेणी का वार्ड; यह सुविधा उनके लिए निःशुल्क है।

(घ) इस समय ऐसे व्यक्तियों के लिए निःशुल्क रखने का प्रबन्ध जनरल वार्ड में है।

(ङ) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री श्रीदास गोयल—जो जनरल वार्ड्स हैं उनमें २५० से कम वेतन पाने वाले मरीजों के वास्ते अगर स्थान नहीं हो तो क्या उनको कॉटेज वार्ड्स में रखा जा सकता है या नहीं?

श्री कुम्भाराम आर्य—ऐसा कोई नियम नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—तो क्या सरकार यह जरूरी नहीं मानती है कि कम वेतन पाने वाले

[श्री श्रीदास गोयल]

राजकर्मचारियों के मुकाबले अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अधिक सुविधा देनी चाहिए; अगर अधिक नहीं तो कम से कम उनके बराबर तो देनी ही चाहिये ?

श्री कुम्भाराम आर्य--सरकार और समाज की अभी ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई है।

श्री श्रीदास गोयल—Sir, is it in reply to my question ?

कु० श्री जसवन्तसिंह--यह जो अस्पतालों के कर्मचारी हैं उनके लिए भी यही कन्डीशन है या और कुछ ?

(चुप्पी)

श्री जवानसिंह--Is this facility limited to Sawai Man Singh Hospital or to any other hospital ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—जो अस्पताल के कर्मचारी हैं, डॉक्टर वगैरह उनकी फेमिलीज़ पर यही चीज लागू है या और कोई दूसरी चीज लागू है।

श्री अध्यक्ष—अस्पताल के जो कर्मचारी डॉक्टर वगैरह हैं उनके परिवार पर भी यही नियम लागू है या और कुछ ?

श्री कुम्भाराम आर्य--यह सरकारी मुलाजिमान के लिए एक जैसा है।

श्री श्रीदास गोयल— क्या सरकार यह सोच रही है कि २५०) रु० से कम वेतन पाने वाले क्लार्क्स या दूसरे कर्मचारियों को कोटेज वार्ड्स या और सहूलियत की जगह बीमार पड़ने की हालत में रखा जा सके ?

श्री कुम्भाराम आर्य— सोच रही है।

श्री श्रीदास गोयल—कब तक इस सिलसिले में आर्डर जारी हो सकेंगे ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यथासाध्य।

श्री अध्यक्ष—The question-hour is over. I am sorry. The questions are over, not the question-hour.

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व में सदस्यों को सूचित करता हूं कि

[श्री अध्यक्ष]

मेजर श्री आपजी रघुराजसिंहजी, डि० नं० १२१, ने विधान सभा की बैठकों से १६ जुलाई, १६५४ से ३० जुलाई, १६५४ तक अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान को जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

विधान कार्य

श्री अध्यक्ष—Shri Jai Narain Vyas.

राजस्थान विधानसभा (अधिकारी तथा सदस्य परिलाभ) संशोधन विधेयक, १६५४

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1952.

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। (विराम) क्या सदन की यह अनुमति है कि इस बिल को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जयनारायण व्यास—Sir, I introduce the Bill.

विचारार्थ लिये जाने वाले बिल

राजस्थान कृषि-भूमि उपयोग विधेयक, १६५३

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मन्त्री)—Sir, I beg to move that the Bill to provide for the utilisation of cultivated lands in the State of Rajasthan and for regulating the cultivation of specified crops therein, as reported by the Select Committee, be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—The consideration motion was passed. कन्सीडिरेशन का मोशन ता० २८ मई, १९५४, को पास हो चुका है।

We take the Bill clause by clause.

सदन के पत्रादि समय पर वितरित करने सम्बन्धी वाद-विवाद

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—May I submit one thing? We have already spoken to the Secretary this morning but our complaint is that we do not receive the agenda, sometimes right upto the time till we come to the Assembly and we are not in a position to know what is going to happen.

श्री अध्यक्ष—These things are not to be discussed on the floor of the House.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—That is true, Sir, but we are absolutely helpless. The thing is this.

श्री अध्यक्ष—I am there right upto 7.00 P. M. and you can come—

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—I am just trying to explain our difficulties so that we can contribute something to the disscussions. Now we cannot because I did not receive the papers in time.

श्री अध्यक्ष—Yes, Clause by clause consideration of the Rajasthan Agricultural Lands Utilisation Bill:

We come to Clause 2.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—We may proceed to Clause 2, but since we did not know what the agenda is; therefore so far as the Opposition is concerned I can tell you that we are not going to take part in the discussions.

श्री भोलानाथ—It has been circulated.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—I know it has been circulated. But my complaint is that we did not know what is coming on the agenda today. We have received the agenda here after we came to the Assembly. How could we know what is on the agenda?

श्री अध्यक्ष—All the Members have received perhaps?

Page No.24

राज्य पक्ष की ओर से—Yes, Yes.

श्री जवानसिंह—मेरा एक निवेदन है कि कई बार हमारे सामने यह दिक्कत पैदा हो जाती है इसलिए इस सम्बन्ध में Business Committee का फॉर्मेशन कर दिया जाय ताकि हर काम के लिए, समय के लिए, हर सेशन के लिए दिक्कत यह नहीं आये कि किस ऑर्डर में किस कायदे को लिया जाय। ऑर्डर ऐसा मौजूद हो कि इस कानून के बाद यह कानून लिया जायगा। तो मेरा ख्याल है कि कॉपी वक्त पर मिले या नहीं, यह मालूम रहेगा कि जो लिस्ट मिल जायगी उससे मालूम रहेगा कि इस बिल के बाद में यह दूसरा बिल लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ऑफ लेजिस्लेशन सर्क्युलेट नहीं हुआ क्या ?

श्री जवानसिंह—आज ही सर्क्युलेट हुआ है।

राज्य पक्ष की ओर से—बहुत पहले हो चुका है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—But, I have received it only today. What is the reply to my point ?

श्री अध्यक्ष—Your case is quite different. You have changed your address and at the changed address the papers ought to have reached.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—My change of address I have intimated, I believe, to all people and at all places.

श्री अध्यक्ष—There was a mistake on the part of the peon. He ought to have delivered it at your changed address.

The legislation order was circulated to the Members long ago Only one member from Sirohi (referring to Shri Jawan Singh) says about that. The order of legislation was circulated long ago.

In fact I want to know whether we should proceed with this Bill or not ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि हमें इस पर आगे प्रोसीड करना चाहिये। कंसीडरेशन के लिये यह पिछली बार पेश हो चुका था, इस पर अमेन्डमेन्ट्स भी आये हैं और लिस्ट भी सर्क्युलेट हो चुकी है; इसलिये हमें आगे प्रोसीड करना चाहिये।

श्री जसवन्तसिंह—With all due respect I beg to submit that I have not the least intention to impede the Work of the Assembly.

श्री अध्यक्ष—I can appreciate the objection if you make.

(विराम)

Yes. Clause 2, Shri H. K. Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Sir, I beg to move the following amendment to Clause 2:-"In clause 2, Sub-clause (b), in the last line, delete the words 'but does not include the State Government" इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ तक एग्रीकल्चरल लैंड युटिलाइजेशन बिल का ताल्लुक है वहाँ तक इसके जो जो सेक्शन्स हैं वे, यदि स्टेट गवर्नमेन्ट की लैंड भी यदि इस प्रकार की होगी तो उस पर लागू नहीं होंगे। हकीकत यह है अध्यक्ष महोदय, कि बहुत सा ऐसा इलाका है जहाँ राज्य सरकार की लैंड पर खेती नहीं हो रही है। वहाँ पर जमीन सालाना फसल के लिये देने की प्रथा चालू की गई है और सालाना टेम्पोरेरी काश्त के लिये देने के सिलसिले में कमेटियां मुकर्रर की जाती हैं, अलोटमेन्ट कमेटीज़ मुकर्रर की जाती हैं। ऐसे-ऐसे वाकयात हुए हैं जिनमें अलोटमेन्ट का काम अगस्त और सेपटेम्बर तक पूरा हुआ है और इस प्रकार से उस जमीन में खरीफ की फसल बोने का मौका भी नहीं मिला है उन लोगों को जिनको कि एक साल के लिये जमीन आरजी काश्त के लिये अलोट की गई है। कुछ ऐसा इलाका है जहाँ २० या ३० साल से लोग काश्त कर रहे हैं जैसा चूरू जिले में राजगढ़ इलाके का वाकया है, वहाँ पुराने काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया और आरजू तौर पर १ साल के लिये जमीन अलोट कर दी गई। जब हम खाली पड़ी हुई जमीन के उपयोग के लिये कानून बना रहे हैं और हमारी मंशा यह है कि कोई जमीन बगैर काश्त के खाली नहीं पड़ी रहे और यदि कहीं खाली पड़ी हुई हो तो कलेक्टर के पास दरख्वास्त देकर जमीन हासिल की जा सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में यह समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार के पास जो जमीन खाली पड़ी हुई है उस जमीन को हासिल करने का अधिकार काश्तकारों को क्यों नहीं मिले ? और जैसी राहत दूसरे केस में मिलती है वैसी इस केस में क्यों नहीं मिले ? ऐसी हालत में गवर्नमेन्ट इस एक्ट के एप्लीकेशन से क्यों महरूम रहनी चाहिये ? यदि ऐसा किया गया तो हालत यह होगी कि अभी जो प्रथा चल रही है वही चालू रहेगी और इसमें जो करप्शन होगा वह तो होगा ही और इसके अलावा सालाना जांच पड़ताल की प्रथा चालू होने की वजह से कई बार खरीफ की फसल बोने का मौका लोगों को नहीं मिलेगा, जैसा कि अब तक होता आया है। इस वजह से मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है कि स्टेट गवर्नमेन्ट को इससे अलग नहीं रखा जाय। यह एक्ट स्टेट गवर्नमेन्ट पर भी लागू होना चाहिये। इसलिये मैं अपना संशोधन पेश करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसे स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ २ (बी) में मेरा जो अमेन्डमेन्ट है वह 'or his mortgagee' शब्दों को डिलीट करने के लिये है। लैंड होल्डर की जो डेफिनिशन है उसमें लिखा है कि:

"means the person to whom rent is, or, but for a contract, express, or implied, would be payable and includes a Jagirdar, a biswedar, a Zamindar, a rentfree grantee, a grantee at a favourable rate of rent, a Village Servant, a tenan

[श्री जवानसिंह]

who has Sub-let or his mortgagee and an Ijaredar or thekedar, but does not include the State Government"

तो 'or his mortgagee' शब्दों को डिलीट करने के लिये मैंने निवेदन किया है। मेरी कुछ कठिनाई है जैसा कि मैं शुरू में निवेदन कर चुका हूँ कि इस सम्बन्ध में मैं कागजात नहीं लाया हूँ, फिर भी इस सारे कानून की खिलाफत करने के लिये मैं तैयार हूँ। जैसा कि मैंने अपने नोट ऑफ डिसेन्ट में यह जाहिर किया था और निवेदन किया था कि इस बिल को हमारे यहाँ पास करने की कतई जरूरत नहीं है; क्योंकि जिस प्रकार की स्वतंत्रता दूसरे प्रकार के धंधों में दी गई है उसी प्रकार की स्वतंत्रता हमारे इस धंधे में होनी चाहिये, इसलिये 'or his mortgagee' शब्दों को डिलीट करने के लिये मैंने निवेदन किया है और यह निवेदन इसलिये किया है कि लैंड होल्डर की तारीफ में जो शख्स आता है उस पर हम यह प्रतिबन्ध लगाने जा रहे हैं कि उनको सरकार इस प्रकार का हुक्म देगी कि अपनी जमीन पर वे खेती करें। जो लोग एक दो साल के लिये खेती करें या जो खेती नहीं करते हों ऐसे व्यक्तियों पर यह प्रतिबन्ध लगाया जायगा कि वे साल भर में इस जमीन पर अवश्य खेती करेंगे या इस जमीन के सीमित हिस्से पर अवश्य ही उनको खेती करनी चाहिये। इस प्रकार का हुक्म दिया जायगा उन लोगों को जो लैंड होल्डर की तारीफ में आते हैं और जिनका जिक्र मोर्टगेजी की तारीफ में आता है और यह लैंड होल्डर की तारीफ में आता है और आगे सब क्लाज (बी) में टिनेन्ट की डेफिनिशन में आता है। एक बार आप टिनेन्ट मानते हैं और दूसरी दफा लैंड होल्डर मानते हैं तो आपके सामने उलझन पैदा हो जायगी। कोई विशेष परिस्थिति में साल या दो साल खेती करें, तो आप किस प्रकार उन पर प्रतिबन्ध लगाना चाहेंगे, आया वह प्रतिबन्ध टिनेन्ट के लिये है या उस आदमी के लिये है जिसके पास किसी टिनेन्ट ने खेती को जमीन मोर्टगेज रख छोड़ी है ? आपको प्रतिबन्ध उसके ऊपर लगाना है जो वास्तव में खेती करता है। जिनके पास जमीन नहीं है और जो खुद नहीं जोतता है, उस पर प्रतिबन्ध लगाना बेकार बात होगी। कानून हमेशा एग्जेक्ट होना चाहिये उसमें एक शब्द भी जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिये और आज कल यह विचारधारा जो चल निकली है और कानून में जो दिखने लगी है कि कुछ मामलों में कुछ शक पैदा हो गया है जिससे बचने की कोशिश हमेशा की जाती है, इसलिये इस धारा को इस कदर बनाया जा रहा है ताकि इस प्रकार की कोई शंका पैदा हो तो उसका समाधान हो जाय। मेरा निवेदन है कि क्योंकि कानून में कोई शक पैदा होता है इसलिये एक क्लॉज और बढ़ा दी जाय, मैं इस युक्ति की ताईद नहीं करता। ये शब्द 'or his mortgagee' आप चाहें तो लैंड होल्डर की तारीफ में या टिनेन्ट की तारीफ में रख सकते हैं। जहाँ टिनेन्ट की डेफिनिशन आयगी वहां इन शब्दों को रख दें तो ज्यादा ठीक होगा क्योंकि कानून में उलझन पैदा नहीं हो और गलत चीज न रहने पावे इसलिये मैं निवेदन करूँगा कि ये शब्द टिनेन्ट की तारीफ में रखे जावें।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इन शब्दों को डिलीट कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप सैकेन्ड (बी) को प्रेस करना चाहते हैं या सैकेन्ड (ई) को ?

श्री जवानसिंह—जहां तक सैकेन्ड (ई) का सवाल है, इसको स्वीकार कर लिया जाता है तो पहले का मतलब हल हो जाता है।

They are as a matter of fact alternative.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, इस सम्बन्ध में जो अमेंडमेंटस आये हैं और जोधपुर से आये हुए मित्र ने, जो लेन्ड होल्डर की व्याख्या में स्टेट गवर्नमेंट को एक्सक्लूड किया गया है, उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाय ऐसा कहा है; वह बात ठीक नहीं है। इस सारे बिल की मन्शा यह है कि जो लेन्ड होल्डर, टीनेन्ट जमीन दूसरों को काश्त करने के लिये नहीं दें और वह जमीन को पड़ी रखें, उनको ऐसा नहीं करने देने के लिये कानून बनाया गया है।

दूसरों को जमीन देने के गवर्नमेंट के पास अख्त्यार हैं तो ऐसी सूरत में जो अख्त्यारात गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी हैं उन अख्त्यारात को लेने का इस कानून में फिर जिक्र करना महज दोहराने की बात होगी, यह ठीक नहीं है। अभी तो अलग तौर से रूल्स बना कर जमीन का अलॉटमेंट करने के तहसीलदार वगैरह को पॉवर्स दिये हुए हैं।

राजगढ़ की जमीन के बारे में कहा गया और वह चीज मेरे ध्यान में लाई गई। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इसके बारे में स्पष्ट आदेश दे दिये गये हैं कि जो पहले से काश्त करते हैं उनको बेदखल नहीं किया जाय। गवर्नमेंट चाहती है कि जमीन पड़ी नहीं रहे। हो सकता है कि व्यवस्था में देरी हुई हो और अलॉटमेंट समय पर नहीं हो सका हो पर स्टेट गवर्नमेंट को लेण्ड होल्डर की डेफिनिशन में लेने से कोई हल नहीं होगा। व्यवस्था में गड़बड़ी होने के कारण अलोटमेंट में देर हुई हो, इसके लिये नहीं हो सकता कि कानून में ही रद्दो बदल कर दिया जाय।

दूसरे अमेंडमेंट में कहा गया है कि मोर्टगेजी को हटा दिया जाय, चाहे लेन्ड होल्डर, टीनेन्ट की डेफिनिशन में हो। अगर मोर्टगेजी को इससे एक्सक्लूड कर देते हैं तो जैसी पहले लैण्ड होल्डर की डेफिनिशन थी वही रह जायगी। इस सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया तो दोनों जगह इसको काम में लिया गया है और मैं समझता हूँ कि इसे दोनों जगह रखना जरूरी है।

श्री जवानसिंह—मालूम होता है कि सब क्लॉज़ (ई) पर जो मेरा संशोधन है उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। टीनेन्ट की डेफिनिशन में इसे जरूर रखिये ताकि ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हो कि गिरवी रखने वालों पर इस कानून का असर न हो। आपके विचार में और क्या-क्या बातें थी, यह मैं नहीं कह सकता, पर मैं अपने दूसरे अमेंडमेंट को प्रेस करता हूँ और पहले वाले को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, माननीय मित्र ने मेरे अमेंडमेंट के बारे में, वह अनावश्यक है, ऐसी बात कही; लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने एक भी बात ऐसी नहीं कही जिससे यह जाहिर हो कि वह अनावश्यक है। इसका मुझे तो आभास नहीं होता कि इसको स्वीकार कर लेने से कोई नुकसान हो जायगा, या कार्य में अड़चन आ जायगी या कानूनी पेचीदगी आ जायगी। उन्होंने

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

किसी ऐसी बात का जिक्र नहीं किया। उन्होंने यह कहा कि सरकार की मन्शा यह नहीं कि जमीन को पड़ा रखे, कभी देरी हो जाती है, कभी और कठिनाइयां आ जाती हैं, उनको हल किया जाता है। इस एक्ट की मन्शा यह है कि कोई भी जमीन को लेट आउट (let out) न करे, इसके लिये उसे मजबूर किया जाय।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपका और आपके जरिये मेरे माननीय मित्र का ध्यान इस बिल के क्लॉज़ ४ के क्लॉज़ (४) की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिसमें साफ है :

"(4) If the notice is neither complied with or cancelled under sub-section (2) or sub-section (3), the Collector "shall" order the Tehsildar to let out such land for a specified period not exceeding three years......"

मान लीजिये कि और कुछ फायदा नहीं होगा तो इतना तो फायदा जरूर हो सकता है कि कौनसी जमीन पड़त पड़ी है, उसको लेने के लिये समय के पहले अर्जी पेश कर देने का तो मौका जमीन लेने वालों को मिल ही जायगा। केवल गवर्नमेंट के मुलाजिमों की मर्जी के ऊपर यह सब मुनस्सर नहीं रहेगा। जमीन लेने वालों के ऊपर यह बोझा रहेगा कि जून के पहले-पहले खरीफ की फसल के लिये उन्हें तैयारी कर लेनी पड़ेगी।

और जो बड़ी बात हो सकती है वह यह है कि यह बिल्कुल सही बात नहीं है कि सरकार के पास ऐसी जमीनें नहीं हैं जो कि लेट आउट नहीं की गई हों और लेट आउट करने में सरकार ने हिचकिचाहट नहीं की हो। गंगानगर इलाके में गई साल ३।४ जमीनें एलॉट नहीं हुईं, इस साल भी यही पेचदगी पैदा होने वाली है। गई साल से पहले सेप्टेम्बर में इसका सवाल हल हुआ। हर साल ऐसी अड़चनें आती हैं। कम से कम इसको तो पूरे के पूरे इलाके के लिये लागू कर दें।

जिले में ऐसी जमीनें पड़ी हैं, पाली जिले में ऐसी जमीनें पड़ी हैं और पूरा स्टेटिटिक्स किया जाय तो बहुत जमीनें ऐसी पड़ी होंगी जो जेरे तजवीज हैं कि फोरेस्ट को देनी चाहिये या रेवेन्यु विभाग को, जिसको काश्त के लिये देना या नहीं देना, यह सरकार के विचाराधीन है but the State Government shall have to allot that land. They must, of necessity under due course of law, allot that land.

अब रहा सवाल नोटिस देने का। नोटिस तो कलेक्टर देता है। कलेक्टर किसको नोटिस देगा? जब कलेक्टर नोटिस देगा तो वह भी उसका जवाब देगा। अगर यही कठिनाई है तो मैं यह कहूँगा कि इसमें एक धारा और जोड़ दी जावे कि अगर जमीन पड़ी हो तो नोटिस की कोई जरूरत नहीं है।

The State Government should not be prevented from exercising their right. They must as a course of law have the right to allot the land.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

वैसी पोजिशन रह जायेगी तो, भी कोई हर्ज की बात नहीं। इसलिये में समझता हूँ कि मेरा ऐमेन्डमेंट साफ है। फिर मेरी समझ में नहीं आया कि इसको मंजूर क्यों नहीं किया जा रहा है। या तो उनके समझ में नहीं आया, या ओर कोई ऐसे कारण हो सकते हैं जिनको अभी वे यहां जाहिर करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी में यह निवेदन करूंगा कि इस एमेंडमेंट को मंजूर करना चाहिये।

श्री जवानसिंह—मैं अपना क्लॉज़ २ (बी) का संशोधन वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि क्लॉज़ २ (बी) पर जो श्री जवानसिंह ने एमेन्डमेंट रखा है उसको वापिस लेने की उन्हें आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जवानसिंह—मैं इसको वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—अब प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री एच. के. व्यास का है उसको पास किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जवानसिंह ने क्लॉज़ २ (ई) पर रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ बिल में अंगरूप से स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ (२) विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३, श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस खण्ड की तरफ अनुकूल मैं कभी नहीं रहा और मेरी यह मान्यता सदैव रही है कि इस प्रकार की धारा या यों कहिये कि यह क्लॉज़ जो इस बिल का हृदय माना जा सकता है या दिल माना जा सकता है इसको कतई रखने की आवश्यकता नहीं थी और इसका मतलब यह नहीं कि इस सम्बन्ध में सरकार को कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं। माननीय अध्यक्ष, मैं काफी अर्से से ख्याल करता आ रहा था कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमको हमारे दैनिक जीवन में हर प्रकार की सुविधा तथा स्वतन्त्रता रहेगी और इस ख्याल से हमने उसे बहुत ही सरलता से और बहुत ही ठीक ढंग से पनपाया था और इसके पीछे हमारा बहुत बड़ा भाग रहा।

वैसे तो इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि हमारा यह देश कृषि प्रधान देश है और हमारा प्रमुख धन्धा कृषि है। जिस प्रदेश में या देश में केवल यही धन्धा प्रमुख है उस पर जब हमारी यह सरकार जो डेमोक्रेसी को पग-पग पर मानने वाली है और उसके सिद्धान्तों को अक्षरशः मानने वाली है जब इस प्रकार का हस्तक्षेप हमारे इन धन्धों पर करना चाहती है तो वास्तव में वह हमारी आशाओं और हकूकों पर कुठाराघात होता है और हमारी आशाएं, जो स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले से हम रखते आ रहे थे, शायद उनको हम इस वक्त देखते हैं कि वे केवल दिखावा मात्र थीं और कहने की बातें थीं।

श्री अध्यक्ष—The Hon' ble Member will confine to the subject.

श्री जवानसिंह—तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह धन्धा जो प्रमुख है हमारे देश में उस पर हम जब देखते हैं कि सरकार इस प्रकार से हस्तक्षेप कर रही है और जिस प्रकार हम अपनी रोजी कमाना चाहते हैं उस पर रोकथाम करती है तो निश्चय ही हम मानते हैं कि यह सरकार हमारा वह हित नहीं कर रही है कि जिसकी हमें आशा थी। एक मामूली से मामूली आदमी अपनी रोजी कमाता है और आज बड़े से बड़ा आदमी भी जमीन से खेती करके अपनी रोजी कमाने लग गया है और इसीलिये यह ख्याल रहा कि उनके जीवन का धन्धा ऐसा ही है। आज शहर में जब हम आते हैं तो देखते हैं कि लोग खेती की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यह एक खेती का बहुत ही प्रमुख धन्धा होते हुए भी सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है जो नहीं होना चाहिये। आप देखिये, इस धारा में सरकार खेती करने वालों पर यह प्रतिबन्ध लगाना चाहती है कि वे लोग सरकार की मर्जी के माफिक खेती करें। जो उनकी मर्जी के माफिक जमीन में फसल नहीं जोतेगा तो उसके खिलाफ हुक्म दिया जावेगा और उसको लाजमी तौर से जैसा सरकार कहेगी उसकी खेती करनी पड़ेगी। वे अन्न उपजावें या अन्य कोई फसल बोवें, सरकार की मर्जी पर होगा।

मैं यह निवेदन करता हूँ कि हमारे इस कृषि प्रधान देश में काफी अर्से से काश्तकार लोग अपनी खेती करते आये हैं और उन्होंने आज तक जो मेहनत करके तजुर्बा हासिल किया है वह आपको किसी पुस्तक में लिखा नहीं मिलेगा, यह तजुर्बा उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी काम करके हासिल किया है और अगर आप उनके तजुर्बे को जाकर देखेंगे तो आप इस बात को मानने के लिये तैयार हो जावेंगे कि उनका तजुर्बा बहुत हद तक सही है और जो बातें वे बतावेंगे आपको किसी भी किताब में वे लिखी नहीं मिलेंगी। उनका तजुर्बा किताबों में लिखे माफिक नहीं बल्कि वास्तव में एक है। जिस प्रकार वे

[श्री जवानसिंह]

खेती करते हैं और ज्यादा फसल लेने में, उस फसल का लाभ उठाने में अपना अनुभव रखते हैं और जब हमारी सरकार यह कहती है कि आपको एक जमीन में या खेत के एक टुकड़े में इतनी फसल अवश्य करनी होगी तो वास्तव में हम देखते हैं कि उन आदमियों ने, जो सदियों से खेती करते आये हैं और जिस चीज की खेती करके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया है उन आदमियों के आशाओं पर इस प्रकार ठोकर लगा दी जावे। मैं यह अर्ज करूंगा कि अब वह जमाना नहीं रहा, जहां पर जागीरदार थे वे अब नहीं रहे, कानून पास हो गया और वह चीज खत्म हो गई। उस वक्त यह कहा जाता था कि जागीरदारों के पास बहुत जमीन पड़ी है, क्योंकि उनको किसी तरह का रेन्ट देना नहीं पड़ रहा है और इसी लिये हजारों और लाखों बीघा जमीन अपने पास में रखते और उन पर खेती नहीं करते थे और किसी तरह की पैदावार नहीं होती थी। इसलिये सरकार ने लाजमी समझा कि फसल बोई जावे। अब वह जमाना खत्म हुआ। अब तो जमीन के चप्पे-चप्पे पर सरकार का लगान लगा है। अगर किसी जमीन के हिस्से पर काश्तकार पैदावार नहीं लेता तो उसको उस जमीन का लगान तो अवश्य देना पड़ता है और जब लगान देना पड़ता है तो मेरा ख्याल है कि आपको उसे सहायता न देते हुए भी उसको आपसे ज्यादा इस बात का ख्याल है कि वह उस जमीन से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठावे। इसलिये आप ऐसा कानून बनावें या न बनावें वह अपनी जमीन पर ज्यादा फायदा उठाने के लिये सतर्क रहेगा क्योंकि उसकी खुदकी रोजी का सवाल है उसको आप राह बतावें या न बतावें चाहे कोई कदम उठावें या कोई कानून बनावें या नहीं, लेकिन उस काश्तकार के खुद के स्वार्थ का प्रश्न है। वह तो वह फसल बोवेगा जिससे ज्यादा से ज्यादा उसको हित हो और ऐसी स्थिति में अगर आप उस पर प्रतिबन्ध लगा देते हैं कि तुमको यह फसल बोने का हक नहीं है, तुमको इस प्रकार की पैदावार लेने का हक है तो मेरा ख्याल है कि आप बजाय उस काश्तकार को फायदा करने के उसको नुकसान करने जा रहे हैं।

तो मेरा ख्याल है कि आप बजाय काश्तकारों का फायदा करने के उनको नुकसान कर रहे हैं और जो स्वतन्त्रता आप हर आदमी में देखना चाहते हैं, जो कि आपके सिद्धान्त हैं, आप उनका पालन नहीं कर रहे हैं। आप इससे किसानों का उतना हित नहीं करते हैं जितना कि किसान अपनी जमीन से अपने फायदे के लिए कोशिश करता है, ज्यादा फसल लेने की कोशिश करता है। आपकी उस ओर उसको सहायता नहीं रहती है किन्तु आप उसके रास्ते में एक रोड़ा बन जाते हैं और उससे वह उसको फायदा नहीं मिलता है जो कि वह जमीन से कोशिश करता है फायदा उठाने की।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि ऐसे कानून की खास तौर पर हमारे इस प्रदेश में कतई आवश्यकता नहीं है। बहुत से जमीनों के हिस्से ऐसे हैं जहां दो-दो, तीन-तीन साल तक फसल करने का मौका तक नहीं मिलता। एक साल फसल बोदी है तो उसमें से दो-तीन साल तक फसल ले नहीं सकते। मैं मानता हूँ कि इस सम्बन्ध में प्रोविजन इस बिल की धाराओं में कर दिया गया है किन्तु आप एक तरह से रोक लगा रहे हैं और कृषि का उत्थान नहीं कर पा रहे हैं जो कि किसान खुद के स्वार्थ के लिए करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मैं सदन से अपील करूंगा, माननीय अध्यक्ष, आपके जरिये से, कि इस धारा को कतई स्वीकार नहीं किया जाय।

[श्री जवानसिंह]

मेरा दूसरा संशोधन इस क्लॉज के सब क्लॉज़ (२) को डिलीट करने का है। वैसे सब क्लॉज़ (२) का जो मतलब है उसका ऊपर की उपधारा (१) में अवश्य समावश हो जाता है और वैसे कानूनी तौर से भी मैं यह निवेदन करूंगा कि इस उपधारा (२) की कतई आवश्यकता नहीं है। चूंकि जो हुक्म ऊपर उपधारा (१) में किया जायगा उसका पालन करना, क्योंकि इस कानून के लिए जरूरी है, अनिवार्य हो जायगा। तो ऐसी सूरत में जब कि ऊपर की उपधारा (१) में एक विशेष हुक्म सरकार की ओर से दिया जायगा तो उसका पालन उपधारा (१) के जरिये ही हो जायगा, इसलिए उपधारा (२) में और प्रोविजन जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था कि कानून को एग्जेक्ट होना चाहिए और फालतू की चीज़ और जरूरत से ज्यादा चीजें कम से कम कानून में नहीं डालना चाहिए, करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो मतलब आपका उपधारा (१) से पूरा हो जाता है उसको वापिस उपधारा (२) में रिपीट नहीं कीजिये। इसी दृष्टि कोण से मैं निवेदन करता हूँ कि उपधारा (२) की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ-साथ मेरा यह भी निवेदन है कि जो उस उपधारा के अन्त में है कि "So long as an order issued under sub-section (1) is in force, no cultivator shall grow in his holding any copy other than the one which he is directed by such order to grow."

तो उसके अलावा मैंने ऊपर उपधारा (१) के संशोधन के लिए जो निवेदन किया था वह इस उपधारा (२) के लिए भी उसी प्रकार से ठीक है क्योंकि उपधारा (२) में केवल कानूनी रूप मे इस बात का प्रोविजन किया है कि जो लोग जिन पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जाय, या जिनको हुक्म दिया जाय वे विशेष जमीन में विशेष प्रकार की फसलें बोयेंगे, किसी जमीन के हिस्से में फसल बोयेंगे तो उन पर यह लागू होगा। चूंकि उपधारा (१) में इसका समावेश हो जाता है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उपधारा (२) की कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिए इसको डिलीट किया जाय।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (डि० नं० १६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ (२) में मेरे तीन संशोधन हैं। और पहला संशोधन है सब क्लाज (१) में से 'Or any other Commodity' शब्द हटाये जाने के लिए। अध्यक्ष महोदय, अभी इस सदन में मेरे से पूर्व वक्ता ने जो विचार व्यक्त किये उनसे मेरी पूरी सहमति है और उनका ही नहीं बल्कि मुझे भी भय है कि सरकार इस प्रकार का कानून बना कर कृषि वर्ग पर भी एक प्रकार से एक अपना बंधन डालने की कोशिश कर रही है। आज देश में आवश्यकता इस बात की है कि जनता के मस्तिष्क में खेती के लिये किस प्रकार से रुचि बढ़ती है, इस प्रकार का हम उपाय करें। सरकार, चाहे सरकार को विशेष सफलता नहीं मिली हो, इस बात के लिये अनाप शनाप रुपया खर्च कर रही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा बंजर जमीन को, अनउपजाऊ जमीन को किसी तरह से उपजाऊ बनायें और अनाज की पैदावार बढ़ावें। सरकार अन्य तरीकों से इसमें सहायता देने की कोशिश कर रही है और चाहती भी है कि लोग ज्यादा से ज्यादा खेती की पैदावार बढ़ायें और देश की जो खाद्य स्थिति है उसको संतोष-जनक स्थिति पर ले

[श्री भैरोंसिंह]

जाकर पहुँचा दें। लेकिन अफसोस यह है कि सरकार उस प्रवृत्ति को बढ़ाने के साथ साथ उस प्रवृत्ति को रोकने का साधन जुटा रही है और वह एक ऐसा साधन है कि उससे उन लोगों के मस्तिष्क में खेती के प्रति उतनी रुचि नहीं होगी जितनी कि आज है और जिसके कारण जमीनें करीब २ महंगी हैं और जमीनों के लिए दुनिया त्राहि २ कर रही है। जमीन के अलावा दूसरे रोजगार न होने के कारण सरकार ऐसे साधन जुटाये कि जमीन सिवाय किसानों के और किसी दूसरे के पास न रहे और चारों तरफ से आवाज आती है कि जमीन का बंटवारा किया जाय। उन्हें महज इस कारण से रुचि है कि लोगों का हित हो और कृषि की उन्नति हो। जमीन को ठीक ढंग से काम में लाने के लिए, ज्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए हम उन लोगों को एन्करेज (उत्साहित) करें, न कि उनको डिस्करेज करें। कोई जमीन पड़त न हो, देश की खाद्य स्थिति सुधारने के लिए भी यह आवश्यक है। यदि हमने यही तरीका अपनाया जो कि इस धारा में निर्दिष्ट है तो इससे ज्यादा नुक्सान होगा। सरकार का जो दृष्टिकोण है वह दूसरा है। सरकार का दृष्टिकोण यह है कि लोग खाद्य सामग्री या ऐसी अन्य चीजें जो कि खाने के काम में आती हैं, उनकी एवज में या जानवरों के चराई की जमीनों पर मनी क्रोप ज्यादा करने लगें। यहां सदन में ही नहीं अन्य स्थानों पर भी मैंने नेताओं से सुना कि राजस्थान के काश्तकारों की हालत खराब है, ऐसा नहीं है और जो लोग मनी क्रोप्स को करते हैं वे राजस्थान के काश्तकार इसलिए करते हैं कि वे अपनी आर्थिक स्थिति को किसी प्रकार सुधारें और सुधारने का मतलब यह है कि दुनिया में जो मनी क्रोप्स ज्यादा करते हैं तो उनको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में ज्यादा सहायता मिलती है। आज यह भी जगह जगह देखने को मिलता है कि कई हिस्से ऐसे हैं जहां लोगों की प्रवृत्ति ऐसी हुई है कि फोडर एण्ड ग्रेन क्रोप्स (Fodder and grain Crops) की जगह मनी क्रोप्स (money Crops) ज्यादा करने लग गये हैं। मनी क्रोप्स करने के साथ साथ एक दृष्टिकोण यह बना रखा है कि आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए, समाज के लेवल पर आने के लिए, जब कि सरकार का भी उस लेवल पर लाने का सहयोग है तो प्रवृत्ति यह हुई है कि फूड एन्ड फोडर की क्राप्स के स्थान पर मनी क्रोप्स बढ़ने लगी हैं यह प्रवृत्ति उनकी इसलिए है कि उनकी आर्थिक स्थिति गिरी हुई है और उन्हें समाज के लेवल पर आना है। अगर सरकार ने अड़चनें डाल दीं तो निश्चित रूप से उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो जायगी। मेरा संशोधन यह है कि आज यदि सरकार यह चाहती है कि जनता के इन्टरेस्ट में अनाज की पैदावार बढ़ाना अच्छा है, चारे की पैदावार बढ़ाना अच्छा है तो मनी क्रप्स को स्पेसिफाई करें तो ठीक है। सरकार चाहे तो हो सकता है कि किस प्रकार की खेती होनी चाहिए। किसी हिस्से के लिए कह सकते हैं कि उसमें कपास की खेती करना पड़ेगा। कपास को ठेका दे सकती है कि जितना कपास होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे।

जहां कहीं भी सरसों की आवश्यकता हुई भी वहां सरसों की खेती करनी पड़ेगी क्योंकि उस इलाके में किसी कैपीटेलिस्ट द्वारा तेल की फेक्ट्री चालू कर रखी होगी। इसलिये आज की हमारी सरकार पूंजीपतियों के हाथों खेल रही है और पूंजीपतियों के इशारे पर मजबूरी से काश्त करवा रही है। सरकार के सामने खाद्य स्थिति का प्रश्न नहीं। अगर किसी प्रकार के फूड और फोडर की आवश्यकता हो तो इसमें किसी प्रकार की कमी हो तो वह मनी क्राप को रेस्ट्रिक्ट कर दे। इसमें एनी

[श्री भैरोंसिंह (वि० स० १६)]

अदर कोमोडिटी (any other commodity) का समावेश कर देना यह स्पष्ट प्रगट करता है कि जो लोग काश्तकारों के बल पर, उनकी मेहनत पर पूंजीपति बने हुए हैं और दूसरों की मेहनत से फायदा उठाकर एशोआराम में पड़े हुए हैं वे यह सोचते हैं कि अगर इस प्रकार की चीज नहीं रही तो उनके सारे एशोआराम खत्म हो जायेंगे, उनके एशो आराम मिट्टी में मिल जायेंगे। इसलिये मेरा यह संशोधन है कि any other commodity के बजाय 'फूड और फोडर' ये शब्द ही काफी हैं, एनी अदर कोमोडिटी ये शब्द हटा दिये जायें। इसके साथ साथ सरकार यह भी तादाद मुकर्रर कर सकती है कि हर व्यक्ति को इतने फूड और फोडर की क्रोप करनी पड़ेगी। दूसरा मेरा संशोधन यह है "Insert the words 'which in no case shall exceed one fourth' between the Words 'Proportion' and 'of' occurring in sixth line."

सरकार ने इस क्लॉज़ के मातहत अधिकार लेने का प्रयत्न किया कि जितनी भी जमीन सरकार किसी को देना चाहे उतनी दे सकती है चाहे किसी के पास बीस बीघा हो या १०० बीघा। मेरे इस संशोधन का मतलब यह है कि सरकार के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन होना चाहिये मेरे इस संशोधन का मतलब यह है कि सरकार किसी क्रोप को करवाना चाहती है तो उस खेती के या उस जमीन के १।४ हिस्से में सरकार उससे उस चीज की क्रोप करवा सकती है।

तीसरा मेरा संशोधन यह है ? "The following new proviso be added :—

'provided further that nothing shall prevent the cultivators to grow crops according to their will if the State Government fails to confirm its intention before one month form the date of commencement of the agricultural year."

माननीय अध्यक्ष महोदय, अक्सर यह देखने में आता है कि कभी कभी माननीय मंत्री भी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि रेड टेपिज्म की वजह से कागजों के डिसपोज़ल में देरी होती है। कभी किसी केस में तहसीलदार की रिपोर्ट नहीं पहुँचती तो कभी क्लेक्टर ऑफिस से कुछ जानकारी प्राप्त करनी होती है। इस प्रकार किसी अरजी के एग्रीक्लचर डिपार्टमेन्ट में पहुँचने में काफी अरसा लग जाता है। इस मेरे संशोधन की यह मन्शा है कि जब तक जो शिकायत की गई है उसकी वजह से काश्तकार को किसी प्रकार का नुकसान न हो इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि सरकार का इन्टेन्शान जनता को एक महिने पहले नहीं पहुँचे तो कोई भी जमीन का बोने वाला उस खेत में अपनी मरजी के मुवाफिक क्रोप कर सकता है। इसलिये लाजिमी है कि कोई भी इन्टेन्शन गवर्नमेन्ट का हो वह उसके पास एग्रीक्लचर इयर के प्रारम्भ के एक माह पूर्व उसके पास अवश्य पहुँच जाना चाहिये। अगर वह नहीं पहुँचता है तो उसको उस इन्टेन्शन की इन्तजारी नहीं करनी पड़े और वह जो कुछ भी काश्त करना चाहे कर सकता है, उसके खिलाफ किसी प्रकार का जुर्म नहीं बने। अगर सरकार का इन्टेन्शान एग्रीक्लचर इयर के प्रारम्भ होने के बाद या एक-दो दिन पूर्व

[श्री भैरूंसिंह]

पहुँचता है तो इससे काश्तकार को बहुत नुकसान होता है। उसको जमीन की बुवाई करनी पड़ती है, जमीन में खाद देना पड़ता है, जमीन को इस तरह तैयार करना पड़ता है कि बरसात के शुरू होने के साथ ही वह अनाज बो सके। जैसे किसी इलाके में सरकार चना बुवाना चाहती है, खेती कई प्रकार की होती है, चने की खेती भी होती है गेहूँ और जौ की खेती है। जिस खेती में गेहूँ बोये जाते हैं तो उसके लिए काफी मेहनत की आवश्यकता रहती है बनिस्बत चने की खेती के। अगर सरकार के इन्टेन्शन की काश्तकार प्रतीक्षा करता रहे और यह देखता रहे कि जबतक वहां से किसी प्रकार की हिदायत नहीं आये तब तक किसी प्रकार की कोर नहीं करे तो इससे काश्तकार का काफी नुकसान होगा। इस तरह से मेरे इस संशोधन को मानने से दो पर्पज़ सर्व हो सकेंगे; एक तो कोई कागज रेड टेपिज्म का शिकार नहीं होगा और दूसरा सरकार अपने इन्टेन्शन को ज़ाहिर करने में ढिलाई नहीं करेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि एग्रीकल्चर इयर प्रारम्भ होने के एक माह पूर्व सरकार का इन्टेन्शन का पता काश्तकार को हो जाना चाहिये। मैं सदन से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इन तीनों संशोधनों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और इसको स्वीकार करवाने में मुझे सहायता दें।

श्री मानसिंह महार—I want to support his amendment.

श्री अध्यक्ष—First let us take all the amendments.

श्री मानसिंह महार—I will do it afterwards.

श्री चांदमल मेहता—Mr. Speakar, Sir, I beg to mave the following amendment to clause 3 :—

"Add the following to proviso to sub-clause (1):-'Provided farther that the intention of the Government so published in the Rajasthan Gazette shall also be notified by beat of drum in the locality concerned.' "

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज तीन के मुताबिक सरकार यह अधिकार चाहती है कि किसी भी खास क्षेत्र में किसी भी खास फसल को काश्त कराने के बारे में आज्ञा दे सकती है। इस तरह की आज्ञा देने के पहले जो सरकार का विचार होगा वह गजट में प्रकाशित किया जायगा। जहाँ तक गजट में किसी आज्ञा के प्रकाशित करने का प्रश्न है इसके लिये मेरा निवेदन है कि गजट देहातों में नहीं पहुँचते; बल्कि उपगृह मन्त्री ने एक प्रश्न के उत्तर में यहाँ तक स्वीकार किया था कि कई कई पुलिस स्टेशन्स तक में गजट नहीं जाता है। तो किसी आज्ञा के गजट में शाया हो जाने से वह सूचना किसानों तक नहीं पहुँच पायेगी, इसलिये मेरा संशोधन यह है कि जो भी आज्ञा सरकार दे किसी भी क्षेत्र के लिये, वह आज्ञा डूंडी पीटकर वहाँ के निवासियों को बताई जाय। वह आज्ञा सरकारी गजट में तो शाया हो ही, साथ ही डूंडी पीटकर भी उस आज्ञा को प्रसारित करना चाहिये। मेरा यह साधारण

[श्री चाँदमल मेहता]

अमेंडमेंट है। आशा है माननीय मन्त्री महोदय इस क्लॉज तीन में जो मेरा अमेंडमेंट है उसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I beg to move the following amendment to clause 3:—

"Add the following further provision at the end of sub-clause (1):

'Provided further that when any such order is issued the State Government shall afford all facilities to the cultivators to make such a change and shall for the first three years from the commencement of such an order reimburse the cultivators of any losses which they may have to undergo to introduce such a change in crops.' "

इस धारा पर काफी देर से बहस चल रही है और जैसा कि मेरे कुछ मित्रों ने जिक्र किया, सारे के सारे बिल में यही एक धारा है जो एक प्रकार से अलग-सी धारा है। मैं तो यहाँ तक कहने में कोई अत्युक्ति नहीं समझता कि यही एक धारा ऐसी है जो कि अलग बिल का विषय बनने के काबिल है। किसी के पास पड़त जमीन पड़ी हो और उसे दूसरों को काश्त के लिये दे या देने के लिए मजबूर किया जाय, यह एक जुदा विषय है। लेकिन एक काश्तकार को इस प्रकार के आदेश देना कि वह अपने खेत में से, अमुक हिस्से में अमुक प्रकार की काश्त बोये, यह एक बहुत ही ज्यादा गम्भीर चीज है। इस बिल को सरासर इस तरह लाना ठीक बात नहीं है, लेकिन चूंकि अब समस्या हमारे सामने नहीं है, हम जिस पर बहस कर रहे हैं, तो हमें इसको किसी उसूल की दृष्टि से हल करना पड़ेगा।

संविधान में एक बात का अधिकार है और वह अधिकार यह है कि भारत के किसी भी नागरिक को अपना पेशा या अपना रोजगार बेरोकटोक करने का मौका दिया जावे और उसके इस अधिकार पर कोई गैर वाजिब पाबन्दी नहीं लागू की जावेगी।

काश्तकार का भी यह रोजगार है, पेशा है और यह दुनियाँ जानती है कि जैसे कुछ सामान बनाने का या कोई कारखाने का मामला है, वैसे ही काश्त में भी the law of the market operates. बाजार में जिस चीज की कीमत ज्यादा है, जल्दी और आसानी से जो बिक सकती है और जिसका अच्छा पैसा वसूल होता है अमूमन एक काश्तकार की यह कोशिश होगी और होना भी चाहिये कि वह सबसे ज्यादा काश्त उसी की करेगा, बशर्ते कि वह पैदा हो सकती हो। इसके विपरीत राज्य सरकार यह चाहती है कि समाज के लिए जो आवश्यक हो वह क्रॉप वह पैदा करे। तो इस प्रकार एक काश्तकार का जो हित है उसके बीच में, एक वर्ग का और सारे समाज का जो हित है, उसके बीच में, दोनों के बीच में थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करने का सवाल आता है और जो धारा इस बिल में रक्खी गई है, माननीय

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अध्यक्ष, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वह केवल वन साइडेड एडजस्टमेन्ट (one sided adjustment) है। वह एक तरफा एडजस्टमेंट है। सारे समाज की दृष्टि से क्या उपयोगी होगा, इसका ख्याल रक्खा गया है, जैसे कि यदि आवश्यकता हो तो अमुक-अमुक काश्त पैदा करने के लिए एक आदेश जारी कर दिया जावे, ऐसा अधिकार इस कानून द्वारा सरकार ने लिया है लेकिन यह तो केवल एक पहलू हुआ इस सारे के सारे मसले का।

दूसरा पहलू यह भी तो हो सकता है और है कि यदि इस प्रकार के आदेश जारी किये जावें और इस वजह से उस काश्तकार को माली नुकसान हो; मसलन, आज मान लीजिये कि बाजार के अन्दर सरसों का भाव या तिल्ली का भाव ज्यादा चल रहा है और चूंकि वह एक मनी क्रॉप है, लोग उसे बड़ी तादाद में काश्त कर रहे हैं और अनाज का कम; ऐसा महसूस हो रहा हो तो राज्य सरकार आदेश देगी कि आप अनाज, गेहूं जैसी चीजें ज्यादा बोओ, पैदा करो और गेहूँ का भाव, मान लीजिये कि यू०पी० में आज परिस्थित यह है कि गेहूँ का भाव इतनी तेजी से गिरता जा रहा है कि यू०पी० की सरकार को एक आदेश शाया करना पड़ा कि हम दस रुपया मन से कम भाव किसी भी हालत में इसका नहीं होने देंगे। इस प्रकार की नीति यू०पी० की सरकार ने अपनाई कि अगर ऐसी नौबत आ जावे कि १० रुपया मन से भी नीचे भाव जाने लगे तो राज्य सरकार इसे देखेगी और रोकेगी, इसका इन्तजाम करेगी, और तय यह हुआ कि आवश्यकता होगी तो वह इस भाव पर गेहूं खरीदेगी और ऐसा इन्तजाम करेगी कि दस रुपया मन से नीचे भाव न जावें। तो जैसी आज यू० पी० में परिस्थिति है, कल अपने यहां यह परिस्थिति हुई कि जो फसल बोने का आदेश राजस्थान सरकार ने दिया है उसकी मार्केट वेल्यु बहुत कम है और ऐसा होता है तो यह भी माली नुकसान काश्तकार को होगा। तो, इस माली नुकसान की भरपाई कौन करेगा ? यह है प्रश्न।

और मैंने जो संशोधन रक्खा है इसमें इसी बात का जिक्र है कि कम से कम और कुछ नहीं तो पहले तीन वर्ष तक इस प्रकार की काश्त के रद्दोबदल का आदेश देने के बाद या लागू होने के बाद पहले तीन वर्ष तक जो भी माली नुकसान काश्तकार का हो वह राज सरकार को रिकूप (recoup) करना चाहिये। यह जो चीज मैंने रक्खी है, माननीय अध्यक्ष, यह कोई नई नहीं है। भारत में और जिस भारत में कि चुने हुए लोगों की सरकार थी, अब कायम नहीं है। अंग्रेजों की यह सरकार थी, एक एकतन्त्री सरकार थी। उस सरकार के जमाने में भी १९४३ से १९४६ तक ऐसे आदेश उस समय सरकार के जारी थे कि अगर मनी क्रॉप से गेहूँ या इस प्रकार की फूड क्रॉप्स की ओर, अपनी खेती को ओर डाइरेक्ट करेंगे तो उन किसानों को फी एकड़ दो रुपया से छःरुपया तक सबसिडी (subsidy) दी जावेगी। ऐसा आदेश सन् ४३ से ४६ तक भारत सरकार का रहा है और इस प्रकार की सबसिडी दी गई है।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूं, माननीय अध्यक्ष, कि सन् १९२९ में जब कि एक बहुत बड़ा मन्दी का संकट आया और जिसका असर भारत नहीं सारे विश्व पर पड़ा था और सन् ३१ में बरार में, जहां कि बहुत बड़ी तादाद में रूई की काश्त होती है वहां इस क्रोप का भाव

Page No.38

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

गिर गया और वह फसल करना करीब करीब काश्तकारों ने बन्द कर दी और जब अगले साल पूरी फसल कपास की नहीं हुई तो मध्य प्रदेश की सरकार ने एक एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक खोल कर काश्तकारों को इस कपास की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए फ्री कर्जा तो दिया ही लेकिन यह भी तय किया कि प्रति एकड़ जौ या कपास की फसल करने के लिए जो आदमी दूसरी कैश क्रॉप्स से कपास की क्रॉप के ऊपर डाईवर्ट करेगा उसको दो रुपया एकड़ के पीछे सबसिडी दी जावेगी और ऐसी चीज अगर मालूम करेंगे आप तो अलग-अलग राज्यों में भी मिलेगी। भारत सरकार के आदेश का तो मैंने ऊपर जिक्र किया, और मध्य प्रदेश सरकार के आदेश का भी जिक्र किया और आज जब कि बड़े बड़े बुनियादी अधिकार जनता को यह राज सरकार देने की बात करती है और देना चाहती है वही आज चाहती है कि राज्य सरकार समाज की प्रतिनिधि इस रूप में सामन्य पैदावार में, किसानों के सामन्य रोजगार में, उनके व्यापार में दखल करे तो यह निश्चित और स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिये कि उसका किसी भी वर्ग को नुकसान करने का इरादा नहीं है और विशेष करके मेहनत करने वाले जो गरीब वर्ग काश्तकार हैं, खुद काश्त करते हैं और बाजार की ओर नजर लगाये, पैदा करते हैं, उनको अगर माली नुकसान हो, सरकार के किसी आदेश से तो इसको रिएम्बुर्स करने के लिए इस सरकार को तैयार रहना चाहिये और अगर इस प्रकार की तैयारी सरकार की नहीं है तो उसे फिर ऐसे आदेश देने का अधिकार अपने पास नहीं लेने चाहिये।

मैं, सिर्फ भारत में ही ऐसी बात हो, इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यदि हम देखें तो दुनिया के अलग अलग मुल्कों में भी यही तरीका है। मेरे माननीय मित्र चौंके नहीं, मैं किसी और मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। अमेरिका जैसे मुल्क में भी प्रेसिडेन्ट रूज़वेल्ट के जमाने से एक प्रथा चालू की गई है, जिसका नाम नोयला है और इसके मातहत एक कायदा बना है कि जब जब राज्य शासन की ऐसी मंशा हो कि अमुक अमुक फसल तादाद में ज्यादा हो चुकी है और अधिक पैदा करने की वजह से शायद उनकी खुद की व्यवस्था को, पूंजीवादी हालत को खतरा पैदा हो जावेगा या और कोई दूसरी फसल की अधिक जरूरत होगी तो उन्होंने यह कार्यक्रम बनाया है कि उसके एकरेज को रोक दिया जावे और आगे की पैदावार पर प्रतिबन्ध लगा दिया जावे। पर साथ साथ यह भी दर्ज है उस कानून में कि इसके लिए उस किसान को सबसिडी दी जावे। चूंकि उनको काश्त करने से रोका जा रहा है, फिर वह किसी भी कारण से क्यों न हो, उनका माली नुकसान हो रहा है, सारे समाज के लिए जरूर फायदा हो। पर जिसके कारण उस काश्तकार को नुकसान हो रहा है तो समाज उस काश्तकार के माली नुकसान को पूरा करेगा। इस सिद्धान्त को मानकर उसे सबसिडी देने की बात तय की गई। समाज के कारण अगर किसी को नुकसान होता हो तो उस नुकसान को समाज भुगतेगा। यह है उसूल। और ऐसे बुनियादी अधिकार लेते समय और किसी को ऐसे आदेश देते समय लोगों के रोजमर्रा के काम-काज, रोजगार या आजीविका के साधनों में कुछ आदेश देकर दखल करने या अधिकार लेने से पहले राज्य सरकार को इस उसूल को भी कबूल करना चाहिये कि उसके आदेश से किसी को अगर आंशिक माली नुकसान हो, कम से कम उस मेहनत करने वाले सामान्य वर्ग को अगर माली नुकसान होता हो तो उसको रिएम्बुर्स करना ही चाहिये।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अन्त में मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। इस कानून को पास कराने वाले मित्रों का ध्यान, मैं माननीय मुख्य मंत्री और सदन के नेता के उस बयान की ओर दिलाना चाहूंगा जो उन्होंने आज से कुछ महीनों पहले इस सदन के फ्लोर पर दिया था।

उन्होंने यह कहा था कि हम राजस्थान के एक पटिक्युलर वर्ग की जिन्दगी में तब्दीली कर रहे हैं और उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उस तब्दील में उनकी आदत हो जाय, उस आदत का मौका देने के लिए कुछ समय तक इस जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं कुछ अपनी ओर से। उनका इशारा था राजस्थान के भूस्वामी, एस्टेट होल्डर्स हैं उस वर्ग की ओर। आज राजस्थान के करोड़ों काश्तकारों की जिन्दगी में आप तब्दीली करने का अधिकार ले रहे हैं, उनके रोजगार के ऊपर रोक-थाम करने का अथवा इस प्रकार का आदेश देने का, जिससे कि उनका माली नुकसान हो; आप अधिकार ले रहे हैं, एक तरह की उलझन पैदा कर रहे हैं उनके आर्थिक ढांचे में, एक तरह से डेफिसिट पैदा कर रहे हैं उनके बजट में और आप देखते हैं कि बजट को पूरा करने के लिए सरकार जो कस्टम बन्द करना चाहिए था किन्तु बजट में पैसा नहीं होने के कारण अभी तक बन्द करने में हिचकिचाहट है तो उसे उस मेहनत करने वाले गरीब काश्तकार के बजट के बारे में भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जो आज तक इस प्रकार का उसूल मानकर चलती आने वाली सरकार है वह एक विशेष वर्ग के लिए इतना खयाल रखती है उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए खास व्यवस्था की जाय। उसके साथ काश्तकारों को नुकसान हो उसके बारे में इस प्रकार का कोई मुआवजा देने की बात नहीं है। मेहनत करने वाले किसान को, मेहनत से पैदा लेने वाले को दृष्टि से, कुछ रोजगार की दृष्टि से, कुछ कमाई की दृष्टि से पैदा करता है। उससे कहें कि तू पैदा मत कर और फिर भी उस नुकसान का मुआवजा देने का कानून नहीं बनायें तो यह घोर अन्याय होगा, एक गैरवाजिब बात होगी। जो मूल अधिकार हैं उसके विरुद्ध या उसके विपरीत होगा इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कम से कम मोरल्ली वह मूल अधिकारों के बिल्कुल विपरीत होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को स्वीकार करने के लिए रेवेन्यू मन्त्री की स्वीकृति हेतु इसे प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, श्री भैरोंसिंहजी ने जो क्लाज ३ में अमेंडमेंट सदन के सामने रखे हैं उनका समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि वर्तमान युग के अन्दर जब कि सरकार के अन्दर रेड टेपिज्म इतना बढ़ा हुआ है, उस समय यह जो भैरोंसिंहजी का प्रस्ताव है कि यह जो संशोधन है कि एग्रीकल्चर इयर से कम से कम एक महीने पहले इस बात का एलान हो जाना चाहिए; यह बात एक बहुत ही वाजिब चीज है। आज तक हम देखते आए हैं कि अगर कहीं आग लग जाती है और उसकी सहायता के लिए या और किसी प्रकार से अगर दरख्वास्त देकर सहायता की माँग की जाती है तो आग लगने के महीनों बाद उसके कागजात सेक्रेटेरियेट से निकलते हैं। ऐसी सूरत में अगर सरकार इस प्रकार की चीज को नोटीफाई करेगी और जिस समय काश्तकार किसी पर्टिक्युलर क्रोप के लिए अपनी जमीन को तैयार कर लेगा और उस समय सरकार यह कहेगी कि उस जमीन के अन्दर, उस इलाके के अन्दर इस चीज की खेती होनी चाहिए, क्योंकि इस चीज की कमी

[श्री मानसिंह महार]

है, तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूँगा कि यह चीज काश्तकार के लिए बड़ी ही मुश्किल की चीज होगी। वह मुश्किल को ही नहीं किन्तु इस बात से आर्थिक हानि होगी । इसकी सदन के सामने एक-दो मिसाल रखता हूँ। हमारे इलाके के अन्दर मिर्ची की खेती बहुत होती है। जो मिर्ची बोई जाती है उसमें फी बीघा १५००) रु० की मिर्ची पैदा होती है, लेकिन एक तरफ जब मिर्ची पैदा होती है तो दूसरी तरफ एक बीघे के अन्दर काश्तकार को कम से कम ५००) रु० का खाद डालना पड़ता है। अगर ५००) रु० या ४००) रु० की कीमत से कम खाद डाला जाय तो मिर्ची पैदा नहीं होती। अगर एक काश्तकार अपनी जमीन के अन्दर, जैसा कि वह हमेशा से करता आया है, वैशाख के महीने में ५००) रु० बीघे के हिसाब से खाद डालने वाला है और जेठ के महीने में या आषाढ़ के महीने में सरकार यह नोटीफाई करती है कि क्योंकि फूड क्रॉप्स की कमी है तो उस इलाके में फूड क्रॉप्स होना चाहिए, जैसी कि इस बिल की मन्शा है। इस प्रकार का अगर नोटीफिकेशन निकलता है तो मैं, अध्यक्ष महोदय, बताना चाहता हूँ कि अगर वह काश्तकार ५००) रु० बीघे में खाद डालकर और उसमें फूड क्रॉप्स पैदा करता है तो उसको हर हालत में उसकी मेहनत और मजदूरी तो दूर उसके खाद की कीमत भी नहीं मिल सकती है। इसलिए इस प्रकार की सरकार की जो कार्यवाही है वह पहली चीज यह हो कि कम से कम महीने भर का तो प्रायर नोटिस होना चाहिए ताकि वह काश्तकार सचेत हो जाय और इस प्रकार का खाद वगैरह नहीं खरीदे।

दूसरी चीज यह हो जाती है कि अगर आपका नोटिस देर से आया होता है और खाद डाले नहीं, शायद आप ऐसा कहें, लेकिन खाद डालता भी नहीं है, लेकिन अगर वह खाद खरीदता है तो वह खरीदा हुआ खाद बेकार हो जाता है। अगर एक आदमी के पास ५ बीघा जमीन है और उसके लिए वह दो-ढाई हजार रुपये का खाद खरीद लेता है और फिर उसे फूड क्रॉप्स की काश्त करने के लिए कहते हैं तो वह खाद बेकार हो जाता है, क्योंकि फूड क्रॉप्स में २००) रु० या २५०) रु० का खाद डालेगा, न कि दो हजार ढाई हजार रुपये का। इस प्रकार की परिस्थिति को सरकार को गंभीरता-पूर्वक सोचना चाहिए।

दूसरी चीज यह है कि आप लोग काश्तकारों पर ही क्यों आघात करते हैं। शहर में ५० प्रकार की फेक्ट्रियाँ होती हैं, मगर देखते हैं कि वहाँ इस प्रकार के प्रोडक्शन पर रोक-थाम सरकार नहीं लगाती है इस प्रकार की बात नहीं करती है। अगर कोई लड़ाई का जमाना होता या ऐसी ही कोई बात होती और सरकार कोई बात रखती तो हम वाज़िब मान लेते, लेकिन इस प्रकार से जो काश्तकारों के हक-हुकूक हैं उन पर आघात करने वाले कानून सरकार बनाती है, मैं जानता हूँ कि इसका जवाब यही मिलेगा कि यह तो हम विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार की बात करेंगे, रोज नहीं करने वाले हैं। इसके लिए मैं अर्ज करूंगा कि यह सदन मौजूद है। अगर कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आये तो आप इस प्रकार का कानून बना लें, लेकिन आज आप ऐसी बात क्यों करते हैं जिससे कि काश्तकारों का आर्थिक ढाँचा बिल्कुल बदल जाय। यह अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की क्लाजेज़ हैं, बड़ी ही क्रान्तिकारी चीजें हैं उनसे गाँवों की जो इकोनोमी है उसको बहुत भारी नुकसान

Page No.41

[श्री मानसिंह महार]

होने वाला है और मैं यह बात खास तौर से इसलिए कहता हूँ कि आज हमारी सरकार अभी तक गाँवों में नहीं पहुँच सकी है। यह एक सही स्थिति है। यह कह देना कि आज हमने सब कुछ कर लिया है, यह बिल्कुल गलत है। मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल भी देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आजकल जो काश्तकारों से सम्बन्धित डिपार्टमेंटस हैं वे कितनी ढिलमिल नीति से चल रहे हैं। इसकी एक मिसाल दूंगा। जयपुर शहर में जो कम्पोस्ट होता है उसको गाँवों में वितरण करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास एक ट्रक है

अध्यक्ष महोदय, वहाँ कम्पोस्ट है ही नहीं। आजकल जयपुर के बाहर आस-पास के गाँवों में जाकर कंपोस्ट का वितरण करना चाहिये, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज ट्रक खराब हुए ३ महीने हो गए और अब तक वह सुधर नहीं पाए हैं। मैं डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर, डिप्टी डाइरेक्टर और दूसरे जितने इस विभाग के अफसर हैं उनसे सबसे मिल चुका हूँ और मैंने उनसे कहा कि काश्तकार चिल्ला रहे हैं कि कंपोस्ट नहीं मिलता उनको कंपोस्ट जल्दी देना चाहिये। पहले ६ ट्रक थे वहाँ अब एक ही रह गया है और अब वह एक भी खराब पड़ा है। कम्पोस्ट पड़ा सड़ रहा है और काश्तकार चिल्ला रहे हैं कि कम्पोस्ट चाहिए। आस-पास के गाँवों के लोग, मेरी कान्स्टीटुएन्सी के लोग कम्पोस्ट चाहते हैं। आप यदि कोई कानून बनाते हैं कि जयपुर के आस-पास १० मील में साग सब्जी की कमी के कारण किसी को काश्त नहीं करनी चाहिये और साग-सब्जी पैदा करनी चाहिये। साग-सब्जी के लिए कम्पोस्ट की बहुत जरूरत है, उसके बगैर पैदा नहीं होता। एक तरफ तो इस प्रकार के कानून बनाते हैं और दूसरी तरफ आपकी मशीनरी इतनी ढिलमिल है कि वह कोई काम नहीं करती। एक अफसर कहते हैं कि इसको सुधारने के लिए भरतपुर भेजेंगे और एक साहब कहते हैं कि यह जयपुर में सुधर नहीं सकती एवं एक साहब कहते हैं हमने प्राइवेट तौर पर सुधरवाने के लिए टेन्डर माँगे हैं, नोटिफिकेशन निकाला है। आप नोटिफिकेशन निकालने में वक्त जाया करते रहेंगे तो कैसे पार पड़ेगा? ऐसी सूरत में काश्तकारों को नुकसान पहुँचेगा। यदि हमारी मशीनरी ठीक हो जाय और बाद में इस प्रकार की बात कही जाय तो मैं समझूंगा कि यह वाजिब है।

एक संशोधन यह रखा गया कि १/४ से ज्यादा पर नहीं होना चाहिये, १/४ क्रोप करने के लिए होनी चाहिए। मैं एक छोटी सी चीज आपसे निवेदन करूंगा कि आप किसी चीज को नोटीफाई करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। यह डिस्ट्रिक्ट में नहीं करेंगे तो तहसील में करेंगे, तहसील में नहीं करेंगे तो सब तहसील में करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि सब तहसील में तो क्या, यदि आप गाँव में भी करते हैं तो गाव में कूए कूए में फर्क होता है। किसी कूए का पानी खारा होता है और किसी में मीठा पानी होता है। यदि आप चाहें कि खारे पानी में फोडर क्रोप बोई जाय और फूड क्रोप मीठे पानी में बोई जाय तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि फोडर क्रोप खारे पानी में नहीं लगती, मीठे पानी में अच्छी लगती है। खारे पानी में बहुत कम तादाद में आती है। इस डिफिकल्टी को कभी सरमाउन्ट नहीं कर सकते। मन्त्रीजी यदि फरमा दें कि हम जाँच करेंगे तो क्रोप खुद कर साफ हो जायगी, तब तक आप जाँच पूरी नहीं कर सकेंगे। मेरे मित्र का संशोधन सब्सटेन्शियल (ठोस) और वाजिब है। यदि सरकार उसे मन्जूर कर ले तो बहुत डिफिकल्टी सोल्व हो जायगी। फिर जब एफिसियेन्सी इतनी बढ़

[श्री मानसिंह महार]

जाय कि जो काम है उसको अच्छी तरह से पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं रहे तो जिस प्रकार का बिल आया है उसको पास कर लें। लेकिन जब तक सरकार की ढिलमिल नीति को ठीक नहीं किया जाता, तब तक कोई गुंजायश रखना वाजिब है।

इसके अलावा श्री चाँदमलजी ने जो संशोधन रखा है वह माइनर है। यह मैं भी समझता हूँ कि गजट गांवों में नहीं पहुँचता और जब गजट गाँवों में नहीं पहुँचता तो गाँव वालों को किसी भी चीज की इत्तला नहीं मिलती। गजट के नहीं पहुँचने से और इत्तला नहीं मिलने से काफी अनर्थ हो जाता है। सरकार की तरफ से कोई गाँव में जाकर काश्तकारों से यह नहीं कहता कि तुम ऐसा करो। जब काश्तकार अपनी जमीन में हमेशा की तरह काश्त कर लेंगे तो उसके बाद सरकार के पटवारी और तहसीलदार वहाँ जायेंगे और काश्तकारों से कहेंगे कि फलां कानून में इस प्रकार की बात थी तुमने ऐसा कैसे किया, तुम्हारी काश्त उथल दी जायगी। तब काश्तकार कहते हैं कि हमें पता नहीं था, तुम कुछ ले-देकर हमारा पीछा छोड़ो। जब सौदा तय हो जायगा तब रिपोर्ट करेंगे कि अब की तो गलती हो गई इसलिए इस बार माफी दी जाय। श्री चाँदमल जी ने जो बीट ऑफ ड्रम की बात कही है वह मन्जूर कर ली जाय तो अच्छा रहेगा। मालूम होते हुए भी कुछ लोग इवेड (evade) करने की कोशिश किया करते हैं लेकिन यदि ड्रम बीट करेंगे तो इवेड करने की भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। यह चीज रोजाना टोबेको टेक्स के सिलसिले में हो रही है। सरकार ने मिनिमम लिमिट रखी है कि काश्तकार इतनी तमाखू रख सकेंगे फिर भी तमाखू के इन्सपेक्टर जब वहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि हम सारे पर टेक्स लेंगे। जब सौदा हो जाता है तो कहते हैं कि इतना छोड़ देंगे। यह रोजाना की बात है। यह संशोधन रीजनेबल है। मैं समझता हूँ कि इन संशोधनों को अवश्य ही माननीय मन्त्री जी मन्जूर कर लेंगे।

श्री गोपीलाल यादव—इस धारा पर जो संशोधन पेश किये गये हैं उन पर मैंने गौर किया और इस धारा पर भी, मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि जो संशोधन रखे गए हैं उनको मान भी लें तो भी इस धारा को रखना उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस धारा को निकाल ही देना चाहिये।

एक मित्र ने संशोधन रखा है कि कम्पेन्सेशन दिया जाय। यह वाजिब है कि नुकसान का कम्पेन्सेशन मिलना चाहिये लेकिन एक एरिया में हजार किसान हैं और हजार क्लेम्स को एन्टरटेन करना, एडजस्ट करना, हिसाब लगाना, मन्जूर करना, पास करना बहुत मुश्किल हो जायगा। नतीजा यह होगा कि इतना वर्क बढ़ेगा कि गवर्नमेंट अपने स्टाफ को चौगुना करदे तो भी पूरा नहीं पड़ सकेगा। इसी तरह की और भी कई दिक्कतें हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सैकड़ों वर्षों या हजारों वर्षों से सिस्टम चला आ रहा है कि हरेक आदमी जहाँ जिस चीज की जरूरत होती है, पैदा करता है। हमारा मुल्क काफी बड़ा है, पहले वाटर टाइट कम्पार्टमेंट थे जब कि जयपुर से भरतपुर अनाज नहीं आ सकता था और वहां से आगरा नहीं जा सकता था। इस जमाने में ऐसी बात नहीं है। अब भारतवर्ष एक हो

Page No.43

[श्री गोपीलाल यादव]

गया है। उसमें एक इलाके में जवार पैदा होती है और वहाँ गेहूँ पैदा नहीं होते और दूसरे इलाके में बाजरा पैदा होता है और चावल पैदा नहीं होते, तो आजकल इस पैदावार को हमारे व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर पहुँचा देते हैं और लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। सन् १९४७ के बाद अनाज की कमी हो गई जबकि पाकिस्तान बना। उस जमाने में भी सरकार को इस बात की आवश्यकता नहीं पड़ी कि ऐसी चीज करे। अनाज का भाव बढ़ गया, वह महंगा हो गया। जब मंहगा हो गया तो निश्चित तौर पर किसान अनाज अधिक बोवेंगे। ऐसा ऑर्डर कब दिया जाता है? जब अन्धाधुन्ध गेहूँ पड़ा हो तब कोई गवर्नमेंट यह नहीं कहेगी कि गेहूँ उगाओ। जब अनाज नहीं होता है तब मजबूर किया जाता है कि अनाज बोओ।

तो मैं आपसे यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जब अनाज नहीं होगा तो अनाज मंहगा होगा, अनाज मंहगा होगा तो किसान जरूर अनाज बोयेंगे। किसान वही चीज बोता है जो मंहगी हो। अगर आपके ऑफिसर्स यह प्रोपेगेन्डा ही करें कि इस फसल से तुमको मालो फायदा होगा, तुम इस चीज को बोओगे तो इतना फायदा होगा और इस चीज को बोओगे तो इतना नुक्सान होगा, तो काश्तकार वही चीजें बोयेंगे जिनके बोने में कि उन्हें फायदा बताया जायगा, और दूसरी चीजें नहीं बोयेंगे।

परन्तु, इस प्रतिबन्ध से गवर्नमेंट किसानों के मजबूर करे कि वह यही चीज बोयें, यह अनुचित है। एक आदमी के पास २ बीघा जमीन है, दूसरे काश्तकार के पास ५ बीघा जमीन है, कोई काश्तकार एक बीघा जमीन में २ क्यारी फोडर की सींच रहा है, तो दूसरा काश्तकार ५ क्यारी बना रहा है, ऐसी सूरत में उन पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना न तो इकोनोमिक ही होगा और न इसका इन्तजाम ही हो सकता है।

हाँ, गवर्नमेंट बड़े-बड़े जो फार्म्स हैं उनके मालिकों को कहे कि वे अपने फार्म्स में अमुक चीज बोवें; पर इसकी आवश्यकता अभी तक सरकार की ओर से महसूस नहीं की गई है। हम नहीं चाहते कि किसानों पर और आम जनता पर इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये जाँय। पब्लिक और किसानों की जो आजादी है उसको हम रोजमर्रा कानून के नाम से छीनते रहें और उनके घरों में दखल करते रहें तो यह उचित नहीं होगा। आज आप यह कह रहे हैं कि यह चीज बोओ और कल यह कहेंगे कि यह दूसरी चीज बोओ, और फिर कोई दूसरा कानून बनायेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि आप इनके जीवन को पैदा होने से मरने तक इतना टाइट कर रहे हैं कि वे स्वतन्त्रता अनुभव नहीं कर सकें। मैं कॉम्युनिज्म के खिलाफ इसीलिए हूँ कि इसमें व्यक्ति की स्वतन्त्रता नहीं है, एक पल्टन की तरह आम लोग प्रतिबन्ध में बन्धे रहते हैं।

ऐसा प्रतिबन्ध लगाने से करप्शन फैलेगा, गड़बड़ी पैदा होगी, कई लोगों पर मुकदमें

[श्री गोपीलाल यादव]

चलेंगे कि इसने प्रोप्रोर्शन से ज्यादा बो दिया, इसने फलां चीज बोई नहीं और इस तरह एक मुसीबत खड़ी हो जायगी।

मिस्टर नेहरू और किदवई इस वक्त चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं कि हमने फूड प्रोब्लेम हल कर ली, नहरी योजनाएं व घाटी योजनाएं बन रही हैं, ईश्वर की दया से वह भी २-३ साल में पूरी हो जायंगी तो फिर कहीं अमेरिका की तरह हमारे यहाँ भी अनाज को समंदर में न डुबाना पड़े। सवाल यह है कि क्या गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास नहीं है ? हम रोज देखते हैं कि ऊपर से कागज चलता है और कलेक्टर के पास आता है तो कलेक्टर लिख देता है कि एस. डी. ओ. रिपोर्ट करे, एस. डी. ओ. लिख देता है कि तहसीलदार रिपोर्ट करे, तहसीलदार लिख देता है कि गिरदावर रिपोर्ट करे, गिरदावर लिख देता है कि पटवारी रिपोर्ट करे और फिर पटवारी उस कागज पर रिपोर्ट करता है और फिर वही रिपोर्ट गिरदावर, तहसीलदार, एस. डी. ओ. के पास होती हुई कलेक्टर के पास पेश हो जाती है और उसी के माफिक काम हो जाता है। तो आज सबसे बड़ा अफसर एक पटवारी है जिसके लिए आप शिकायत करते हैं कि वह बेईमान है। इसका मतलब यह है कि शासन आप पटवारी के ऊपर छोड़ना चाहते हैं। यह प्रतिबन्ध लगाने से पटवारी किसानों से कहेंगे कि अब की तुमने सरसों बोई है अब तुमसे तुरई बोवा के रहूँगा, बाजरा बोवा के रहूँगा और उस पटवारी ने ऊपर एक रिपोर्ट कर दी कि यहाँ बाजरा नहीं है इसलिए बाजरा बोवाया जाय और आगे से हुक्म हो जायगा कि बाजरा बोवाया जाय और किसानों पर यह प्रतिबन्ध लगा दिया जायगा कि बाजरा बोया जाय ! कम्पेन्सेशन देकर आप कुछ बोवा नहीं सकते, ऐसा करने में आपको डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा, इन्तजाम आपसे हो नहीं सकेगा और रिश्वतें बढ़ेंगी। कम्पेन्सेशन देकर तो आप चाहे जो कर सकते हैं, पर वह आप कर नहीं सकते।

चूँकि हम यहाँ ठाले बैठे रहते हैं इसलिए लेजिस्लेशन की बाढ़ आ गई है। कानून बनायें तो क्या बनायें; या तो टेक्स लगाओ या व्यक्ति की स्वतन्त्रता का हनन करो।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह व्यक्ति की स्वतन्त्रता का हनन है, इसलिए आप इस क्लॉज को छोड़ दीजिये।

श्री ईश्वरी सिंह—जो आप कानून बणाता हो वे आपणा देश की बातां देख कर बणाता हो या दूसरा देशां की बातां देख कर बणाता हो। तो मैं आप लोगों सूँ अर्ज करूँला के अठे ओ मुल्क है वो सारॉं सूं नहीं लगवा हालो मुल्क है क्यूं के अठे तरह तरह की जमीन है। जमीन में काश्तकार जो काश्त करे हैं वो फिरवां काश्त किया करे हैं। जीं जमीन में काश्तकार गवार बावे उण जमीन में दूसरी साल काश्तकार बाजरो बोया करे है; क्योंके गवार बोवा सूं दूसरी साल बाजरा की फसल ठीक होवे। पहली कम सूं कम मूंग भावे हा। पहली और नाज मंदो हो तो भी मूंग ४ सेर का बिकता हा। जीं जमीन में मूंग भा ले तो बठै २ साल बाजरो नहीं होवे। दूसरी चीज या है के जमीन

[श्री ईश्वरी सिंह]

जो इलाका सीकर की है वींमें आधी जमीन पड़त राखणी पड़ती। वीं पडी जमीन को लगान काश्तकार५,६ साल तक देतो अबार जमीन की कटयाई है तो तीन हिस्सा की जमीन पड़त राखणी पड़े है और सरकार ने लगान देणो पड़े है। तो फिर काश्तकार आगे ही दबियोड़ो है ही, फेर सरकार ने ई चीज की पाबन्दी लगाणे की जरूरत नहीं। जमीन तरह तरह की है। अठे आम नीपजे है और सीकर सूं बीकानेर की सरहद तांई खेजड़ी नीपजे है। आम क्यूं के मीठा वे है तो सरकार हुक्म दे के आम बोया जाय, खेजड़ियां कटवा दी जाय, तो बठे आम नहीं हो सके है। चॉवल भी मीठा होवे है, सरकार हुक्म दे दे के चावल बोवो तो बठे चावल होवे ही नहीं तो कठा सूं बौया जावे।

कुणसी जमीन में के निपज सके है या तो काश्तकार ही सोच सके है। अगर सरकार ने ई चीज को घमंड होवे तो करवावे काश्त फेर, मालूम हो जावे के प्राइम मिनिस्टर बतावे बकी जमीन में काश्त ठीक होवे है के काश्तकार बतावे वीं जमीन में काश्त ठीक होवे है।

किसी चीज, किसी जमीन में ठीक होवे है। चीज ने काश्तकार ही ठीक तरह सूं जाणे है। जकी चीज बठे नहीं होवे वा बठे बौया सूं नतो खाद दियां सूं हो सके है और न दूसरी कोई तरकीब काम में लायां सूं हो सके है। तो ई चीज की पाबन्दी लगावा की सरकार ने कोई जरूरत नहीं है।

देश देश की उपज देखने सरकार आ देखे के और दूसरा देशां में ए ए चीजां होवे है तो मैं भी अठे करां, पण वे अठे नहीं।

जीं तरह की काश्त देश देश में होवे काश्तकार की मंशा के माफिक होणी चाहिजे, सरकार की मंशा के माफिक नहीं होणी चाहिजे।

श्रीमती यशोदा देवी—माननीय अध्यक्ष, यह जो राजस्थान सरकार ने धारा रखी है इससे ऐसा जान पड़ता है कि सरकार ने सब बीमारियों के लिये जैसे कोई जलन्धर का रोगी है या कोई बुखार का रोगी है या अन्य किसी रोग से पीड़ित है, उन सब के लिये एक ही दवाई लागू की जावे; उसी तरह से यह कानून जो लागू किया जाता है वह सब एक ही तरह, जमीनों पर लागू किया जा रहा है। यह संभव नहीं हो सकता है। सरकार यह ऑर्डर निकाल दे कि सभी जमीनों में गेहूं बोया जावे या सभी जमीनों में चना बोया जावे या अन्य कोई धान बोया जावे, मगर मैं यह कहूँगी कि आदिवासी एरिया में ऐसी कई जमीनें हैं जहाँ पर गेहूँ या चने की फसल अच्छी नहीं होती। वहाँ सिर्फ मक्की और धान पैदा होता है। अगर ऐसी जमीनों के लिये सरकार यह कानून थोप दे कि इस जमीन पर गेहूँ ही बोया जावे तो बतावें कि वे काश्तकार किस तरह से उस कानून का पालन कर सकते हैं? अगर उन्हें वहाँ चने ही बोने के लिये कहा जावे या वहाँ पर उनको बाजरा ही बोने के लिये कहा जावे तो यह चीज तो वाजिब नहीं होगी। हमारे उधर अगर किसानों को जौ बोने के लिये कह दिया जावे तो कई किसान ऐसे होंगे जो जौ को पहिचानते ही नहीं, फिर वे उसे कैसे बोवेंगे? इसलिये मैं यह कहती हूँ कि यह कानून जो है बिल्कुल गलत है और इस कानून को कोई भी काश्तकार मंजूर नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष–(श्री सुखाड़िया की ओर संकेत करके) Yes, reply please.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, इस धारा पर मैं समझता हूँ कि काफी वाद-विवाद हुआ है। इस धारा को देखते हुए कुछ तो यह स्वाभाविक हो सकता है कि यह ख्याल होता है कि सरकार की मंशा यह है कि व्यक्तियों की स्वतन्त्रता पर सरकार किसी प्रकार का प्रहार करके उसमें दस्तन्दाजी करना चाहती है और इस बात को लेकर बहुत कुछ चर्चाएँ यहाँ पर हुई। मैं समझता हूँ कि ये चर्चाएं ज्यादा तर इस खयाल से हुई कि सरकार किसानों की पैदावार के के तरीकों में हस्तक्षेप करके उन्हें हानि पहुँचाना चाहती है। मैं समझता हूँ कि इस बिल की धाराओं और अन्य बातों को भी ध्यान में रखते हुए अगर इस पर पूरी तौर से विचार किया जावे तो यह मालूम होगा कि जो कुछ भी सरकार की तरफ से इस संबन्ध में आदेश दिये जावेंगे वे किसी भी हालत में किसानों को नुक्सान पहुँचानेवाले नहीं होंगे। दर असल जिस जमाने से हम गुजर रहे हैं उसमें हमें यह मान कर चलना चाहिये कि किसी भी समय इस बात की आवश्यकता हो सकती है कि हम हमारे यहाँ की पैदावार का युटिलाइजेशन (utilisathon) करें और इसकी जरूरत इसलिये नहीं होती कि हम किसी के जीवन स्तर को नीचे ले जाने की कोशिश करें। हम ज्यादा तरक्की किस प्रकार कर सकते हैं, हमें तो यह देखना है। किसी भी वक्त समाज में इसकी आवश्यकता हो सकती है और खास तौर से तब जब कि किसी चीज की कमी हम अनुभव करें। जिस चीज की कमी नहीं है और जो चीज ज्यादा है उस चीज के लिये तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिये उसके लिये इस प्रकार की की कल्पना करना कि सरकार आज्ञा देगी, गलत है।

दरअसल यह बात इसलिये रखी जाती है कि किसानों और देश को अधिक से अधिग लाभ हो और जिस चीज की कमी हो उस समय इसको काम में लिया जावे। मगर इस बात की कल्पना करते करते माननीय सदस्य इस हद तक पहुँच गये कि जहाँ पर गेहूँ पैदा होते हैं, वहां पर बाजरा और चना पैदा कर दिया जावेगा, जहां पर जव या गेहूँ होते नहीं, वहां पर जो या गेहूँ का आदेश दे दिया जावेगा। मैं यह समझता हूँ कि यह तो केवल कल्पना के आधार पर ही कहा गया है और मूल चीज को छोड़ दिया गया है। इस धारा में विशेष तौर से माननीय सदस्यों ने एक बात को देखा होगा कि हमने इस प्रकार के नोटिफिकेशन निकालने के बारे में न तो तहसीलदार को और न कलेक्टर को अधिकार दिये हैं। जो इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का नोटिफिकेशन निकाला जावेगा वह गवर्नमेंट की तरफ से हो सकेगा और गवर्नमेंट खुद इस बात को मानती है कि तहसीलदार व कलेक्टर जब चाहे इसको उपयोग में ले आवें, ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट जब मुनासिब समझे नोटिफिकेशन कर सकती है और इसके बाद में भी कुछ प्रतिबन्ध हैं जो इसके प्रोविजो को देखने से आपको साफ जाहिर होगा और उसमें कहा गया है कि नोटिफिकेशन के बाद में भी एक महीने भर में कोई भी व्यक्ति एतराज उठा सकता है और सरकार उस पर गौर करेगी। कोई भी व्यक्ति स्वीपिंग वे, (sweeping way) मैं अपना ऐतराज पेश कर सकता है और इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि काफी ऐतिहात बर्ता गया है।

इसके बाद यह कहा गया कि सारी की सारी जमीन पर खेती कर दी जावेगी। मैं यह भी

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

कह देना चाहता हूँ कि इस बारे में भी स्पेसिफिक प्रोविजन (specific provision) रखे हुए हैं और वह यह कि स्पेसेफिक पोर्शन ऑफ हिज़ होल्डिंग और यह निश्चित कर दिया जावेगा कि कितनी जमीन में कौनसी चीज के लिये आदेश होगा। अतः पूरी तरह से सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस धारा का समावेश किया गया है और मैं नहीं समझता कि किस प्रकार की गलत कल्पनाएँ इस सम्बन्ध में की जा रही हैं और उसी पहलू पर माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला और मेरे एक मित्र तो यहां तक बढ़ गये कि केपिटलिस्टों के कहने पर चलने वाली सरकार ने इस प्रकार की धारा को रखा है। इस संबन्ध में अब तक हमने जितने रेवेन्यू से संबन्धित लेजिस्लेशन पास किये हैं उनमें किसी के बारे में भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह केपिटलिस्टों के हित के लिये किया गया है। किसानों का किस तरह से हित हो सकता है, वह उसके स्वरूप सामने आये बिना और अच्छे पहलू पर विचार किये बिना और दूसरे पहलू पर विचार करना ठीक नहीं होगा।

आज जो हम लोग कानून बनाने जा रहे हैं उसका उद्देश्य हमारे सामने साफ है और वह यह कि किसानों और देश को लाभ पहुँचाना, न कि किसी को हानि पहुँचाना। यह क्लॉज़ जो रखा गया है वह एक एमर्जेन्सी क्लॉज़ के तौर पर इन सारी चीजों को लक्ष्य में रखते हुए रखा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर इसको काम में लिया जा सके। इस कानून के पास होने पर हमारी निगाह में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि किस क्षेत्र में लागू करना है। लेकिन हम इस देश में प्लानिंग करना चाहते हैं जिससे किसानों और देश को लाभ हो।

आज (अश्रव्य) की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन और चीज हो सकती है कि जिनको काम में लाने से किसानों को ज्यादा हित होगा। आज बहुत सी चीजों की आवश्यकता और उपलब्धता के प्रश्न का दौर देश का गुजर चुका है।

एक पहलू पर विचार करने के अलावा दूसरे पहलू पर भी हमको सोचना चाहिये। कुछ एरिया स्पेसिफाइड ऐसा है कि जिससे किसान को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी और उसको कहने का पूरा मौका मिलेगा। एक सदस्य ने यह कहा कि पटवारियों को मौका मिलेगा और सारा अधिकार पटवारियों के हाथ में चला जावेगा। मगर यह गलत है। सारा अधिकार पटवारियों के हाथ में नहीं होगा और इस प्रकार की कोई बात नहीं होने वाली है।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि हमें कम से कम एक महीने पहले फसल के बोने से नोटिफिकेशन दिया जावे जिससे क्रोप्स में किसी प्रकारकी हानि नहीं हो। मैं समझता हूँ कि इसके लिये तो प्रोविज़न में भी साफ दर्ज है। फसल के बाद तक तो ओब्जेक्शन आए और फसल के बाद ही ऐसा हो सकता है। फसल के दौरान में कोई भी गवर्नमेंट यह कह दे कि इस चीज को हटा दो और इस चने की जगह जौ या गेहूँ बो दो, इसकी तो कल्पना ही करके हम चल रहे हैं। कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। ऐसी कल्पना करने का कोई आधार नहीं। मैं समझता हूँ कि वह समय तो दिया जावेगा और इससे भी ज्यादा समय दिया जावेगा।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

एक माननीय सदस्य ने यह रखा है कि हम गांवों में लोगों की जानकारी के लिए बीट ऑफ ड्रम्स से इस बात का एलान करें। माननीय अध्यक्ष, मैं इस बात से सहमत हूँ कि गाँव से सम्बन्ध रखने वाली जो धारा हो वह लोगों को मालूम होनी चाहिए किन्तु कानून के अन्दर इस चीज को लाना आवश्यक नहीं है। कानून के अन्तर्गत जो रूल्स बनेंगे उनमें यह चीज लाई जा सकती है कि हम बीट ऑफ ड्रम्स के जरिये से या पंचायतों के ऊपर नोटिफाई करने से या जिस तरह से गाँवों के लोगों को इस धारा के सम्बन्ध में मालूम हो सके उस प्रोसिज़र को एडोप्ट कर सकते हैं। इसलिए यह संशोधन लाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

एक माननीय सदस्य ने यह रखा कि १/४ या १/१० हिस्सा कर दिया जाय। कोई स्पेसिफिक तरीके से बात नहीं रखी है। स्पेसिफाइड एरिया या और जो बातें रख देने की बातें कही गई हैं इस चीज पर सोचने के लिए मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि वे अविश्वास की भावना लेकर न चलें। यह तो ऐसी चीज है कि जो किसी के रास्ते में रुकावट नहीं डालती और जिसको रखने के लिए सरकार के किसी व्यक्ति का इन्टरेस्ट और दूसरे की हानि का सवाल नहीं है। इन सारी चीजों पर विचार करके कि कोई क्षेत्र लिया जाय या नहीं किस समय क्या आवश्यकता है इसका उपयोग किया जायगा और जनहित की दृष्टि में रख कर ह इसको अमल में लाया जायगा। प्लानिंग की कल्पना से प्लान कर सकें, लोगों के हित को देखते हुए, आम जनता के हित की दृष्टि से ही यह रखा गया है और आप लोग भी उसी दृष्टिकोण से इस पर विचार करें।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि किसी काश्तकार को चेन्ज ओवर की दृष्टि से हानि हो तो सरकार को उसकी पूर्ति भी करनी चाहिए। तो, मैं समझता हूँ कि एक बात होगी। असेस करना और पूरी तरह से पता लगाना कोई आसान बात नहीं होगी। इस सम्बन्ध में कई कॉम्पलीकेशन्स (complications) खड़े हो सकते हैं। यह जानते हुए कि सरकार इस बात को कर रही है किसी किसान को हानि पहुँचाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि कल्पना करके नोटिफिकेशन इस धारा के अन्तर्गत निकाला जाय। जो कार्यवाह की जायगी आमतौर पर उसके हित में की जायगी इसको लोस देने का प्रश्न पैदा नहीं होता। आपने अभी कहा, जैसा मान लीजिये कि ऐसी क्रोप हुई जिससे ज्यादा लाभ होता है और चेन्ज ओवर जैसा हम करते हैं उससे लोस होने के चान्सेज खड़े हो जाते हैं जिससे उसकी जिन्दगी पर असर पड़ता है. उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की कल्पना करने का इस वक्त सवाल ही खड़ा नहीं होता है। किन्तु इस वक्त सवाल खड़ा होता है देश की परिस्थिति को देखते हुए, किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ज्यादा आमद हो और उस ओर विचार किया जाय। इसको परीक्षण के तौर पर भी किया जा सकता है। इस चीज़ को भी इसमें लेने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई यह कह सकता है कि इसको रोक क्यों न लिया जाय और जिस समय इसकी आवश्यकता हो उस वक्त में इसको लाया जाय। रोक लेने से निरर्थक बहस मुबा हसा और कोई स्थिति पैदा हो सकती है जिससे इसको रोक रखना उचित प्रतीत नहीं होता और इसलिए मैं उस अमेन्डमेंट के पक्ष में नहीं हो सकता। मैं आशा करता हूँ कि जो स्पष्टीकरण मैंने किया

[श्री जयनारायण व्यास]

है और जो बातें कही है उनको देखते हुए जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन रखे हैं उनको वे वापिस लेकर इस क्लॉज़ को सही तौर पर समझ कर पास करेंगे।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरा जहाँ तक अनुमान है, मैंने जो संशोधन सदन के सन्मुख पेश किये थे और जैसा मैंने सदन के सामने अपने विचार रखे थे उससे सदन प्रभावित हुआ था और ऐसा जान पड़ता था जैसा कि माननीय राजस्व मन्त्री को मालूम होगा कि जब वे उधर देख रहे थे तो वे माननीय सदस्यों के चहरों पर उतार-चढ़ाव देख रहे थे और ऐसा मालूम पड़ता था कि राजस्व मन्त्री महोदय ने जो दलीलें दी हैं वे ठीक नहीं मालूम पड़ती हैं। चूँकि उनके ऊपर कड़ा प्रतिबन्ध जरूर है इसलिए वे शायद मुंह न खोल सकें। इन सब बातों के होते हुए भी मैं अपने संशोधनों को आवश्यक मानता हूँ और चाहता नहीं हूँ कि काश्तकारों को कोई हानि हो; इसलिए उनको प्रेस करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—Both these ?

श्री जवानसिंह—Yes. sir.

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के उत्तर में माननीय राजस्व मन्त्री महोदय ने एक ही बात सदन के सामने रखी है। जो कुछ मेरे संशोधन हैं वे सब कल्पना मात्र हैं और उनका कार्य रूप में आना बिल्कुल असम्भव सा है। जहाँ तक कल्पना का, माननीय अध्यक्ष, प्रश्न उठता है वह स्वयम् माननीय राजस्व मन्त्री ने स्वीकार किया है कि इस कानून का अमल तत्काल होने वाला नहीं है। किसी भी समय इमर्जेन्सी एराइज़ हो सकती है और उस समय सरकार को यह आवश्यकता पड़ सकती है कि सरकार इस प्रकार के कानून के द्वारा किसी एक विशेष काश्त के लिए काश्तकार को मजबूर करले किन्तु इस वक्त कोई आवश्यकता नहीं। मतलब यह है कि सरकार के सामने महज यह प्लानिंग करना है कि यदि सरकार के सामने इस प्रकार की इमर्जेन्सी अराइज़ हो जावे तो सरकार किसी प्लान के आधार पर इन सारी चीजों को कार्य रूप में लाये ताकि इन चीजों की काश्त से देश की और राजस्थान के काश्तकारों की आर्थिक समस्या कुछ हद तक हल हो। इमर्जेन्सी का कानून जब कि इमरजेन्सी न हो उस वक्त सदन में रेवेन्यु मिनिस्टर के द्वारा रखा जाना और सदन के द्वारा उसको पास करना, मैं समझता हूँ कि न्यायसंगत नहीं होगा। यदि राजस्थान में इस प्रकार की समस्या आ जाती है, यदि इस प्रकार की इमर्जेन्सी अराइज़ हो जाती है तो वास्तव में इस प्रकार का कानून सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लेकिन अभी जो कानून बना रहे हैं, उन्हीं (राजस्व मन्त्री) के शब्दों में मैं कहूँ कि इसका तत्काल पालन नहीं होगा। इस प्रकार की अभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे इस प्रकार का कानून रिज़र्व में रखना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में माननीय गोपीलालजी ने बताया कि हम लोग ठाले बैठे हैं और कोई काम नहीं है, जिससे इस प्रकार के कानून बनाते रहें, यही समझा जाय। यह विचार-धारा कि एक ही कानून रिज़र्व में हो, आयन्दा कल्पना के आधार पर क्या होगा, क्या नहीं होगा, देश में किन २ समस्याओं

[श्री भैरोंसिंह]

का सामना करना पड़ेगा, इसकी ओर न विचार करते हुए, केवल कल्पनामात्र से और उनके प्लानिंग के हेतु कानून बनाये जायें तो मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार न्यायसंगत नहीं होगा। इमर्जेन्सी के वक्त तो इस प्रकार के कानून बनाये जाना आवश्यक हो सकता है और बनने भी चाहिए किन्तु जब कि इमर्जेन्सी न हो उस वक्त इस प्रकार के कानूनों के बनाने की आवश्यकता नहीं है।

मेरा एक संशोधन था कि समय निर्धारित कर दिया जाय कि सरकार का यह जो इन्टेन्शन है वह काश्तकारों को किसी समय तक मालूम हो जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मन्त्री ने बताया कि सरकार ने काफी ऐतियात बरता है और उन्होंने 'एतिहात' शब्द को कई वफा दोहराया है जिससे मालूम होता है कि उलझनें बढने की उनको शंका है। उन्होंने यह भी कह दिया कि सरकार ने पटवारियों और तहसीलदारों के पास यह अधिकार न रख कर अपने पास सुरक्षित रख लिये हैं। इस सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट नोटिफिकेशन कर सकती है। यह मंजूर करके सरकारी कर्मचारियों के काम में भी किसी प्रकार का डिसबिलीव किया गया है और इस कारण सरकार ने अधिकार अपने पास रख लिये हैं।

श्री अध्यक्ष—It is only a matter of interpretation

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मन्त्री)—It is a wrong interpretation, you will excuse me.

श्री भैरोंसिंह—भ्रम नहीं, दिल की अवाज है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—दिल की आवाज भी आप अब पहिचानने लगे हैं

श्री भैरोंसिंह—यदि सरकार कोई नोटिफिकेशन निकाले और सरकार ने यह भी रखा है कि एक महीने तक ओब्जेक्शन सुने जायेंगे; ये दोनों ही चीजें उचित हैं। गवर्नमेंट किसी फसल के लिए नोटिफिकेशन निकालती है कि अमुक स्थान पर अमुक तादाद में इस प्रकार की काश्त होगी। अगर इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद में किसी को एतराज हो तो वह एक महीने के भीतर अपने एतराज पेश करे। इसमें मेरा संशोधन यह है कि ऐतराज पेश होने के बाद में गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन का कन्फर्मेशन एग्रीकलचर इयर के प्रारम्भ होने के पहले नहीं हो जाता है तो काश्तकार को यह इजाजत होनी चाहिए कि वह अपनी मरजी के माफिक काश्त करे। एग्रीकलचर इयर के प्रारम्भ होने के दो महीने पहले यदि उसके पास नोटिफिकेशन आ जाता है तो अगर दो महीने की टाइम लिमिट मिल जाती है तो एक महीना तो उसको ओब्जेक्शन फाइल करने में लग जायगा, फिर उस पर तारीख पड़ेगी और फिर उसके लिए उसको गवर्नमेंट के पास आना पड़ेगा। जैसे जेसलमेर के टीले में आपको सब जगह खेजड़ियाँ लगाना है और आप इस प्रकार की आज्ञा जारी करते हैं तो वहाँ बाजरी कोई नहीं बो सकता या और किसी प्रकार की फसल नहीं कर सकता तो वहाँ का काश्तकार यहाँ

[श्री भैरूँसिंह (दाँता रामगढ़)]

गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट में आकर अपने ओब्जेक्शन फाइल करे तो उसमें उसको काफी समय लग सकता है ।

एक माननीय सदस्य—खेजड़ो कोई खाने की चीज थोड़े ही है ।

श्री भैरोंसिंह—इसके बीज खाने के काम में आते हैं व चराई के काम में व फोडर के काम में आते हैं । इसी प्रकार शेरगढ़ के किसी काश्तकार को हिदायत दी गई कि वहाँ ज्यादा अमल खाने वाले आदमी हैं, इसलिए यहाँ पोश्त की ज्यादा खेती की जाय किन्तु हमेशा बाजरे की खेती करते हैं । उन लोगों को यहाँ सेक्रेटेरियेट में आना पड़ेगा अपने ओब्जेक्शन रेज़ करने के लिए......

श्री खेतसिंह—हमारे उधर तो अफीम नहीं चलती है आपके इधर के लोग गांजे पर ज्यादा निर्भर है, अतः आप अपने यहाँ की फिक्र कीजिए ।

एक माननीय सदस्य—यह तो आप कल्पना कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि ओब्जेक्शन को फाइल करने में लोगों को कितना खर्चा लगेगा, यह बात देखने की है । इस प्रकार के ऐतराजात लोग समय के अन्दर कर सकते हैं या नहीं, उस समय के अन्दर जो ओब्जेक्शन रेज़ किये गए हैं उनका डिसीजन हो सकता है या नहीं, यह बात हमें देखनी हैं । माननीय मन्त्री महोदय यह समझते हैं कि जितने भी आज केसेज़ उनके सामने आते हैं उन केसेज़ में किन्हीं कागजों की कमी की वजह से या कलेक्टर की रिपोर्ट के लिए वे कागज भेजे जाते हैं या किसी एक्स्पर्ट की राय लेनी होती है । इस प्रकार के प्रोसीज़र में कागज के डिस्पोज़ल में बहुत देरी हो जाती है, इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है कि गवर्नमेंट अपने इन्टेन्शन का कनफर्मेशन एग्रीकलचर इयर के प्रारम्भ होने के एक माह पूर्व काश्तकार के पास पहुँचा दे तो बहुत उचित रहेगा ।

दूसरा मेरा अमेंडमेंट "any other Commodity" के बारे में था जिसके बारे में महज मुझे इतना ही कहना है कि जितने भी आज तक सरकार ने कानून बनाए हैं उन सब कानूनों से पूंजीवाद को ही समर्थन मिला है । आज दर असल यदि काश्तकारों की स्थिति को देखा जाय तो मैं यह कह सकता हूँ कि आज सरकार जिस बात का अभिमान करती है कि हमने काश्तकारों को वास्तव में राहत पहुँचाई है तो मेरा निवेदन है कि आप राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित तमाम कानूनों को देख लीजिये, उनमें से उन क्लॉजेज़ को निकालिए जिन क्लॉजेज़ द्वारा आप काश्तकारों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं । अगर आप उनका पूरा योग लगायेंगे तो आपको पूरा योग लगाने के बाद मालूम होगा कि गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा टेक्स काश्तकारों पर लगाए हैं और आगे भी जब पंचायत एक्ट के माफिक काम होने लग जायगा तो आप देखेंगे कि जो पंचायतें टेक्स लगाएंगी उस समय यह स्थिति

[भैरोंसिंह]

स्पष्ट रूप से जनता के सामने आ जायगी। आज काश्तकार पर जितने टेक्स लगे हुए हैं क्या कभी इसी प्रकार की योजना पूंजीवाद को खत्म करने के लिए भी सरकार ने बनाई है? आज सरकार यह दम भरती है कि हम तो काश्तकारों को राहत पहुँचा रहे हैं। आपने एक भी कानून ऐसा बनाया है कि जिससे आप पूंजीपतियों से पैसा वसूल कर सकें? आपके पास तो गरीब किसानों को शोषण करने की योजना बनती है किन्तु पूंजीपतियों से पैसा लेने की योजना आप द्वारा नहीं बनायी जा सकती।

एक मेरा संशोधन यह भी था कि सरकार पर एक प्रकार की पाबन्दी जमीन को काश्त करवाने के बारे में भी डाल दी जाय। उसके लिए मैंने यह संशोधन रखा कि १/४ जमीन में कोई भी स्पेसिफिक क्रोप की जाय, बाकी किसान की मरजी पर छोड़ दिया जाय। वह जिस किसी चीज की खेती करे अपनी मरजी से कर सकता है। अगर किसी के पास १०० बीघा जमीन है तो उसमें से २५ बीघा जमीन के लिए सरकार को अधिकार हो कि वह चाहे जिस चीज की क्रोप कराये। दूसरी जो ७५ बीघा जमीन के लिए उसके दिमाग में किसी प्रकार की उलझन न रहे। ऑब्जेक्शन्स का जब तक फाइनल डिसीज़न नहीं हो, जब तक सरकार अपनी ओपीनियन उस पर नहीं दे देती तब तक वह ७५ बीघा पर अपनी मरजी के माफिक काश्त करे। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार चाहे जितनी तादाद-मिकदार तय कर दे, वह २५,४० या पचास बीघा हो, बाकी पर किसान अपनी मरजी के माफिक काश्त कराये। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वे मेरे संशोधन पर दुबारा विचार करके उसको स्वीकार कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई कानून लोगों के सामने आए उस वक्त यह देखा जाता है कि कानून की भाषा क्या है। उस वक्त यह नहीं देखा जाता कि जिन माननीय सदस्य ने यह बिल पाइलोट किया है उनकी क्या मन्शा है। उन्होंने इस बिल को पाइलोट करते वक्त क्या बातें कहीं, यह नहीं देखी जाती या कोर्ट में कोई फैसला होता है उसमें भी जो कुछ भी भाषण यहाँ दिए जाते हैं उनका संग्रह वहाँ नहीं होता बल्कि उस बिल की भाषा को देखा जाता है। अगर उन मन्त्री महोदय के भाषण या प्रभावशाली नोटिस उस समय लेने की बात होती तो मेरी कठिनाई जरूर हल हो जाती, किन्तु ऐसी बात है नहीं। इसलिए उनकी मन्शा क्या है, सरकार की मन्शा क्या है, सरकार की नीयत क्या है, इरादे क्या हैं; यह देखा नहीं जाता। बल्कि देखा यह जाता है कि उन्होंने जो बिल पेश किया है वह ठीक है या नहीं। प्रश्न यह है कि कानून के अनुसार जो इस बिल में लिखा हुआ है उसी के आधार पर कोर्ट में निर्णय होंगे। इसलिए सब से पहले मैं आपका ध्यान इसके टाइटल की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें यह साफ लिखा है—

"A Bill to provide for the utilisation of uncultivated agricultural lands in **the State** of Rajasthan and **for regulating the cultivation of specified crops therein."**

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इस बिल का उद्देश्य यह बतलाता है कि राजस्थान सरकार का इसमें यह इरादा है कि किसी भी जमीन को राजस्थान सरकार किसी भी स्पेसिफिक क्रोप के लिए अलोट कर सकती है। इसके बाद इसमें ऐसा कोई क्लॉज नहीं है जिसमें विशेष परिस्थिति का उल्लेख हो।

क्लॉज ३ में जो शब्द इस्तेमाल किए गये हैं वे इस प्रकार हैं :—

"3 (1) Notwithstanding anything to the contrary in any law, custom or practice for the time being, the State Government, if satisfied that it is necessary in the public interest to increase the production of fodder, food or any other commodity in any local area......"

तो आवश्यकता इस बात की है कि—

"if the State Government is satisfied that it is necessary in the public interest to increase the production of fodder, food or any other commodity."

अगर स्टेट गवर्नमेंट को इस बात की तसल्ली हो जाय तो चाहे वह फूड और फोडर या अन्य किसी प्रकार की कामोडिटी को बढ़ाना चाहे जो पब्लिक इन्टरेस्ट में तो वह इस क्लॉज के तहत आर्डर कर सकती है। फिर इसमें प्लानिंग या इमरजेन्सी इस प्रकार की चीजें कहाँ से आ गईं, यह तो सब मुँहजबानी बातें हैं। इस क्लॉज में यह अधिकार दिया गया है। अगर पैदावार बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होगी तो पब्लिक इन्टरेस्ट में तो ऐसा किया जायगा। मैं आपको एक विशेष घटना जो राजस्थान में हो चुकी है, जैसा कि इन्टरप्रिटेशन (interpretation) माननीय मन्त्री ने लगाया है वह इनका इनकरेक्ट (incorrect) इन्टरप्रिटेशन है।

पिछले वर्ष गंगानगर में गन्ने की फसल की कीमत के बारे में एक तनाव पैदा हुआ था। भारत सरकार ने एक कीमत मुकर्रर की थी और गंगानगर के शक्कर के कारखाने जो थे वे इस कीमत पर गन्ना खरीदने को तैयार नहीं थे। जिस राज्य सरकार की अक्किल की और समझ की इतनी दुहाई दी गई है और काश्तकारों के हित की दृष्टि से चलने की दुहाई दी गई है उसके मन्त्री महोदय दिल्ली गये सिफारिश करने के लिए कि राजस्थान के लिए तो कम से कम भारत सरकार ने गन्ने की कीमत जो तय की है उसे घटाकर एक रुपया तीन आना कर दी जावे। पर भारत सरकार ने इसे मन्जूर नहीं किया। उस चार महिने में मिलों ने गन्ना नहीं खरीदा और काश्तकार तबाह हो गए, इसके कारण से। परिणाम स्वरूप काश्तकारों ने इस साल गन्ने की फसल कम बोई और इधर राजस्थान सरकार ने सुगर मिल को ले लिया ठेके पर......

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member will not introduce anything for which

[श्री अध्यक्ष]

the reply of the Treasur y Benches is necessary. He should only reply to the points which have been raised by the Treasury Benches.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am only replying to the points raised and in that connection I am only giving illustrations.

श्री अध्यक्ष—No illustrations should be given in which explanation from the Treasury Benches will be needed.

श्री हरिकृष्ण व्यास—They need not be explained, Sir.

श्री अध्यक्ष—There will be further extension of debates and there will be no end to this.

श्री हरिकृष्ण व्यास—This is a part of the proceedings of the House.

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member while replying will not introduce anything which is likely to raise new issues.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Can I refer to the proceedings which have taken place in the House ?

श्री अध्यक्ष—Yes, but in that case there will be no end to the discussions.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But then it will be very difficult to contest the points which have been made unless some illustrations are given.

श्री अध्यक्ष—On the one hand you say that practically there was no reply from the Treasury Benches to your arguments and on the other hand you extend further arguments which might be needed to be replied by the Treasury Benches. Now it will be for the Treasury Benches to say whether they will like to give a reply or not. If they want they can and if they do not want they are not bound. Now this explanation if you do not want from the Treasury Benches, you confine yourself to the arguments which have been given by them.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I was driving my point home like this, Sir,

कि अगर ऐसी परिस्थिति राज्य सरकार को यह महसूस हो कि It is in the public interest to increase the production of sugercane तो इस क्लॉज़ ३ के मातहत तो हुक्म शाया कर सकते हैं कि इस इलाके में sugar Cane produce करने के लिए कम से कम १।४ या हाफ या इतनी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जमीन किसी भी समय रिज़र्व की जावे। यह इमर्जेन्सी से ताल्लुक रखने वाली चीज नहीं है और वह तो ऐसी चीज है, माननीय अध्यक्ष कि जिससे माली नुकसान होने की गुंजाइश न हो। मैं इसका अभी जिक्र करूंगा। पर, पहले जो क्लेम किया गया है कि इमर्जेन्सी में ऐसा किया जावेगा अथवा प्लानिंग के लिए किया जावेगा, ऐसा इस क्लॉज में कहीं कोई जिक्र नहीं है, इसलिए यह दलील बेकार की दलील थी।

दूसरा यह कहा गया कि कोई गुंजाइश ही नहीं है वहां नुकसान होने की। राज्य सरकार को अगर अधिकार देंगे तो वे अधिकार इस तरह से रेगुलेट करेंगे, और इस दृष्टि से रेगुलेट करेंगे कि जिससे किसान की माली हालत बिगड़ेगी नहीं, बल्कि सुधारेगी। अगर ऐसी बात होती तो इसके टाइटिल में भी वैसा ही जिक्र होता कि "for regulating specified crops therein for the betterment of living conditions of the cultivators."

ऐसा अगर जुड़ा होता इसमें तो मैं अपना संशोधन वापिस तुरन्त लेने को तैयार हो जाता। अगर इस नीयत से रेगुलेट करने की इच्छा है तो that intention must be specified at some stage, पर ऐसा कहीं स्पेसिफाई नहीं किया। अगर अब भी वह मोटिव लॉग टाइटिल (long little) में सरकार मन्जूर करने को तैयार हो कि हम यह रेगुलेट केवल लोगों की माली हालत को बढ़ाने की दृष्टि से और प्लानिंग की दृष्टि से करेंगे, कोई और बात कही हुई हो तो बात दूसरी है, पर हम इन कामों के लिए ही इसका इस्तैमाल करेंगे, तो पूरा प्रोटेक्शन होता है। फिर भी अगर ऐसा नहीं हो, कहीं तो कोर्ट्स में राहत पा सकता है। पर ऐसा कहीं जिक्र नहीं किया गया है इस बिल में, इसलिए यह दावा जो किया जा रहा है कि इससे किसानों का लाभ ही होगा, अहित नहीं होगा, बेबुनियाद है। इसलिए भी बेबुनियाद है कि अगर रेगुलेट करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वह क्यों पड़ेगी? यह तभी पड़ेगी जब कि किसान अमुक मनी क्रोप से या तो अपनी क्राप को डाइवर्ट करेगा या उसकी पैदावार कम होगी। नहीं तो रेगुलेट करने को क्या आवश्यकता पड़ेगी और अगर माली हालत सुधारने की परिस्थिति है, अगर एक पर्टिकुलर क्रोप बोने से उसकी माली हालत सुधारने की उम्मीद है तो मेरा ख्याल है कि इतना समझदार राजस्थान का किसान है कि वह अपनी माली हालत सुधरते देखेगा तो तुरन्त वही चीज कर लेगा, सरकार को आदेश देने की भी जरूरत नहीं होगी। आदेश की जरूरत तो तभी होगी जब माली हालत की दृष्टि से किसान एक क्रोप पैदा करना चाहता हो और सामाजिक दृष्टि से दूसरी क्रोप की जरूरत हो।

इसलिए मेरे संशोधन का उत्तर देते समय माननीय मन्त्री महोदय हिचकिचा भी गये यह कहने से कि माली हालत बिगड़ेगी नहीं; उसका इतना ही उत्तर दिया कि इससे उलझनें पैदा होंगी। मेरी समझ में नहीं आया कि ये उलझनें कैसे पैदा होंगी। जिनकी नीयत ठीक है तो उनके लिए तो क्या उलझनें पैदा हो सकती हैं? पर आज ये कितनी ही तसल्ली दें उससे तसल्ली होने वाली नहीं है। जिन परिस्थितियों में और जिस इरादे से वे आज यह आदेश देने के अधिकार को सरकार अपने हाथ में ले रही है उनके लिए तो पच्चीसों उलझनें पैदा होंगी। फिर कम्पेन्सेशन का मामला सामने आ जावेगा।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इसलिए ये उलझनें तभी बन्द हो सकती हैं जब कि आप इस बिल को जबर्दस्ती किसी के रोजगार के ऊपर रेगुलेट करने के लिए काम में नहीं लावें। प्लानिंग और लोगों की जिन्दगी को सुन्दर बनाने के लिए अगर आपकी मंशा है तो प्रिएम्बल में और इस धारा में संशोधन कर लिया, जावे फिर मेरे इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।

दूसरा जो पोइन्ट कहा गया कि आखिर जो अधिकार लिये गये हैं वे स्टेट गवर्नमेंट ने लिये हैं, किसी मामूली अफसर ने नहीं लिये हैं इसलिए यह प्रिज्यूम करना चाहिये कि राजस्थान सरकार जैसी उच्च कोटि की राज्य शासन चलाने वाली संस्था तो कम से कम इस प्रकार की कोई गलती नहीं कर सकती। पर मुझे यह कहने के लिए आप माफ करेंगे कि इस तरह की बात में विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण हमारे पास नहीं हैं और अबतक राजस्थान सरकार ने इस सिलसिले में कितनी जबर्दस्तियां बरती हैं और कितने सरमायेदारों को बनाया है और तो मैं ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा, केवल एक-दो छोटी-सी मिसालें अर्ज कर दूं। बैंक कैपिटल मुकर्रर किया गया १९५२-५३ का (अश्रव्य) फाइनेन्शियल इयर खतम हो गया ३१ मार्च को और राजस्थान सरकार की नींद उड़ी नहीं और वह चेलेंज हो गया और पिछले महीने में यानि जून में राजस्थान सरकार का फिर नोटिफिकेशन निकला है कि हमने जो ५३-५४ तक का बैंक कैपिटल मुकर्रर किया है उसे अब कैंसिल कर दिया जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी भी घटनाएं होती हैं और आगे भी हो सकती हैं। अलोटमेंट होने के बाद भी उसे रद्द किया जा सकता है। मेरे माननीय मित्र अभी इस बात का जिक्र करते करते चुप भी हो गये। खैर! ऐसी भी घटनाएं होती हैं कि राजस्थान सरकार ने अभी लैण्ड अलोटमेंट के लिए कायदे बनाये और ऐलान किया कि ये गंगानगर जिले के लिए लागू होंगे। अब राजगढ़ के एस.डी.ओ. ने अपने जुरिस्डिक्शन में इसके लिए एक अलोटमेंट कमेटी बिठा दी और अलोट कर दिया। इसे राजस्थान सरकार ने बन्द कर दिया। मेरे माननीय मित्र कहेंगे कि यह तो राजस्थान सरकार का काम नहीं था राजस्थान सरकार ने यह देखा और फैसला किया और हुक्म दिया कि "For the time being the status quo should be maintained."

इसका मतलब यह है कि किसी को इल्लीगल भी अलोटमेंट कर दिया गया है तो उसको कुछ दिन के लिए तो ऐसे ही रहने दिया जाय। मैं इसकी पूरी तफसील में जाना नहीं चाहता और जाना मुमकिन भी नहीं है लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से omnibus presumption करके यह कहना कि वह तो केवल अक्लमन्दी, समझ और ठीक तरह से कार्य करने वाली संस्था है तो मैं इसमें भागीदार नहीं हो सकता। और अगर मेरे दूसरे मित्र हों तो आज तक का हमारे अनुभव का रिकार्ड यह साबित नहीं करता' क्योंकि इस सरकार का अब तक का ऐसा रिकार्ड नहीं रहा।

इसलिए तीन दृष्टि से इस कानून को पास करना ठीक नहीं होगा। और एक रूप हो तो वह यह हो कि कम्पेन्सेशन देने का प्रोवीजन इसमें रहे। यह बड़ी रोक भी दूसरे मायने में सरकार पर रहेगी उनकी गलत वृत्तियां में और तीसरा यह सबसे बड़ी तसल्ली का बायस रहेगी किसानों को। कभी ऐसा मौका आ भी जावे तो कम से कम ऐसा हुक्म मिलेगा, इसके एवज में नुकसान का मुआवजा भी मिलेगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक संशोधन है और मैं सदन की सम्मति के लिए इसे प्रस्तुत करना चाहूँगा।

Page No.57

श्री गोपीलाल यादव—The point of........

श्री अध्यक्ष—श्री चाँदमल मेहता।

श्री चाँदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अमेंडमेंट रखा है उसके संबंध में माननीय मन्त्री जी ने यह तो जाहिर किया है कि वह मुझसे सहमत हैं लेकिन मन्त्री महोदय उसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं बल्कि चाहते हैं कि रूल्स में उसके लिए प्रोवाइड कर दिया जायगा। आपका यह आधार हो कि शायद आप इसको स्वीकार कर लेते मगर वह किसी खास आदमी के नाम से होना चाहिए। इस प्रकार कोई बात रूल्स में प्रोवाइड कर देते तो बहुत अच्छी बात है लेकिन हमारा पिछला अनुभव यह बताता है कि जब कभी कोई, अमेंडमेंट रखा जाता है तो कहा जाता है कि रूल्स में प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जब रूल्स बनाये जाते हैं तो शायद नोट नहीं होने की वजह से वह रह जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक इम्पार्टेंट बात है इसलिए जिस वक्त रूल्स बनायें तो वह छूट नहीं जाय। इस बात के साथ मैं अपने अमेंडमेंट को वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री गोपीलाल यादव—On a point of order,Sir यह जो। प्रिएम्बल है "To provide" है वह धारा ३ के साथ कहां तक ठीक बैठता है :—

"to provide for the utilisation of uncultivated agricultural lands in the State of Rajasthan and **for regulating the cultivation of specified crops therein.**" The word 'therein' means the uncultivated agricultural lands.

'Therein' "uncultivated agricultural land." से है, इस पर विचार कर लीजिये। इसको रखते हुए यह सेक्शन ३ बिल्कुल सुपरफ्लुअस हो जाता है। सब सेक्शन (५) से प्रयोजन बिल्कुल क्लियर हो जाता है, "(5) The Collector may, while ordering the Tehsildar to let out land as aforesaid, direct that the lessees shall grow **therein** specified crops; and, subject to any such direction of the Collector, the Tehsildar may let out such land for the purposes of growing **therein** of a specified crop by the **lessees.**"

तो यह पर्पज़ सब सेक्शन (५) से पूरा हो जाता है, और प्रिएम्बल 'therein' के मायने अनकल्टीवेटेड एग्रिकलचरल लेन्ड से है। आप ऑर्डर देना चाहते हैं और दर असल में ऐसा ही होगा कि धारा ३ से मतलब प्रत्येक कल्टीवेटर से हो गया और होना चाहिए "every cultivator possessing uncultivated land."; यह चीज रह जाने की वजह से बड़ी गड़बड़ हो गई है, चिन्ता हो गई है। आप इस पर विचार कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष—(श्री मोहनलाल सुखाडिया से) आप जवाब देंगे क्या?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि जो बातें मैं कह चुका हूँ उसके बाद में कहने की आवश्यकता नहीं है।

Page No.58

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि जो संशोधन श्री चांदमल मेहता ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चाँदमल मेहता—मैं अपना एमेंडमेंट वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जवानसिंह ने रखे हैं, वे स्वीकार किये जायें ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरोंसिंह ने रखे हैं, वे स्वीकार किये जाँये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखे हैं वे स्वीकार किये जायें ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह कि खण्ड ३ को स्वीकार किया जाय।

(मत दान पर ना पक्ष की अवाज जोर से होने पर)

श्री हरिकृष्ण व्यास—The noes are louder. Therefore Noes have it. The The noes have weighty arguments.

श्री अध्यक्ष—They are more energetic.

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

My ears are a little defective खण्ड ३ को बिल में अंग रूप से स्वीकार किया गया।

श्री जवानसिंह—Only to the left or to the right ?

श्री अध्यक्ष—Both. We now come to Clause 4, Shri Jawan Singh.

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ४ पर मैंने तीन संशोधन प्रस्तुत किये हैं।

पहला संशोधन इसकी उपधारा (१) में है, जहां कि अगर कोई जमीन १ साल तक पड़ी रहे और उस पर काश्त नहीं हो तो सरकार ने, इस बिल के जरिये २ साल तक ही अगर पड़ी रहे तो कलेक्टर को अधिकार दिया है कि उस जमीन को वह दूसरे को दे सकता है। मेरा निवेदन यह है कि केवल २ साल तक ही जमीन पड़ी रहने की वजह से उस काश्तकार को बेदखल नहीं किया जाय; बल्कि अगर वह ५ साल तक उस जमीन में कोई काश्त नहीं करे, तो दूसरे काश्तकार को खेती करने के लिए वह जमीन दे दी जाय।

दूसरा संशोधन मेरा उपधारा (४) में इस प्रकार से है कि किसी जमीन को, जब सरकार यह देखे कि बीच में उसमें काश्त नहीं हो रही है और उस जमीन में काश्त होना जरूरी है और परिस्थिति ऐसी हो कि वह काश्तकार जिसके पास में वह जमीन हो, काश्त नहीं करता हो तो उसके पास से जब दूसरे काश्तकार को यह जमीन दी जाती है तो उस समय दूसरे काश्तकार को कितने अरसे के लिए वह जमीन दी जाय, यह विषय उपधारा (४) का है, और इसमें सरकार ने ३ वर्ष का समय रखा है। अगर मूल काश्तकार को बेदखल करके दूसरे काश्तकार को जमीन दी जायगी तो दूसरे काश्तकार के पास वह जमीन ३ साल तक रहेगी। मेरा निवेदन है कि इस धारा में वह उस काश्तकार के पास, जब दूसरे काश्तकार के पास जमीन दी जाती है तीन साल के लिए, तो मेरा यह निवेदन है कि जो असली काश्तकार है उसको अवश्य पहला मौका दिया जाना चाहिए कि वह तीन साल से पहले अपनी जमीन पर काश्त करने के काबिल हो जाय। सामान, इम्प्लीमेन्ट, बैल वगैरह उसके पास हो जायें, वह उनका प्रबन्ध कर सके तो ३ साल के लिए दूसरे काश्तकार का हक नहीं हो, बल्कि उसके पहले अगर असली काश्तकार तैय्यार हो जाय तो उसको अवश्य मौका दिया जाना चाहिए।

और तीसरा संशोधन उपधारा (५) में है। वह इस प्रकार से है कि अगर दूसरे काश्तकार को खेती के लिए जमीन दी जा रही है, तो उस सूरत में कलेक्टर को यह अधिकार हो कि उस जमीन में किस प्रकार की विशेष फसल बोई जायगी। उस सिलसिले में मेरा यह संशोधन है कि दूसरे काश्तकार को जमीन देने से पहले कम से कम उसको यह अवश्य मौका दिया जाना चाहिए कि सरकार ने जो विशेष फसल बोने के लिए हुक्म जारी किया है, उसके विरुद्ध उसको कुछ निवेदन तो नहीं करना है और उसके लिए एतराज का मौका इस उपधारा (५) में अवश्य होना चाहिए। ये तीनों संशोधन को मैंने इस चीज को मानकर पेश किये हैं कि चूंकि इस बात को मन्जूर कर लिया गया है कि जो इस एक्ट की धाराएँ बन चुकी हैं कि भावी काश्तकारों से उस जमीन पर जो सरकार चाहेगी वही खेती करवाई जायेगी। वहाँ २ साल के बजाय ५ साल का समय रखना है, उसके लिए केवल इसी कारण से यह रखना है। चूंकि सरकार ने २ साल का समय रखा है इसलिए ५ साल का समय रखे।

[श्री जवानसिंह]

इसको केवल इस पहलू से नहीं रखा है क्योंकि सरकार ने २ साल का समय रखा है इसलिए मैं इसको घटाना या बढ़ाना चाहता हूं। मेरा इतना समय बढ़ाने के लिए एक विशेष महत्व में इस चीज को देता हूँ; आप देखेंगे कि राजस्थान टीनेन्सी बिल में भी हमने जहाँ तक सब लेट का सवाल आया तो उस जगह भी अर्सा ५ साल का ही रखा है और ५ साल का अरसा रखने के पीछे कुछ कारण हैं......

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir, may I draw the attention to the fact that not a single member of the Treasury Benches is present. Courtesy demands that one of them should be here.

श्री अध्यक्ष—Courtesy points are not the points of order.

श्री हरिकृष्ण व्यास—There is a ruling on this point given by the Hon'ble Deputy Speaker of the House of People. I hope they should in all fairness adopt this ruling where it has been laid down that atleast one should be present.

श्री अध्यक्ष—Courtesy points are never points of order.

श्री हरिकृष्ण व्यास—My purpose has been served, Sir.

श्री जवानसिंह—(भाषण जारी रखते हुए) मेरा ख्याल है कि पोइन्ट ऑफ ऑर्डर का नतीजा कुछ नजर आता है। मैं कुछ निवेदन कर रहा था। मैं यह नहीं समझता कि अब तक मैंने जो कहा है उसे सरकार ने सुना ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—I will not allow you to repeat it.

श्री जवानसिंह—(भाषण जारी रखते हुए) मैं पहले यह निवेदन कर रहा था कि हमारी सरकार कम से कम विपरीत विचारधारा को भी सही समझे और इसके बाद कदम उठावे। अफसोस, इस बात का है कि मौका मिलने पर भी वे फायदा उठाना नहीं चाहते या यह कहा जाय कि फायदा उठाना नहीं जानते तो ज्यादा बहतर होगा। ५ साल के अर्से में कोई काश्तकार जमीन को बराबर नहीं जोते तो उस जमीन को सरकार अपने अधिकार में लेकर दूसरे काश्तकार को खेती करने के लिए देदे। २ साल के अर्से की जो मयाद इस बिल में दी गई है उसके बारे में मैं एक छोटासा दृष्टान्त देकर निवेदन करना चाहता हूँ कि मान लिया जाय कि एक साल बाढ़ आ गई और इस कारण से काश्तकार काश्त नहीं कर सका और दूसरे साल अकाल पड़ गया इसलिए काश्त उस जमीन में नहीं की जा सकी और किस सूरत में उसकी जमीन दूसरे काश्तकार को दी जायगी: उन सूरतों में इन दोनों

Page No.61

[श्री जवानसिंह]

सूरतों का समावेश हो जाता है। आप खण्ड ४ के प्रोविजो को देखेंगे तो उसमें वे शर्तें हैं जिनमें एक काश्तकार की जमीन दूसरे को दी जा सकेगी। वह इस प्रकार है :

"Provided that no notice shall be issued under this sub-section in respect of any land which is grove land or which is considered necessary to be retained as pasture land or which is required to be kept fallow for regaining its fertility or which is by virtue of any custom or practice used as a threshing floor or a path or an irrigation tank or for any other like purpose."

तो मेरा यह निवेदन है कि २ साल का समय इतना कम पड़ता है कि इतने समय में उस काश्तकार को अपनी जमीन में खेती करने का शायद अवकाश ही नहीं मिला और उस सूरत में उसके पास बोनाफाइड रीज़न्स काश्त नहीं कर सकने के होते हुए भी, वास्तविक मुश्किलात होते हुए भी दो साल तक खेती नहीं कर पाता तो उसको वह जमीन छोड़नी पड़ेगी और सरकार उस जमीन को दूसरे आदमी को दे देगी। उसकी मुश्किलात की कोई सुनवाई नहीं होगी। चाहे उसके पास खेती के लिए बैल हों, औजार हों, चाहे वह दूसरी तरह से हर सूरत में खेती कर सकता हो, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि वह जमीन पर दो साल तक काश्त नहीं कर सका तो उसके पास जमीन मौजूद होते हुए भी वह तीसरे साल काश्त नहीं कर सकेगा और उसकी जमीन किसी दूसरे आदमी को दे दी जायगी। जिस कदर किसी का मालिकाना हक उसकी जायदाद पर होता है उसी कदर एक काश्तकार का हक भी उसकी जमीन पर उसी प्रकार का होना चाहिये जिस प्रकार दूसरे आदमियों को अपनी जायदाद का हक होता है। यदि ऐसा नहीं है तो उसकी स्वतन्त्रता में हम बाधा डालते हैं। उसके पास सब तरह के इम्प्लीमेन्ट्स, बैल वगैरह होते हुए भी किसी परिस्थिति के कारण वह २ साल काश्त नहीं कर सका, केवल इसी कारण काश्त की जमीन छुड़ा दी जाय तो यह अन्याय होगा। यह समय २ साल से बढ़ा कर ५ साल का कर दिया जाय ताकि ऐसी बात न हो कि वह उसके वश के बाहर की बात न रहे। यदि लगातार ५ साल में भी वह उस जमीन पर काश्त नहीं कर सके तो सरकार उस जमीन को दूसरों को दे सकती है।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जो काश्तकार जमीन का मालिक है और जो दफा ४ की उपधारा (१) और (२) की तहत में २ साल तक काश्त नहीं करता तो इस धारा की तहत में उस काश्तकार को जिसका कि जमीन पर हक मालिकाना है उससे बेदखल करेंगे और उसके बाद किसी दूसरे आदमी को वह जमीन देंगे। इस स्टेज पर हमको यह सोचना है कि उस आदमी का हक कैसा है जो उस पर मालिकाना हक रखता है और दूसरे आदमी को, जिसको आप जमीन दे रहे हैं, उसका हक जमीन पर कैसा है? आपको यह मानना पड़ेगा बिना किसी विरोध के कि उस आदमी का हक,

[श्री जवानसिंह]

जिसका कि हक मालिकाना है हर सूरत में बहतर है, बनिस्पत उसके कि जिसको २ या ३ साल के लिए काश्त करने के लिए जमीन दे रहे हैं क्योंकि उसका मालिकान हक है। ऐसी हालत में उसको पहले मौका देना चाहिए कि पहले जिस कारण से वह काश्त नहीं कर सकता था वह कारण दूर होने पर अब यदि वह काश्त कर सकता हो तो उस जमीन पर काश्त करने का उसको पहले हक होना चाहिये और उस समय तक एक खातेदार या असली मालिक को बेदखल नहीं करें, जब तक वह इस हालत वा न हो जाय कि कतई खेती कर ही नहीं सके। आप ऐसा प्रोविज़न कीजिये। यदि कोई काश्तकार ३ साल से पहले इस काबिल हो जाता है कि उसके पास ऐसा साधन हो जाता है कि ३ साल के अन्दर वह मिल्कियत की जमीन पर काश्त कर सके तो उसको काश्त करने का मौका होना चाहिए वरना मालिकाना हक कोई मतलब नहीं रहेगा। खातेदारी का हक को आप दूसरे कानून में देना चाहते हैं, तो उसकी इस कानून के सामने कोई वकत नहीं रहेगी और मालिकाना हक वाला काश्तकार कुछ काम नहीं कर सकेगा। ३ साल का जो हक आपने दूसरे काश्तकार को दिया है उसके आगे भी यदि ऐसी परिस्थिति आ सके कि असली मालिक को वह जमीन वापिस नहीं लौटा सके, शायद इजेक्टमेन्ट का कानून ऐसा बने कि समय पर नोटिस नहीं दिया जाय तो समय पर बेदखल नहीं हो सकेगा और आपने जो ३ साल का अरसा असली मालिक को जमीन लौटाने का मुकर्रर किया है उस अरसे में जमीन उसको वापिस नहीं दिला सकेंगे और यह ३ साल का अरसा और आगे बढ़ जायगा। इसलिए आप ऐसा क्लाज़ बढ़ा दीजिए कि यदि पहला असली मालिक काश्त के लिए प्रस्तुत हो जाय तो उसको काश्त के लिए पहला मौका मिलेगा।

तीसरा संशोधन मेरा यह है कि यदि राजस्व मन्त्रीजी हमदर्दी से उसको रीज़नेबल समझने की कोशिश करेंगे और केवल इसलिए नहीं ठुकरा देंगे कि यह संशोधन दूसरे पक्ष से आया है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं कर सकते तो यह समझ में आ जायगा; नहीं तो बात दूसरी है।

लेकिन अगर इसको रीज़नेबल और दीगर तरीकों से समझने की कोशिश करें तो मैं यह निवेदन करूंगा कि चूंकि क्लॉज़ ३ में आपने इस प्रकार का एक प्रोविज़ो जोड़ा है, वह प्रोविज़ो इस प्रकार है :

"Provided that no such direction shall be made unless the State Government has notified its intention of doing so and has taken into consideration any objection thereto that may be received within a month of such notification."

आपने क्लॉज़ ३ में भी इस प्रकार का एक प्रोविज़ो रखा है। जब किसी आदमी को आप हुक्म देंगे तो उसको कम से कम क्लीयर मौका देंगे कि उस हुक्म के खिलाफ उस विशेष काश्तकार,

Page No.63

[श्री जवानसिंह]

को कोई ऐतराज तो नहीं है। उस ऐतराज को सुनने के बाद में ही उस हुक्म को एग्ज़ीक्यूट किया जाना चाहिये।

इस धारा में भी यही कार्यवाही करने के लिए यह संशोधन पेश है। ईमानदारी से इस पर गौर करें तो इस संशोधन से इस एक्ट की मन्शा के विपरीत कोई बात होने की गुन्जायश आप नहीं पायेंगे। क्योंकि धारा तीन में इस प्रकार के प्रोविजो को मन्जूर किया गया है तो इसमें भी इस प्रोविजो को स्वीकार किया जाना चाहिए।

किसी भी काश्तकार को कोई विशेष काश्त बोने के लिए आप हुक्म देते हैं तो उसको मौका दिया जाना चाहिये कि जो विशेष फसल बोई जायगी उसके खिलाफ काश्तकार को कोई एतराज तो नहीं। उन एतराजों को सुनने के बाद सरकार को हक है कि उन एतराजों को माने या नहीं माने। सरकार जैसा चाहती है उसी माफिक उस मामले में हुक्म दिया जायगा। परन्तु यह बहुत जरूरी चीज है कि काश्तकार को एतराज पेश करने का मौका होना चाहिए। जहाँ तक एतराज पेश करने का और सुनवाई करने का सवाल है वहाँ हरेक का कानूनी अधिकार है कि वह अपने एतराज पेश करे और सरकार का यह कर्त्तव्य है कि इन एतराजात को सुने और फिर उन एतराजों की सुनवाई के बाद ईमानदारी से इन्साफ का फैसला करे।

यदि ईमानदारी से सोचा जाय तो यह संशोधन स्वीकार करने लायक है, और अगर ईमानदारी ही नहीं हो तो फिर यह सारी विडम्बना है।

श्री कँवरलाल जेलिया—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट्स पेश किये हैं उनके विरोध में मैं बोलना चाहता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पहले सभी संशोधन पेश कर दिये जायेंगे या पहले पक्ष-विपक्ष में बोलेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—श्री जवानसिंहजी ने अपने संशोधन रख दिये हैं आपके अभी बाकी हैं।

एक माननीय सदस्य—बोलने दीजिए।

श्री कँवरलाल जेलिया—इस क्लॉज़ में यह रखा गया है कि अगर कोई जमीन दो वर्ष से पड़ी हुई हो और उस पर कोई काश्त नहीं करता हो तो उस लेण्ड होल्डर को नोटिस दे कर दूसरे काश्तकार को देने का भी सरकार ने अधिकार रखा है। माननीय सदस्य ने यह संशोधन रखा है कि इसमें जो २ वर्ष की मयाद रखी गई है उसे बढ़ा कर पाँच वर्ष कर दी जाय। दूसरा संशोधन

Page No.64

[श्री भंवरलाल जेलिया]

यह रखा है कि ऐसी जमीन पर दूसरे काश्तकार के लिए जो ३ वर्ष तक काश्त करने का प्रोविजन रखा गया है, उसमें ३ वर्ष से पहले ही असली काश्तकार को मौका दिया जाय।

इनके यहाँ की परिस्थिति कुछ और हो सकती है परन्तु मैं इधर की तरफ का रहने वाला हूँ और इधर की हालात को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं महसूस करता हूं कि कई खातेदारों के पास ३००-४०० बीघा जमीन है और साधन होते हुए भी वे काश्त नहीं करते हैं और लापरवाही करते हैं और जमीन बिना काश्त के पड़ी रहती है। दूसरी तरफ यह हाल है कि कई भूमिहीन हैं जिनके पास काश्त करने के लिए एक बीघा भी जमीन नहीं है। दो साल के बजाय ५ साल तक जमीन पड़त पड़ी रहे और फिर भी उन लोगों का उस जमीन पर हक बना रहे तो यह तो अनुचित बात है, जिन लोगों के पास जमीन नहीं है वे तो बेचारे ऐसी सूरत में हमेशा के लिए भूमिहीन ही बने रहेंगे। जमीन पर उन्हीं लोगों का हक होना चाहिए जो कि काश्त करने वाले हैं। जिनके पास सैंकड़ों बीघा जमीन है और काश्त नहीं करते हैं तो सरकार का यह कर्तव्य है कि उन काश्तकारों को भूमि दिलानी चाहिए जो कि वास्तव में खेती करना चाहते हैं और जिन लोगों के पास काश्त करने के लिए एक बीघा भी जमीन नहीं है।

दूसरा संशोधन माननीय सदस्य ने यह रखा है कि जो नया काश्तकार है उसको १ साल के लिए काश्त करने का हक क्यों दिया जाना चाहिए? असली काश्तकार को बीच में ही वह भूमि क्यों नहीं वापिस दे देनी चाहिए। मेरा यह कहना है कि नये काश्तकार को एक साल तो काश्त के लिए साधन जुटाने में ही लग जाते हैं, उसको इसके लिए काफी रकम लगानी पड़ेगी, बैल खरीदने पड़ेंगे। ऐसी सूरत में अगर उसको ३ वर्ष के लिए भी काश्त करने का मौका नहीं दिया जायगा तो वह किस विश्वास पर, किस आशा पर जमीन जोतेगा। कम से कम उसको जब इतनी रकम लगानी पड़ेगी तो, तीन वर्ष का समय तो उसको मिलना ही चाहिए। इससे पहले ही उससे छुड़ाना चाहते हैं तो एक वर्ष के लिए तो कौन जोतना चाहेगा?

आप यह संशोधन पेश करके कोई काम करना नहीं चाहते, केवल अड़ंगा खड़ा करके सैंकड़ों-हजारों बीघा जमीन अपने कब्जे में रखना चाहते हैं और जो असमानता आज समाज में मौजूद है उसको बनाये रखना चाहते हैं।

मैं समझता हूँ कि साम्यवादी सदस्य भी, जो श्री जवानसिंहजी ने ऐसे लोगों की वकालत की है, जो हजारों बीघा जमीन अपने कब्जे में बनाये रखना चाहते हैं, उसका विरोध करेंगे।

श्री जवानसिंह—मेरे माननीय सदस्य ने मेरे लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसके लिए मैं विरोध करता हूँ। यहाँ कोई किसी की वकालत करने के लिए नहीं आया है। वकील की हैसियत से शायद वे आ सकते हैं। मेरे लिए जो शब्द उन्होंने सदन में कहे हैं उनके लिए विरोध

[श्री जवानसिंह]

करता हूं और माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि या तो माननीय सदस्य अपने इन शब्दों को वापिस लें या इन शब्दों को एक्सपन्ज कर दिया जाय।

श्री कंवरलाल जेलिया—मैंने तो सैंकड़ों-हजारों बीघा जमीन जो अपने कब्जे में रखी जाती है और पड़त रखी जाती है और दूसरी तरफ जो भूमिहीन हैं जिनके पास एक बीघा भी जमीन नहीं है और जो काश्त करना चाहते हैं, उनके लिए कहा है।

श्री जवानसिंह—माननीय सदस्य ने मेरा नाम लेकर कहा है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं फिर अपील करता हूँ कि या तो वे इन शब्दों को वापिस लें या इन शब्दों को एक्सपन्ज कर दिया जाय।

श्री कँवरलाल जेलिया—अगर मेरे माननीय सदस्य इसे अपने लिए ही समझते हैं जो मैंने कहा है तो उसे वापिस लेने में मुझे कोई एतराज नहीं है। जिनके पास जमीनें, हैं, सैकड़ों बीघा जमीने हैं उनके हित का रक्षण करते हैं तो हरएक ईमानदार व्यक्ति का कर्तव्य रहता है कि जो हजारों-लाखों की संख्या में भूमिहीन हैं उनके लिए आवाज उठाये। उनके लिए आवाज उठाते हैं तो इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बस, यही मेरे कहने का मकसद था; आप इसे बुरा न मानें। जागीरदारी खत्म हो रही है तो ठण्डे दिल से सोचिये। जमीन तो उसी की रहने वाली है जो जमीन को जोतेगा, आप ५ साल का प्रोविजन मत रखिये। उनको जमीनें दीजिए जो खेती करना चाहते हैं। जो इसमें धारा रखी गई है वह वास्तविक है, इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—चेयर को एड्रेस करना चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, तीनों संशोधन एक साथ बोल जाऊँ।

श्री उपाध्यक्ष—Yes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I beg to move the following amendment to clause 4 :—

"In sub-clause (1), in line 5, delete the words 'or tenant.' "

My next amendment to the same sub-clause is :—

"Add the following further proviso at the end of the sub-clause :—

"Provided further that notice in respect of lands held by the State shall be issued to the Tehsildar of the concerned Tehsil.' "

Page No.66

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

My next amendment to the same clause is :—

"In sub-clauses (2) and (3) in line 1 and 2 respectively delete the words, 'or tenant.' "

यह जो संशोधन मैंने रखे हैं, माननीय उपाध्यक्ष, इनमें सबसे पहली मेरी मंशा यह है कि इस बिल की कानूनी तौर पर रक्षा की जावे।

मुझे नहीं मालूम कि इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में दस्तखत करने के बाद फिर कितना गौर फरमाया है, रेवेन्यु मन्त्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया ने। लेकिन खैर, लिखा इसमें यह कि इस बिल की आवश्यकता क्यों हुई; इसलिये कि राजस्थान के कई भागों में जमीन वैसे ही पड़त पड़ी है, जिस पर खेती की जा सकती है इत्यादि इत्यादि। और फिर "and are in possession of persons who are neither able to cultivate them personally nor are prepared to let them out for fear of being deprived of their holdings more or less permanently by virtue of the provisions of the Rajasthan Protection of Tenants Ordinance, 1949, which has rather aggravated the tendency" और इसकी ओर मैं खास कर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा—"which has rather aggravated the tendency of landholders to stick to as much land as possible." तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में सरकार ने केवल एक बात की ओर गौर किया है और वह यह है कि आर. पी. टी. ओ. के बन जाने की वजह से और इस डर से कि किसी को जमीन देदी तो वह जमीन हाथ से निकल जावेगी; इसी डर से लैन्ड होल्डर्स में इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ती नजर आई है, अतः इस कानून की आवश्यकता हुई है और जिन्होंने यह बिल बनाया और इसके अलग अलग क्लॉजेज़ तैयार किये उसमें लेन्ड होल्डर्स के साथ टीनेन्ट को भी जोड़ दिया और अगर आप क्लॉज़ चार में सब क्लॉज़ (१) की ५ वीं लाईन में देखेंगे तो उसमें ये शब्द हैं :—

"The Collector can call upon the landholder or tenant of such land, within thirty days from the date of the service of such notice :—

(a) to cultivate the said land personally, or

(b) to arrange for its cultivation, etc. etc."

टीनेन्ट का मतलब उस व्यक्ति से है जो जमीन किराये पर लेता है। उसे भी राज्य सरकार कहे कि जो जमीन उसने किराये पर ली है उसके बोने का इन्तजाम करें। अगर वे ऐसा करते तो फिर वे दूसरों से जमीन किराये पर लेते ही क्यों और इसी वजह से एक वंचित सी परिस्थिति पैदा हो जावेगी और वह जो होगी।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मैं बताऊं, माननीय उपाध्यक्ष, कि पिछले साल एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था राजस्थान में और उस वजह से काफी बड़े इलाकों में जमीन की कोई बुआई नहीं हुई। एक साल जमीन खाली पड़ी रही। दूसरे साल बरसात हुई और जोधपुर व नागोर डिस्ट्रिक्ट में बहुत भयंकर एपेडेमिक मलेरिया की आई और एक नहीं, हजारों की तादाद में लोग सप्ताहों और महीनों तक बीमार पड़े रहे और बिस्तरों से नहीं उठ सके। उसका भी असर काश्त पर पड़ा और दो साल तक लोग अपने खेतों पर काम नहीं कर सके। इस कानून के अनुसार ऐसी स्थिति में इस कानून के मातहत कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि यह जमीन मुझे एलॉट कर दी जावे क्योंकि यह जमीन दो साल से बगैर काश्त किये हुए पड़ी रही है। ऐसी हालत में हमें कुछ ऐसे स्टेडिंग्ग ऑर्डर्स बना कर चलने होंगे और अगर स्टेन्डिंग ऑर्डर नहीं बनावेंगे तो यह होगा कि जिस मकसद से कानून लाया गया है वह मकसद जब कानून पर अमल आने लगे या क्लॉजेज़ बनने लगे तो वह मकशद ताक में रख लेंगे। यह चीज कभी कभी एक विचित्र रूप धारण कर लेती है। अभी अभी ५ मिनट पहले यह कहा गया था कि हम प्लानिंग की दृष्टि से ऐसा करते हैं। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स देखेंगे तो उसका लास्ट सेन्टेन्स यह है :—

"Provision has inter alia been made for directions to grow specific crops in order to counteract the tendency to neglect food crops and give preference to cash crops."

तो या तो यह होता है कि जो बात आप इसमें लिख देते हैं उसको बाद में डिनाई कर देते हैं और यह कह देते हैं कि यह कोई फूड क्रोप के लिये नहीं है। आपने इसमें लेन्ड होल्डर्स के साथ साथ टीनेन्ट्स को भी जोड़ दिया है। तो मेरा तो सबसे पहला संशोधन यह है और वह इस दृष्टि से है कि कहीं यह कानून टेक्नीकल कारणों से सेट एसाइड नहीं कर दिया जावे, जिस प्रकार कि एग्रीकल्चर रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट सेट एसाइड (set aside) कर दिया गया। आपने तो उसमें काफी छान-बीन कर ली थी। कानूनी कोई एतराज नहीं उठ जावे, इसलिये मेरा एतराज है।

दूसरा कारण यह है कि कानून में उसूल एक ही होना चाहिये और वह नेचुरल लॉ का है। जहां तक मुमकिन हो नेचुरल लॉ के साथ साथ चलने की कोशिश करें। अब यदि सरकार का ऐसा ही दृष्टिकोण है कि हम तो तराजू लेकर बैठेंगे और बांटेंगे; चाहे भारी से भारी चीज हो उसको बराबर तोलेंगे तो मैं यह कहूँगा कि यह चीज तुलेगी नहीं, एक भारी है और दूसरी हलकी है। जैसे ही समाज में अलग अलग तबके हैं और उन अलग अलग तबकों के अलग अलग रास्ते हैं। कुछ लोगों के रास्ते केवल ऐसे हैं जैसे लेन्ड होल्डर्स का उनका कोई एग्रीकल्चर में इन्ट्रेस्ट नहीं है। और अगर आप इस प्रकार का बन्धन डालना चाहते हैं तो यह पहला ही मौका है, इसलिये फोर दी टाइम बीइंग इसको लेन्ड होल्डर्स तक ही महदूद रखा जावे। इसके बाद देखें कि इसका क्या असर होता है उसके बाद आवश्यक हो तो कुछ स्पेशल टीनेन्ट्स पर लागू करने की कोशिश करें। आज टीनेन्ट्स को इसमें इन्क्ल्यूड करने का मतलब यह होगा कि देहातों में आपस में सिर फोड़ने की परिस्थिति पैदा होगी और राज्य सरकार के छोटे से छोटे कर्मचारी के लिये रोज़ रिश्वत का बाजार

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

गरम हो सकेगा और इसका नतीजा कुछ नहीं होगा। नतीजा यही होगा कि या तो इसको वापिस लेना पड़ेगा या सरकार को इसमें संशोधन करना पड़ेगा। आप, जमीन से जिस वर्ग का रिश्ता है उनको (अश्रव्य) नहीं लेना चाहते हैं और जब तक आप उनको अपने साथ नहीं लेंगे तो अमली रूप से उस पर अमल नहीं हो सकेगा। इस लिहाज से मेरा यह संशोधन है कि टीनेन्ट (Tenant) शब्द को इसमें से हटा दिया जावे।

अंत में मैंने इसमें संशोधन रखा है कि राज्य सरकार के पास जो जमीन है उसका नोटिस किसको देना है। अपने पहले क्लॉज के एमेन्डमेंट में मैंने कह दिया था कि उसका नोटिस तहसीलदार को देना होगा और चूंकि मेरा पहले क्लॉज पर एमेन्डमेन्ट गिर गया, इसलिए उस पर कहने की कोई आवश्यकता नहीं। उसमें भी मैंने नोटिस देने के लिये प्रोविजन के लिये अर्ज किया था। यहां पर भी मैंने यह प्रोविजन रखा है; इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि "टीनेन्ट" शब्द को हटा दिया जावे और मैं आशा करता हूं कि सदन इसको बहुमत से पास करेगा।

श्री भैरोंसिंह (वि. स० १६)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक संशोधन मेरा भी था। लेकिन मेरे पास उसकी कॉपी नहीं आई है। औरिजिनल मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें इसका जिक्र होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस कानून को बनाने की जरूरत के विषय में बातचीत हो रही थी और मेरे से पूर्व वक्ता ने स्टेटमेन्ट ऑफ ओब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स (उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण) में एक दो मर्तबा पढ़कर यह बताया और जैसा कि उसमें है कि इस कानून को बनाने की आवश्यकता इसलिए हुई कि प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स ऑर्डिनेन्स के कारण सब लोगों में जमीन पर कब्जा बनाये रखने की, चाहे काश्त हो या न हो, एक प्रवृत्ति सी बन गई है। उन सब को भय है कि यदि किसी आदमी को एक साल के लिए काश्त के लिए जमीन दे दी गई तो दूसरे साल उसको उस जमीन से इजेक्ट नहीं कर सकेंगे और फिर काश्त की जमीन नहीं होगी। तो वाकई में ऐसी टेन्डेन्सी बन गई है जिससे जमीन भी ज्यादा पड़त रहती है। सरकार ने जो यह निष्कर्ष निकाला है वह जमीन के अनकल्टीवेटेड पड़े रहने के कारण है। सरकार भी इस नतीजे पर पहुंची है कि प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स एक्ट के कारण लोगों में यह धारणा बन गई है और इसलिए जमीनें पड़त रहती हैं। मेरा इसमें निवेदन यह है कि राजस्थान की इस असेम्बली में टिनेन्सी बिल जो इन्ट्रोड्यूस कर दिया है और इसी सेशन में पास होने वाला है और हमने इसमें इस चीज़ को स्वीकार किया है कि प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स समाप्त हो जायगा और उसका आगे कोई अमल दरामद नहीं होगा और जिस चीज के कारण टेन्डेंसी बन गई थी वह स्वयं समाप्त हो रही है। तो फिर उसका असर रहने देने की आवश्यकता नहीं। सरकार फिर भी प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स बहाल रखना चाहती है जिसका असर उसके समाप्त होने पर भी रहेगा; तो उसका एडीशन टिनेन्सी बिल में हो सकता है। टिनेन्टसी बिल में यह लाया जा सकता है कि पड़त जमीन को किसी दूसरी नियत से रखता है बनिस्पत इसके कि टिनेन्ट्स प्रोटेक्शन एक्ट की आड़ लेकर वह उससे बच जाय और स्टेचूट बुक में नई चीज़ रखे,

[श्री भैरूँसिंह]

यह अच्छा नहीं होगा। टिनेन्सी बिल जल्दी ही पास होने वाला है। जितने प्रोविन्सेज़ हैं और खास कर दो-तीन प्रोविन्सेज़ में जहाँ कि टिनेन्सी एक्ट हैं उनमें भी जमीनों से छुटकारा पाने के लिए ऐसा ही रखा है और उन्होंने अलग से दूसरे कानून नहीं बनाये हैं। टिनेन्सी एक्ट काश्तकारों के मुतल्लिक एक व्यापक कानून होगा और वह सभी दृष्टिकोण का होगा और उसके आधार पर तरीके होंगे, उसके अन्दर यह होगा कि काश्तकार किस तरह से काश्त करेंगे, उनके क्या अधिकार हैं, सरकार और काश्तकारों के क्या सम्बन्ध होंगे? ये चीजें सभी उसमें आ जाती हैं और यदि यह बात भी उसमें शामिल कर दी जाय तो अच्छा ही होगा।

दूसरा मेरा संशोधन यह है कि अगर माननीय राजस्व मन्त्री उपरोक्त सुझाव को स्वीकार नहीं करते हैं और चाहते हैं कि अलग २ कानून ही बने तो ये सब क्लॉज़ ४ में जो "for a specific period not exceding three years" तो "तीन साल (थ्री इयर्स)" की जगह "दो साल (टू इयर्स)" कर दिये जाय। आज राजस्थान में यह मानी हुई चीज़ है कि यदि क्रोप्स में यह रोटेशन (आवर्त्तन) नहीं किया जाय तो फसलें अच्छी नहीं होती है और खास तौर पर उन इलाकों में, जहाँ कि मोट-बाजरे की फसल होती है। उनमें रोटेशन की विशेष तौर पर आवश्यकता पड़ती है और वह रोटेशन ऐसा होता है कि उसमें दो साल की सीमा रहती है। यदि उसमें एक साल मोठ-गवार की फसल बो दी जाती है तो अगले साल बाजरे की काश्त करनी पड़ती है और अगर बाजरे की काश्त करते हैं तो फिर एक साल जमीन की फर्टीलिटी के लिए पड़त रखना पड़ेगा। यदि बाजरे की फसल नहीं करने दी जाती है तो यह उचित नहीं है कि दो साल का समय निर्धारित कर दिया जाय। तीन साल की जो सीमा रखी है उसमें लाजमी ही जाता है कि मोठ-बाजरे की काश्त करे और फिर राजस्थान के उन हिस्सों में, जिसको दड कहते हैं, लोगों ने दड रख लिया तो तीन साल के बजाय चार साल की अवधि रखनी पड़ेगी और यदि चार साल कर दिये तो उस आदमी के साथ जो कि काश्त करता है, अन्याय होगा। यदि खेती के साधन उस आदमी के पास नहीं रहते हैं तो वह जमीन काश्त कर ही नहीं सकता। किन्तु यदि आप दो साल रखते हैं तो वह उस समय में साधन जुटा सकता है ताकि तीन साल में स्वयं काश्त कर सके। तो इसी प्रकार का कानून बनाना चाहिए। तीन साल का जो मय रखा है, उसके लिये कम से कम कोई सिद्धान्त तो बना कर रखिये। मोठ गँवार की काश्त करें तो लाजमी तौर पर यह हक हो जाता है कि वह बाजरे की काश्त करे, और यदि बाजरे की काश्त करता है तो जमीन की फर्टीलिटी के लिहाज से उसको एक साल के लिए पड़त रखे। तो इस तरह से अगर तीन साल की आप मयाद रखते हैं तो उसको लाजमी होकर यदि मोठ-बाजरे की काश्त करे तो चार साल देना पड़ेगा। इससे उसके साथ अन्याय होगा। जिसकी जमीनें छीनी गई हैं और काश्त के लिए दूसरी बतायी गई हैं उस चेन्ज़ में सेन्टरस होते हैं उसको स्वीकार किया जाय। राजस्थान की कृषि के लिए रोटेशन का सिस्टम है। जो दो साल का सिस्टम रखा गया है वह इसमें रखा जाय और तीन साल की अड़चन पैदा न की जाय।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि इस क्लॉज़ की आवश्यकता नहीं रहती है। राजस्थान सरकार ने सीलिंग फिक्स करने के लिए कमेटी अपोइन्ट की है। राजस्थान सरकार इस प्रयत्न में है कि जल्दी

Page No.70

[श्री भैरूँसिंह]

से जल्दी सीलिंग फिक्स कर दिया जाय। सीलिंग फिक्स करने के बाद में सरकार के पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आयगी कि काश्तकारों के पास जमीन पड़त पड़ी हुई है। टिनेन्सी बिल पास होने के बाद प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्ट्स का डर नहीं रहेगा, वह डर खत्म हो जायगा और यह डर भी नहीं रहेगा कि सीलिंग के बाद पड़त जमीन रहेगी। मैं समझता हूँ कि कोई भी समझदार आदमी जिसे जिन्दा रहने का हक है और जो जिन्दा रहना चाहता है वह जानबूझकर आर्थिक स्थिति को खराब नहीं करेगा। सरकार ने पंचवर्षीय योजना बनाई बेकारी को दूर करने के लिए, किन्तु आज दुनिया के सामने वह कागजों में भरी पड़ी हुई है और कार्य रूप में आकर लोगों को रोजगार न दिला सकी। ऐसी सूरत में आप उम्मीद रखें कि जमीनें पड़त रहेंगी, यह केवल कल्पना मात्र होगा और वास्तविकता का नामो निशान नहीं होगा। इन दोनों चीजों के आधार पर मैं आपसे निवेदन करूँगा कि टिनेन्सी बिल के पास हो जाने के बाद और सीलिंग फिक्स हो जाने के बाद अथवा जमीन का रीडिसट्रिब्युशन हो जाने के बाद पड़त ज़मीनों की समस्या नहीं रहेगी। अतः मैं राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूँगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है कि यह अलग कानून के रूप में रहे। यदि आप इसकी आवश्यकता समझते हैं तो आप इसको टिनेन्सी बिल में सम्मिलित कर लीजिए। तीसरी चीज़ जो मैं संशोधन के रूप में अर्ज करूँगा वह यह है कि "तीन साल" के बजाय "दो साल" की ही अवधि रहने दी जाय। इससे काश्तकारों को उलझन पैदा नहीं होगी। उनको जो सुविधाजनक मार्ग हो, वही अपनाना चाहिये। मैं माननीय राजस्व मन्त्री महोदय से निवेदन करूँगा कि मैंने जो सुझाव रखें हैं, उन पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता था कि इस धारा पर...

श्री उपाध्यक्ष—श्री गोपीलाल यादव और बोलेंगे। श्री गोपीलाल यादव, श्री गोपीलाल यादव।

(अनुपस्थित)

(श्री राजस्व मन्त्री से) Yes, reply

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—इस धारा पर अधिक वाद-विवाद होगा, ऐसी कल्पना न थी। इसमें कई बातों का, जिसके बारे में जिक्र किया गया है, समावेश कर लिया गया है।

सबसे पहले तो हमारे सिरोही से आने वाले मित्र ने बहुत सी बातें कहीं और इस वक्त ऐतराज नहीं किया...

[redacted]

श्री हरिकृष्ण व्यास—कुछ आपने सुना नहीं इसलिए शायद खयाल नहीं रहा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने करीब करीब सारी बातें जो यहां कही गई हैं उनको सुना है। तो इसमें जो उन्होंने बातें कहीं, मैं समझता हूँ कि सारे के सारे क्लॉज़ को पूरी तरह से देखा जाय, इमानदारी से सोचा जाय तो क्या हो और इमानदारी से न सोचा जाय तो क्या हो, उसको कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इसमें काफी गुन्जाइश इस बात की दी हुई है कि लेन्ड होल्डर या टिनेन्ट अगर खुद किसी खेती को करना चाहता है कि उसको मौका मिले तो सबसे पहले दो साल का समय रखा गया है। तो उस दो साल के समय के अन्दर, जैसा कि एक मित्र ने कहा कि कुछ जमीन छोड़नी पड़ती है, पटिक्युलर खेती की जाय, और कारणों से उसको छोड़ना पड़ता है।

तो उसके लिये मैं निवेदन कर दूं कि इन चीजों को इस प्रोविज़ो के अन्दर स्पष्ट कर दिया है, जिसमें यह कहा गया है :

"Provided that no notice shall be issued under this sub-section in respect of any land which is grove land or which is considerd necessary to be retained as pasture land or which is required to be kept fallow for regaining its fertility or which is by virtue of any custom or practice used as a threshing floor or a road or a path or an irrigation tank or for any other like purpose."

श्री हरिकृष्ण व्यास—What about fallow lands on account of famine conditions ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(अपना भाषण जारी रखते हुए) जो आपने कहा कि फेमीन कन्डिशन की वजह से रह जाय तो उसके बारे में क्या हो; तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि अगर फेमीन कन्डीशन की वजह से खाली रह जाय तो उसका क्या होगा। नोटिस देने के बाद भी फौरन ही गवर्नमेंट यह जमीन दूसरों को काश्त के लिये दे देगी, यह बात जरूरी नहीं है, जैसा सब क्लॉज़ तीन जाहिर करता है :—

"The Collector may suspend the notice if he is satisfied that such landholder or tenant is making arrangements for the cultivation of the l nd himself and if the whole or any part of such land is so cultivated within the time for which the notice remains suspended, the Collector shall cancel the notice in respect of the whole or part so cultivated."

फेमीन काल में जब कोई रिवीजन की बात आ जाती है तो वह नेसेसरी कोर्स के अन्दर आ जाती है। नोटिस सर्व करने की बात जहाँ नहीं आती है वहाँ लेन्ड होल्डर या टिनेन्ट यह कहे कि मैं इस पर काश्त करने के लिये तैयार हूँ तो नोटिस को सस्पेन्ड कर दिया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कर दिया जायगा नहीं, इसमें "may" शब्द का प्रयोग किया गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (अपना भाषण जारी रखते हुए)—इसके लिए भी जो प्रोसीजर ले डाउन (lay down) किया गया है वह यह कि वह जमीन काश्त होनी चाहिये। जैसा कि इससे पूर्व क्लॉज़ में साफ लिखा है वह जमीन काश्त होनी चाहिये या वह जमीन कल्टीवेशन के काबिल नहीं हो, इस प्रकार के पूरे अधिकार इससे पहले के क्लॉज़ में दे रखे हैं; उनको सब से पहले मौका दिया गया है :—

"To cultivate the land personally, or" तथा फिर यह कहा गया है "to arrange for its cultivation forthwith, or sub-let" करलें।

इस तरह से वह उस भूमि को सब लेट भी कर सकते हैं। इन सारी चीजों की मन्शा यह है कि उस जमीन को काश्त के लिए लिया जाय चाहे वह खुद ले या दूसरों के जरिये काश्त करवावे या सब लेट करके काम करवाये। इन सब चीजों की मुख्य मन्शा यह है कि जमीन किसी प्रकार भी खाली न रहे। जब कि कई व्यक्ति ऐसे है कि मैं तो खुदकाश्त नहीं करता और दूसरों को दे नहीं सकता उस हालत में दूसरों को देने का सवाल आता है और जब तक वह जमीन तीन साल के लिए किसी को न दी जाय तो कौन उसको लेने को तैयार होगा? एक साल में तो जमीन को वह तैयार भी नहीं कर सकता, उस पर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई एक साल के लिये मेहनत करने को भी तैयार नहीं होगा। इसलिये तीन साल तक दूसरे को देने को जो तय किया है वह वाजिब है। तीन साल तक देने का जो प्रोवीजन है वह काफी है, जिससे उसको मौका मिल जाता है, खेती करने के लिए वह तैयार हो जायगा।

मैं आपको बतलाऊं कि राजस्थान में आज ऐसी परिस्थिति है कि हजारों बीघा जमीन इस प्रकार की है कि जिस जमीन को कइयों ने अपने नाम पर कर लिया है जिसमें हल आज तक नहीं चलाया गया है; फिर भी कइयों ने अपने नाम पर जमीन कर रखी है। आज हमारे देश की दशा देखते हुए, बेकारी की समस्या को देखते हुए जिससे हमारे माननीय मित्र भी चिन्तित हैं; इस प्रश्न को देखते हुए अगर जमीन दूसरों को काश्त के लिए दी जाती है तो उनको किसी प्रकार का एतराज नहीं होना चाहिये। अगर किसी को तीन साल के लिए काम मिल जाता है तो इससे बेकारी की समस्या का भी हल हो सकता है, इसलिये इस धारा का तो आपको स्वागत करना चाहिये। मुझे आश्चर्य हुआ जब कि एक माननीय मित्र ने "टीनेन्ट" शब्द को हटाने के लिए कहा। मैं नहीं समझ पाया कि यह डिस्क्रिमीनेशन लेन्ड होल्डर और टीनेन्ट के बीच में क्यों किया जाता है? टीनेन्ट वही होगा जिसके पास काफी खेती की जमीन है और जो इन क्लॉजेज़ के अन्दर आता होगा। उनको कोई विशेष सुविधायें दी जायं यह आवश्यक नहीं। बहुत से आदमी जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दी जाय यह तो वाजिब बात होगी और न्याय संगत बात ही होगी।

स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में लेन्ड होल्डर का जिक्र किया है लेकिन उसका बेक ग्राउन्ड जो है वह यह कि प्रोटेक्शन ऑफ टीनेन्ट्स की वजह से यह टेन्डेन्सी हुई है जो खुद अपने पास जमीन रख लेता है। टीनेन्ट के पास ऐसी जमीन रख दी गई है इसमें दोनों को लाभ होगा इसमें

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया.]

दोनों ही प्रकार के लोग हो सकते हैं। इन दोनों के बीच भेद पैदा करना उचित नहीं है। इसका मूल आधार यह है कि जो जमीन ऐसी है, जो खुद काश्त नहीं कर सकते या दूसरों से नहीं करवा सकते उस जमीन को सरकार तीन साल के लिये दूसरों को काश्त के लिये दे देगी। सिलेक्ट कमेटी में भी इस पर काफी विचार हुआ था, ऐसे संशोधन वहां भी आये थे, उन पर काफी चर्चाएँ की गई। उनमें से बहुत सी बातों का समावेश इसमें किया गया है। मैं समझता हूँ कि यह धारा बहुत स्पष्ट है और इसे काफी लिबरल कहा जाय तो कोई गलती नहीं होगी। इसमें किसी प्रकार की शंका और शुबहा करने की आवश्यकता नहीं।

श्री जवानसिंह—सब क्लॉज ५ के लिए आप क्या कहते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(अपना भाषण जारी रखते हुए) जो बातें आपने कहीं हैं उपधारा (३) में बातें आ जाती है, जिसमें रीजन्स दे रखे हैं कि यदि कोई खुद काश्त करने के लिए तैयार हो जाता है तो ओब्जेक्शन्स सुनने की या लेने की आवश्यकता नहीं, उसका नोटिस सस्पेन्ड होजाता है। अगर तीसरी उपधारा नहीं होती तो जो बातें आपने कही हैं वे अवश्य हो सकती थीं, किन्तु तीसरी उपधारा में नोटिस देने के बाद भी अगर वेलिड ओब्जेक्शन्स हैं तो उनको सुनने के बजाय उस नोटिस को केन्सिल करने के पॉवर्स कलेक्टर को हैं।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं फिर से निवेदन करूंगा कि जो स्पष्टीकरण माननीय मन्त्री ने किया उससे मुझे सन्तोष नहीं हुआ। उपधारा (३) में जो नोटिस देने का सवाल है वह उस जमीन के लिए है जो जमीन काश्त के लिए देने की है और उपधारा (५) में जो नोटिस देने का सवाल है वह एक विशेष प्रकार की काश्त के बोने के लिये है। इसलिये दोनों की तुलना एक साथ करना गलत है, धारा तीन में जो नोटिस या मौका दिया गया है वह सही है। मैं मानता हूँ कि यह लाजमी है लेकिन इसके साथ साथ कौनसी फसल किस खेत में बोयी जायगी; किसी खास काश्त के लिये किसी जमीन का निर्धारण करना; कलेक्टर द्वारा आदेश देना और अगर उसमें किसी काश्तकार को एतराजात करने हों तो वह एक दूसरी चीज है। उस हुक्म के खिलाफ एतराज पेश करना और उस आदमी को यह कहना कि इस खेत में अमुक चीज की ही काश्त करनी है, दोनों अलग अलग चीजें हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह बात ठीक है। जो उपधारा (५) में आपने संशोधन रखा है उसको स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री जवानसिंह—धन्यावद, बात आखिर ठिकाने बैठी तो सही। इसके अलावा मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि मैंने जो दो और संशोधन पेश किये हैं उनके बारे में भी मैंने मन्त्री महोदय का जवाब सुना। हमारे एक इष्ट मित्र ने इस उपधारा के बारे में निवेदन किया है और शायद इस

[श्री जवानसिंह]

कानून की तहत में राजस्थान के काश्तकारों को समान स्तर पर लाने का और जिन काश्तकारों के पास जमीन नहीं है उनको जमीन देने का निश्चय इस कानून द्वारा किया गया है। वे शायद इस बात को ठीक तरह से समझ नहीं पाये हैं। इसमें यह साफ है कि किसी विशेष आदमी के पास काश्त की जमीन ज्यादा है तो वह इस बिल द्वारा दूसरे आदमी को काश्त करने के लिये दे रहे हैं। जो यह बात कही जा रही है कि हम इस कानून के जरिये समानता लाने की बात सोच रहे हैं वह महज एक प्रकार से ख्याली पुलाव है।

दूसरा, यह ख्याल कि जिन किसानों के पास जमीन नहीं है उनको भी इस कानून के तहत जमीन दी जायगी, यह भी ख्याल गलत है। न हम इस बिल के जरिये समानता ला रहे हैं और न हम इसके जरिये सबको जमीन का ही वितरण कर रहे हैं। जो यह कानून लाया गया है वह सिर्फ इसलिये लाया गया है कि हमारे फूड, फोडर या दूसरी चीजों की पैदावार जो होती है उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए जमीन को दूसरों को देकर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाय। इसलिये यह बिल रखा गया है और इस पर वादविवाद चल रहा है। न यह बिल समानता लाने के लिये है और न उन आदमियों को जमीन देने के लिये है जिनके पास जमीन नहीं है।

हमको यहां पर एक संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं रखना है। हमें सारे राजस्थान के लिए सोचना है और हमको सारे राजस्थान के काश्तकारों के विषय में इस कानून की तहत में सोचना है। आपका यह संकीर्ण दृष्टिकोण कि केवल एक विशेष वर्ग के लिए ही मैं निवेदन कर रहा हूँ बिलकुल मिथ्या है और आधारहीन है, निराधार है और इसके साथ साथ अगर इस बात को, इस चीज को वे मानते हैं तो मैं यह निवेदन करूं कि क्या वह विशेष वर्ग उनकी तरफ भी आ रहा है और क्या वह वर्ग विशेष की वकालात करना चाहते हैं या उसको सपोर्ट करना चाहते हैं कि जिसके लिये मेरी ओर कटाक्ष किया था। पर मैं इस बहस में उतरना नहीं चाहता। यह केवल मैं उनके सन्तोष के लिए ही निवेदन कर रहा हूँ और यह निवेदन कर रहा हूँ कि हमें इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर राजस्थान की बात सोचना है और उसी पर कानून बनाना है।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैंने जो संशोधन उपधारा (१) व (३) में रक्खा वह इस ख्याल में रक्खा था कि किसी भी काश्तकार के साथ ज्यादती न हो सके और सबको मौका दिया जा सके कि अगर वे अपनी जमीन में पहले कोई काश्त कर रहे हैं तो उनको पहले अवश्य यह मौका होना चाहिये कि वे इसे कर सकें, पर उसको मजबूर नहीं किया जावे। पर इसको आपने मन्जूर नहीं किया, लेकिन चूंकि मैं इसको उचित समझता हूँ इसलिये इसे मैं प्रेस करता हूँ।

श्री कँवरलाल जैलिया—थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ।

Page No.75

श्री उपाध्यक्ष—जरूरत से ज्यादा बात हो चुकी, अब उसकी कोई जरूरत नहीं।

श्री जवानसिंह—इसमें स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरूँसिंह (१६)-माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने संशोधन का यह उत्तर सुनकर कि जो धारा इस कानून में रक्खी गई है वह उचित है और उसका स्वागत करना चाहिये, मैं ऐसा उत्तर सुनकर जवाब देने के लिए तैयार नहीं था पर हवा कुछ ऐसी चली कि जिससे माननीय मन्त्रीजी की समझ में कुछ बैठा। इसलिये इस समझ में बिठाने वाली हवा का मैं भी फायदा उठाना चाहता हूँ। इसलिए माननीय उपाध्यक्षजी से मेरा निवेदन है कि मुझे दुबारा खड़े होने की इजाजत देने की कृपा करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन बिलकुल स्पष्ट था और वह तथ्य के आधार पर था। आज जो समय निर्धारित किया गया है वह इस कानून में है तीन साल और मेरा संशोधन है कि यह समय महज दो साल के लिए रक्खा जावे।

तीन साल का समय रखने में कोई सार नहीं है। अगर हमारी मंशा यह है कि जो फसल करने वाला है, जिसकी जमीन जौताई गई है उसको उस जमीन की मेहनत करने का पूरा मेहनताना मिले तो राजस्थान के किसी भी हिस्से में ऐसी जमीन नहीं कि एक साल की जुताई-बुवाई में जो एक काश्तकार मेहनत करता है उसका फायदा तीन साल तक उसको मिलता रहे। पर, आज यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह फायदा बुवाई-जुताई की मिहनत का तो क्रॉप्स के रोटेशन के हिसाब से दूसरे साल मिल जाता है इसलिए मैं फिर निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय इस पर गम्भीरता से सोचें और मैं तो यह मानता हूँ कि यह संशोधन उचित है और स्वागत करने योग्य है। अपने इन शब्दों से इस चीज को दूर न फैंकें। अगर आप इसे मन्जूर कर लेंगे तो क्रॉप्स के रोटेशन में भी नुकसान नहीं होगा, इससे तो अगर काश्तकार ने चाहा तो चार साल काश्त करने की इजाजत देनी पड़ेगी और अगर नहीं देंगे तो दो साल की अवधि करनी पड़ेगी ताकि काश्तकार को विशेष नुकसान न हो। तो इस तरह से दो साल की अवधि रखने में फायदा ज्यादा है, इसलिए फिर निवेदन करूंगा कि आप तीन साल की अवधि के स्थान पर २ साल कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा और इस आशय से मैं अपने संशोधन को पेश करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो यह संशोधन श्री जवानसिंह ने क्लॉज़ ४ पर रक्खा है कि "In line fourth the word 'two' be substituted by the word 'five'" वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

संशोधन गिर गया।

(विराम)

दूसरा संशोधन श्री जवानसिंह का है जो इस प्रकार है :—

"The words 'whichever is earlier' be inserted after the words 'three years' in the fourth line."

The question is that this amendment be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is voted down.

(विराम)

क्लॉज ४ के सब क्लॉज़ (४) की तीसरी लाइन पर जो संशोधन श्री जवानसिंह ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

श्री जवानसिंह का फिर एक संशोधन क्लॉज़ ४ के सब क्लॉज़ (५) पर निम्नलिखित है :-
"The words 'after considering objections,if any' be inserte dafter the word 'direct' in the second line." यह संशोधन मिनिस्टर महोदय ने स्वीकार कर लिया है। क्या हाउस की अनुमति है कि इसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

यह संशोधन स्वीकृत हुआ।

श्री भैरोंसिहजी ने जो अमेन्डमेन्ट रक्खा, चूंकि यहाँ पर वह अमेन्डमेन्ट अस्वीकार किया

[श्री उपाध्यक्ष]

हुआ है लेकिन उसको इसी क्लॉज पर बहस के तरीके पर लिया गया है, इसलिए उस पर कोई राय लेने की आवश्यकता नहीं रही।

अब श्री हरिकृष्ण व्यास के दो संशोधन हैं। पहला तो यह है : "Clause 4 (1) :-In line five.

Delete the words 'or tennat'.

Add the following further proviso at the end of the sub clause .—

'Provided further that notice in respect of lands held by the State shall be issued to the Tehsildar of the concerned Tehsil.' "

प्रश्न यह है कि यह संशोधन स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

दूसरा संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास का यह है :—

"Clause 4 sub clause (2) & (3) In line 1 and 2 respectively delete the words 'or tenant.' "

प्रश्न यह है कि यह संशोधन स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

Now the question is that clause 4, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 4, as amended, is added to the Bill.

[श्री उपाध्यक्ष]

सूचना कार्यालय से पत्रादि लेने सम्बन्धी

एक एनाउन्समेंट है कि जो बिज़िनेस लिस्ट की तरमीम २१, २२ जुलाई के बाबत है वह अमेंडमेंट्स नोटिस आफिस में एवेलेबल है। जो सदस्य लेना चाहें वे नोटिस ऑफिस से लेलें।

आज की कार्यवाही स्थगित की जाती है। कल सुबह ८ बजे से फिर सेशन होगा।

(सदन की कार्यवाही १२ बज कर २ मिनिट पर, कल दिनांक २२ जुलाई, १९५४, के ८.०० बजे प्रातः तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—२१ जुलाई, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १०८७ का उत्तर देखिये)

जोधपुर डिविजन में जिन जिन दुकानदारान को अनाज की बिक्री के कमीशन की रकूमात अभी तक नहीं दी गई है उनकी सूची।

क्रम संख्या	नाम दुकानदार	नाम डिस्ट्रिक्ट	नाम तहसील
१	२	३	४
१.	श्री सरूपचन्द हजारीमल	पाली	पाली
२.	श्री केशरीमल मानकचन्द	,,	,,
३.	श्री बिजयराज हिम्मतमल	,,	बाली
४.	श्री मानरूप भागमल	,,	,,
५.	श्री ग्रेन मर्चेन्ट असोसियेशन रानी	,,	,,
६.	श्री जीवराज छोगालाल	,,	,,
७.	श्री भोजराज पुत्र हामीलाल	,,	सेन्दरा
८.	श्री भोजराज पुत्र हामीलाल	,,	सेन्दरा
९.	श्री चतुर्भुज ताराचन्द	,,	सेन्दरा
१०.	श्री मीठालाल	,,	जैतारन
११.	श्री धर्मचन्द पदमचन्द	नागौर	नागौर
१२.	श्री ग्रेन मर्चेन्ट असोसियेशन	,,	,,
१३.	श्री जवाहरमल मिश्रीमल	,,	पर्वतसर
१४.	श्री उदयराज बंकटलाल	,,	,,
१५.	श्री गंगाबिशन डोडिया	,,	,,
१६.	श्री बद्रीनारायण पन्नालाल	,,	,,
१७.	श्री चौधरी ब्रादर्स	,,	मेड़ता
१८.	श्री विष्णु ग्रेन मर्चेन्ट्स असोसियेशन	,,	डीडवाना
१९.	श्री विष्णु ग्रेन मर्चेन्टस असोसियेशन	,,	,,
२०.	श्री जीवराज रामनाथ	,,	,,
२१.	श्री हीराचन्द भीकमचन्द	जालोर	जालोर
२२.	श्री खीवराज	,,	,,
२३.	श्री भीकमचन्द प्रेमचन्द	,,	,,

क्रम संख्या १	नाम दुकानदार २	नाम डिस्ट्रिक्ट ३	नाम तहसील ४
२४.	श्री हरकचन्द आनाराज	जालोर	सांचोर
२५.	श्री हनुमानबक्स हजारीमल	,,	जसवन्तपुरा
२६.	श्री भिमल भंवरलाल	बाड़मेर	पचपदरा
२७.	श्री नथमल घनराज	,,	,,
२८.	श्री मिश्रीमल चुन्नीलाल	,,	,,
२९.	श्री केसरीमल रानमल	,,	सिवाना
३०.	श्री सिवाराम गोविन्दराम	,,	शिव
३१.	श्री मर्चेन्ट असोसियेशन	,,	,,
३२.	श्री हीरालाल लक्ष्मीनारायण	जोधपुर	जोधपुर
३३.	श्री कुन्जीलाल रामचन्दर	,,	,,
३४.	श्री भैंदान शिवकरण	,,	फलौदी
३५.	श्री बक्तराम गहलोट	,,	,,
३६.	श्री छगनमल चंदनमल	,,	नावा
३७.	श्री सीताराम घूत	,,	,,
३८.	श्री संपतराज तेजराज	नागौर	पर्बतसर
३९.	श्री ग्रामोद्योग संघ	जोधपुर	फलौदी
४०.	श्री भैंदान शिवकरन	,,	,,
४१.	श्री चंपालाल खेवरचन्द	नागौर	नागौर
४२.	श्री गणेशराम जयनारायण	,,	पर्बतसर
४३.	श्री धर्मचन्द पदमचन्द	,,	नागौर
४४.	श्री महाराजा श्री उम्मेद मील पाली	पाली	पाली
४५.	श्री भंवरलाल किशनलाल	जोधपुर	पर्बतसर
४६.	श्री सेठ सिरहमल एन्ड पार्टी	जालौर	जसवन्तपुरा
४७.	श्री मुहम्मद उसमान	पाली	पाली
४८.	श्री रामेश्वरलाल उम्मेदमल	नागौर	पर्बतसर
४९.	श्री गणेशलाल जयनारायण	,,	,,
५०.	श्री हीरालाल कस्तूरचन्द	बाड़मेर	बाड़मेर
५१.	श्री मुर्लीधर भंवरलाल	नागौर	डीडवाना
५२.	श्री मुर्लीधर भंवरलाल	,,	,,
५३.	श्री. ट्रेड मर्चेन्ट्स असोसियेशन	,,	सोजत

परिशिष्ट २

-(सूची उपलब्द नहीं हुई)

परिशिष्ट ३

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशन की सम्बन्धित मन्त्री महोदय को अनुमति है)

प्रश्न

१०६३ श्री माणेलाल खानपुरिया—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार को पता है कि मांगरोल में इंजीनियरों का एक मकान खाली पड़ा हुआ है ?

(ख) क्या सरकार उसे कन्या पाठशाला के उपयोग के लिये देना पसन्द करेगी जबकि पाठशाला के लिये २५ रुपया माहवार किराया देना होता है।

उत्तर

(क) मांगरोल में जो सरकारी मकान है वह खाली नहीं है।

(ख) इस मकान को खाली करवा कर कन्या पाठशाला के लिये देने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।